

तापमान

अधिकतम :34° C

न्यूनतम: 20° C

74,227.08

22,535.85

91,025

94,000

shahtimes2015@gmail.com

खबरें छुपाता नहीं, छापता है

शाह टाइम्स

बरेली, बुधवार 9 अप्रैल 2025 बरेली संस्करण: वर्ष 22 अंक 134 पृष्ठ 12 मूल्य रुपये 5.00

www.shahtimesnews.com

नई दिल्ली, मुजफ्फरनगर, देहरादून, हल्द्वानी, मुगदाबाद, बरेली, मेरठ व लखनऊ से प्रकाशित



विस्तृत खबरों के लिए QR कोड स्कैन करें।
मुफ्त पढ़ें E-paper



ट्रेड वॉर हुआ, तो हम तैयार: चीन विस्तृत खबर देश-विदेश पर



रजत पाटीदार पर लगा धीमे ओवर रेट का जुर्माना विस्तृत खबर खेल टाइम्स पर

मुद्रा योजना उद्यमशीलता के बारे में एक मौन क्रांति लाई: मोदी
नई दिल्ली। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मंगलवार को यहां अपने निवास पर इसके लाभार्थियों से बात की और कहा कि इस योजना ने उद्यमशीलता के बारे में सामाजिक बदलाव के साथ एक मौन क्रांति ला दी है। श्री मोदी ने प्रतिभागियों को अपने अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने पालतू पशुओं की आपूर्ति, दवाओं और सेवाओं के उद्यमी बने एक लाभार्थी से बातचीत करते हुए, चुनौतीपूर्ण समय के दौरान किसी की क्षमता पर विश्वास करने वालों के प्रति आभार व्यक्त करने के महत्व पर प्रकाश डाला।

राजयोगिनी दादी रतनमोहिनी का 101 वर्ष की उम्र में निधन आबू रोड (सिरोंही)
महिला शक्ति संगठन ब्रह्माकुमारी की प्रमुख राजयोगिनी दादी रतनमोहिनी का सोमवार देर रात निधन हो गया। वह 101 वर्ष की थीं। उन्होंने गुजरात में अहमदाबाद के जाइडिस अस्पताल में देर रात एक बजकर बीस मिनट पर अंतिम सांस ली। उनके पार्थिव शरीर को आबूरोड लाया गया, जहां मुख्यालय शांतिवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में अंतिम दर्शनाई रखा गया। ब्रह्माकुमारी के अनुसार उनका दस अप्रैल को सुबह दस बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके निधन पर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किंसराव बागदे एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गहरा शोक व्यक्त किया है।

इजरायल के कृषि मंत्री ने देखा पूसा परिसर का कामकाज
नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और इजरायल के कृषि एवं खाद्य सुरक्षा मंत्री अबि दिख्खर ने मंगलवार को आइएआरआई के कृषि परिसर का कामकाज देखा। केंद्रीय कृषि सचिव और आईसीपीआर के प्रभारी महानिदेशक देवेश चतुर्वेदी ने दोनों मंत्रियों और अन्य प्रतिनिधियों को पूसा दिल्ली में शुरू किए गए कृषि में भारत-इजरायल उल्कष्टता के पहले केंद्र और देश के विभिन्न हिस्सों के किसानों और अधिकारियों को प्रदर्शनी और प्रशिक्षण के साथ-साथ संरक्षित खेती की तकनीकों को लोकप्रिय बनाने में इसके व्यापक योगदान के बारे में जानकारी दी।

तीन और समूहों ने हुरियत से नाता तोड़ा: शाह
श्रीनगर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि तीन और अलगाववादी संगठनों, जम्मू-कश्मीर इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी, जम्मू-कश्मीर मुस्लिम डेमोक्रेटिक लीग तथा कश्मीर फ्रीडम फ्रंट ने हुरियत कॉन्फ्रेंस से खुद को अलग करने की घोषणा की है। जम्मू-कश्मीर के तीन दिवसीय दौरे पर सोमवार शाम यहां पहुंचे श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट पर इसकी घोषणा की।

रक्षा सहयोग और सह-उत्पादन में मिलकर काम करेंगे भारत व यूएई



नई दिल्ली। भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने रक्षा सहयोग, सह-उत्पादन तथा सह-विकास परियोजनाओं, नवाचार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने की इच्छा जताई है। भारत की यात्रा पर आए दुबई के शहजादे एवं संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच मुलाकात के दौरान देशों ने इस दिशा में अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। श्री सिंह ने मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यूएई के रक्षा मंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा को याद किया, जिसके दौरान उन्होंने दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में अतिथि के रूप में भाग लिया था।

भारत के लिए यूएई के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी अत्याधिक प्राथमिकता है। आने वाले वर्षों में, हम रक्षा सहयोग, सह-उत्पादन और सह-विकास परियोजनाओं, नवाचार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में मिलकर

मोदी ने दुबई के क्राउन प्रिंस हमदान का किया स्वागत
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को दुबई के क्राउन प्रिंस, उप प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के रक्षा मंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा को याद किया, जिसके दौरान उन्होंने दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में अतिथि के रूप में भाग लिया था।

दुबई के युवराज शेख हमदान ने की विदेश मंत्री से बातचीत
नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने दुबई के युवराज शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मकतूम का राजधानी स्वागत किया। विदेश मंत्री डा. जयशंकर ने अपने कार्यालय में बातचीत के लिए पहुंचे शेख हमदान की तस्वीरों के साथ एक पोस्ट में कहा कि दुबई के युवराज और संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री महामहिम हमदान मोहम्मद से मिले।

काम करने के लिए उत्सुक हैं। भारत और यूएई दोनों ही क्षेत्र में शांति और समृद्धि की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उल्लेखनीय है कि शहजादे मकतूम कल भारत यात्रा पर राजधानी दिल्ली पहुंचे थे।

कर्नाटक छेड़छाड़ मामला गृह मंत्री ने माफी मांगी

बेंगलुरु, वार्ता
कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने यौन उत्पीड़न की घटना पर अपनी टिप्पणी के बाद माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, जो हमेशा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता हूँ। अगर मेरी बातों से किसी महिला को ठेस पहुंची है, तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ और माफी मांगता हूँ। जी. परमेश्वर ने अपने बयान को गलत समझने और इसे और तोड़-मरोड़ कर पेश करने की बात कही। दरअसल, बेंगलुरु के एक वायरलेस वीडियो में एक युवक सड़क पर दो लड़कियों के पास जाकर उन्हें गलत तरीके से छूकर भागता हुआ दिखाई दिया था। वीडियो बेंगलुरु के बीटीएम लेआउट इलाके का है। घटना 3 अप्रैल की है, जिसके बाद जांच को लेकर पूछे गए सवाल पर जी परमेश्वर ने कहा था कि इस तरह की घटनाएं बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में होती रहती हैं। इस वीडियो को लेकर भाजपा ने राज्य गृह मंत्री की आलोचना की और इस्तीफे की मांग की थी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड़ा को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और जी परमेश्वर से इस्तीफा मांगना चाहिए।

कहा- महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित, पहले बोले थे- बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में ऐसी घटनाएं आम
का है। घटना 3 अप्रैल की है, जिसके बाद जांच को लेकर पूछे गए सवाल पर जी परमेश्वर ने कहा था कि इस तरह की घटनाएं बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में होती रहती हैं। इस वीडियो को लेकर भाजपा ने राज्य गृह मंत्री की आलोचना की और इस्तीफे की मांग की थी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड़ा को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और जी परमेश्वर से इस्तीफा मांगना चाहिए।

वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते गवर्नर: सुप्रीम कोर्ट

कहा: तमिलनाडु के राज्यपाल का 2023 में 10 विधेयकों को रोकना अवैध
शाह टाइम्स ब्यूरो

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि के वर्ष 2023 में 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए आरक्षित रखने के फैसले को मंगलवार को अवैध, गलत और नुटिपूर्ण घोषित कर दिया। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने श्री रवि द्वारा की गई उन सभी कार्यवाहियों को खारिज करने का फैसला सुनाया।

पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्यपाल संविधान के तहत 'पॉकेट वीटो' या पूर्ण वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते। शीर्ष अदालत ने कहा कि पॉकेट वीटो या पूर्ण वीटो की अवधारणा की संविधान में जगह नहीं। इसका मतलब है कि राज्यपाल को विधेयकों को अपने पास लेकर बैठे रहने की अनुमति नहीं है। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्ति का इस्तेमाल करते हुए फैसला सुनाया और कहा कि 10 विधेयक राज्यपाल के समक्ष दोबारा पेश किए जाने की तारीख से ही स्पष्ट माने जाएंगे। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि



कहा: पॉकेट वीटो या पूर्ण वीटो की अवधारणा की संविधान में जगह नहीं
राज्यपाल को विधेयकों को अपने पास लेकर बैठे रहने की अनुमति नहीं

राज्यपाल द्वारा स्वीकृति रोकें जाने के बाद उन्हें अनुच्छेद 200 के प्रथम प्रावधान के अनुसार प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल विधेयकों को अपने पास रख कर पॉकेट वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते। राज्यपाल के लिए स्वीकृति रोकें जाने की घोषणा करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए अनुच्छेद 200 के तहत

नैतिक पुलिसिंग अदालतों का काम नहीं

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अदालतों को नैतिक पुलिसिंग नहीं करनी चाहिए। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइया की पीठ ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश को खारिज करते हुए ये टिप्पणियाँ कीं, जिसमें राजनीतिक विरलेषक तहसीन पूनावाला और संगीतकार विशाल ददलानी पर 2016 में दिवंगत तौर पर अपमान करने और उनका मजाक उड़ाने के लिए

पॉकेट वीटो का कोई प्रावधान नहीं है। शीर्ष अदालत ने विधेयकों पर समय-सीमा निर्धारित करते हुए कहा कि स्वीकृति रोकें जाने तथा मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए आरक्षित किए जाने की स्थिति में समय-सीमा अधिकतम एक महीने की है। यदि मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना स्वीकृति रोकें

नौ राज्यों में लू की चेतावनी राजस्थान में रेड अलर्ट

नई दिल्ली। देश के उत्तर-पश्चिम राज्यों में भीषण गर्मी का दौरा शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत 9 राज्यों में होटवेब का अलर्ट है। राजस्थान में रात का पारा भी 45 डिग्री के पार जा रहा है। नॉर्थ-ईस्ट और साउथ के 8 राज्यों में बारिश की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने मंगलवार को राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत 9 राज्यों में लू और गर्मी का अलर्ट जारी किया। वहीं, नॉर्थ-ईस्ट और साउथ के 13 राज्यों में आर्बी-बारिश के आसार हैं। इधर, राजस्थान में अब दिन के साथ रात भी

मप्र के 23 जिलों में पारा 40 पार, 13 राज्यों में बारिश के आसार

गर्म होने लगी है। कुछ शहरों में रात का पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। मंगलवार को यहां होटवेब का रेड अलर्ट है। इसमें अलावा 6 जिलों के लिए ऑरेंज और 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट है। मध्य प्रदेश में सोमवार को भी गर्म हवाओं की वजह से तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। रत्नाम-नीमच समेत 8 जिलों में लू का अलर्ट है।

यूपी: PRD जवानों के ड्यूटी भते में बढ़ोतरी

शाह टाइम्स ब्यूरो
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) स्वयंसेवकों के दैनिक ड्यूटी भते में लगभग 26 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। अब इन्हें 395 रुपये के बजाय ड्यूटी भते के तौर पर 500 रुपये दिए जाएंगे। इसका लाभ प्रदेश के 35 हजार पीआरडी जवानों को मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रकारों को बताया कि प्रस्ताव के तहत पीआरडी जवानों का भत्ता 395 रुपये से बढ़ाकर अब इसे 500 रुपये

दिलसुखनगर बम विस्फोट मामले में मौत की सजा बरकरार

हैदराबाद। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिलसुखनगर बम विस्फोट मामले में पांच दोषियों को मौत की सजा की पुष्टि की और निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति लक्ष्मण और न्यायमूर्ति श्रीसुधा की पीठ ने दोषियों को दो से पेश अपीलों को खारिज कर दिया और निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। वर्ष 2013 में 21 फरवरी को देश को झकझोर देने वाले इन घमाकों में 18 लोगों की जान चली गई थी और 131 से अधिक लोग घायल हुए थे। एनआईए ने सिलसिलेवार बम विस्फोटों की विस्तृत जांच की थी।

अब 395 रुपये के बजाय ड्यूटी भते के तौर पर 500 रुपये दिए जाएंगे



कर दिया गया है। मौजूदा समय में प्रदेश में 34 हजार से अधिक पीआरडी जवान तैनात हैं और इस बढ़ी हुई राशि का लाभ इन सभी जवानों को मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि बैठक में कुल 15 प्रस्ताव रखे गए, जिसमें 13 को स्वीकृति प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि

शीर्ष अदालत से ममता सरकार को राहत

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में अतिरिक्त पद सृजित करने के पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल के फैसले की सीबीआई से जांच कराने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को मंगलवार को रद्द कर दिया। सीबीआई खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने यह आदेश पारित किया। पीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि संविधान ने स्पष्ट रूप से न्यायालयों को मंत्रिमंडल के फैसलों और राष्ट्रपति/राज्यपाल को दी गई सलाह की जांच करने से रोक दिया है। 'अतिरिक्त पद' का तात्पर्य ऐसे अस्थायी पद से है जो किसी ऐसे

बंगाल के स्कूलों में अतिरिक्त पद सृजन के फैसले की सीबीआई जांच का आदेश रद्द

कर्मचारी को समायोजित करने के लिए बनाया गया है, जो नियमित पद के लिए पात्र है और जो (पद) वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। पीठ ने स्पष्ट किया कि प. बंगाल के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित अन्य पहलुओं की कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित सीबीआई द्वारा जांच की जारी रहेगी।

राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल शिक्षक मुद्दे पर मुर्मु से किया आग्रह

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता तथा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल में हजारों स्कूल शिक्षकों को शिक्षक भर्ती प्रक्रिया रद्द होने के बाद अपनी नौकरी खो देने संबंधी मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। श्री गांधी ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर पत्र की प्रति जारी करते हुए लिखा कि मैं पश्चिम बंगाल में हजारों स्कूल शिक्षकों के मामले में आपसे हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूँ, जिन्होंने न्यायपालिका द्वारा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया रद्द होने के कारण अपनी नौकरी खो दी है।

मुर्मु को पुर्तगाल ने दिया 'सिटी की ऑफ ऑनर' सम्मान

नई दिल्ली। पुर्तगाल की यात्रा पर गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को लिस्बन के मेयर ने लिस्बन शहर का 'सिटी की ऑफ ऑनर' सम्मान प्रदान किया है। राष्ट्रपति सचिवालय के अनुसार श्रीमती मुर्मु को लिस्बन के सिटी हॉल में आयोजित एक समारोह में यह सम्मान प्रदान किया गया।

राष्ट्रपति ने इस अवसर पर मेयर और लिस्बन के लोगों को इस सम्मान के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि लिस्बन खुले विचारों, लोगों की गर्मजोशी और अपनी संस्कृति के साथ-साथ सहिष्णुता तथा विविधता के प्रति सम्मान के लिए जाना जाता है। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि



लिस्बन एक वैश्विक शहर है जो तकनीकी परिवर्तन, नवाचार, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और डिजिटल बदलाव के मामले में सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में भारत और पुर्तगाल आगे भी सहयोग कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला राज्यपालों के लिए आईना गैर भाजपा शासित राज्यों में आ रहे विवाद सामने, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय

समीउल्लाह

बिजनीर। तमिलनाडु के राज्यपाल की भूमिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए अहम फैसले ने गैर भाजपा शासित राज्यों के उन राज्यपालों को आईना दिखाया है, जो केंद्र सरकार के इशारों पर इन सरकारों को परेशान करते हुए उनके विधेयकों को लम्बित रखते हैं। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि के वर्ष 2023 में विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए आरक्षित रखने के फैसले को मंगलवार को



अवैध, गलत और नुटिपूर्ण घोषित कर दिया। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने श्री रवि द्वारा की गई उन सभी कार्यवाहियों को खारिज करने का फैसला सुनाया। पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्यपाल संविधान के तहत 'पॉकेट

तमिलनाडु के राज्यपाल की भूमिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट गंभीर

वीटो' या पूर्ण वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि पॉकेट वीटो या पूर्ण वीटो की अवधारणा की संविधान में जगह नहीं है। जितनी जल्दी हो सके, इन विधेयकों पर कार्यवाई होनी चाहिए। इसका मतलब है कि राज्यपाल को अपने पास लेकर बैठे रहने की

26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय

नई दिल्ली। सरकार ने 'एक राज्य एक आरआरबी' के सिद्धांत पर 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के विलय को अधिसूचित कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को यहां कहा कि यह आरआरबी के विलय का चौथा चरण है।

वित्त में विलय के कारण आरआरबी की कार्यक्षमता में सुधार को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने हितधारकों के परामर्श के लिए नवम्बर-2024 में एक विलय योजना शुरू की थी। हितधारकों के परामर्श के बाद, 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 26 आरआरबी को

वित्त मंत्रालय ने कहा: यह आरआरबी के विलय का चौथा चरण

विलय किया गया है, जिसका प्राथमिक ध्यान पैमाने की कार्यक्षमता में सुधार और लागत युक्तिकरण पर है। वर्तमान में, 26 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में 43 आरआरबी काम कर रहे हैं। विलय के बाद, 26 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में 28 आरआरबी होंगे, जिनकी 700 जिलों में 22000 से अधिक शाखाएं होंगी।

वेब शुगर मिल में घुसकर बदमाशों ने मचाया तांडव

शीशे तोड़े, बंद कराया मिल, ब्लैकमेलिंग करने जैसे लगाए गंभीर आरोप

CMYK

शाह टाइम्स संवाददाता
बछराजू। वेब शुगर मिल मलेशिया में लाठी डंडे लेकर घुसे बदमाशों ने परिसर में तोड़फोड़ करते हुए फैक्ट्री की पेराई को जबरदस्ती बंद करा दिया। इससे प्रबंधन को करीब 89 लाख का नुकसान हुआ है। आरोप है की घटना के बाद से माहौल तनावपूर्ण हैं फैक्ट्री परिसर में रहने वाले परिवार डरे सहमे हुए हैं। मामले में एसपी के आदेश पर मिल के सुरक्षा महाप्रबंधक की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप हैं कि बीती आठ फरवरी को मिल के पास गांव मलेशिया निवासी एक युवक की गन्ना लदे ट्रक से टक्कर को बाद मौत हो गयी थी।

घटना के बाद ग्रामीणों ने मिल के गेट को जाकर बंद कर दिया और मृतक का शव गेट के बाहर रख दिया। **बीस घंटे मिल बंद होने से 89 लाख का नुकसान**
नौ फरवरी को सड़क हादसे में हुई थी युवक की मौत
फैक्ट्री बंद करने वाले मजदूरों ने फैक्ट्री बंद करने से इनकार किया तो बदमाशों ने जान से मारने की धमकी दे दी। उन्होंने 20 घंटे के लिए कारखाने को जबरन बंद कर दिया। जिससे लगभग 89 लाख रुपए का भारी नुकसान भी हुआ है। इस बीच बदमाशों ने लाउडस्पीकर से अवध शब्दों का प्रयोग करते हुए बाहर निकालो जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद से माहौल तनावपूर्ण है

लिया। बदमाशों द्वारा फैक्ट्री में मचाए गए उत्पात को फुटेंड सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रात्रि शिफ्ट में काम करने वाले मजदूरों ने फैक्ट्री बंद करने से इनकार किया तो बदमाशों ने जान से मारने की धमकी दे दी। उन्होंने 20 घंटे के लिए कारखाने को जबरन बंद कर दिया। जिससे लगभग 89 लाख रुपए का भारी नुकसान भी हुआ है। इस बीच बदमाशों ने लाउडस्पीकर से अवध शब्दों का प्रयोग करते हुए बाहर निकालो जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद से माहौल तनावपूर्ण है

और अप्रिय घटना की आशंका हैं। इतना ही नहीं फैक्ट्री परिसर में रहने वाले परिवार भी अपने आप को ऐसे सुरक्षित महसूस कर रहे हैं महिलाएं बाजारों में जाने से परहेज कर रही है और बच्चे बाहर निकलने में डर रहे हैं। जबकि कुछ कर्मचारी तो अपने परिवारों को कारखाने से दूर भेजने की योजना बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में कारखाने को सुचारू रूप से चलाना बहुत मुश्किल है। मिल के सुरक्षा महाप्रबंधक ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। सीओ स्वेताभ भास्कर ने बताया मिल के सुरक्षा महाप्रबंधक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है मामले में जांच के बाद आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।



■ मंडी धनौरा। श्रीराम जन्मोत्सव पर भजन प्रस्तुत करती कलाकार।

CMYK

दहेज में नकदी व बाइक के लिए विवाहिता का उत्पीड़न

एसपी के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज

शाह टाइम्स संवाददाता
मंडी धनौरा। दहेज में एक लाख की गनगी और मोटरसाइकिल की मांग पूरी न होने पर ससुराल पक्ष के लोग ने विवाहिता को घर से निकाल दिया। 27 मार्च को विवाहिता के पति नींद, जेट गिरीश, सतवीर, जेठानी रूबी, कस्बे में मायके में आ गए गाली गलौज करते हुए दहेज की मांग को लेकर मारपीट शुरू कर दी। विवाहिता की माँ से भी मारपीट की गई। शोर सुनकर आसपास के लोग आये उन्होंने दमा दर्ज किया है।

विवाहिता का पति व ससुराल वाले दहेज की मांग के लिए विवाहिता को प्रताड़ित करते थे। दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को घर से निकाल दिया। 27 मार्च को विवाहिता के पति नींद, जेट गिरीश, सतवीर, जेठानी रूबी, कस्बे में मायके में आ गए गाली गलौज करते हुए दहेज की मांग को लेकर मारपीट शुरू कर दी। विवाहिता की माँ से भी मारपीट की गई। शोर सुनकर आसपास के लोग आये उन्होंने दमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

खेतान वर्ल्ड स्कूल में 'ओरिएंटेशन डे' आयोजित



शाह टाइम्स संवाददाता,
गजरीला। नगर के खेतान वर्ल्ड स्कूल द्वारा ओरिएंटेशन डे का आयोजन करके सभी नए अभिभावकों का स्वागत किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में केंसी ग्रुप के चेयरमैन अनिरुद्ध खेतान के संदेश को प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने सभी अभिभावकों

का स्वागत करते हुए आश्वासन दिया कि खेतान वर्ल्ड स्कूल में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभा को पहचानकर उसे सही दिशा में विकसित किया जाएगा। यह विद्यालय सिर्फ शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि बच्चे की संभावनाओं को साकार करने का मंच है। विद्यालय के चेयरमैन सर्वेन्द्र सिंह ने कहा कि, यह कार्यक्रम न केवल आगामी

शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत है, बल्कि स्कूल और अभिभावकों के बीच विश्वास और सहयोग की एक नई नींव भी है। उन्होंने अभिभावकों को आश्वस्त किया कि इस विद्यालय में विद्यार्थियों को ऐसे अवसर प्रदान किए

■ **विद्यालय परिवार ने किया अभिभावकों का स्वागत**

जाएंगे जिससे वे अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुँच सकें। कहा कि, 'हमारा उद्देश्य है कि हर बच्चा एक आत्मनिर्भर और सशक्त नागरिक बने, जिसके लिये सतत प्रयासरत रहेंगे।' समारोह को प्रधानाचार्या रंजीता रानी ने भी संबोधित किया और विद्यालय की उपलब्धियों, व्यवस्थाओं व शैक्षणिक व्यवस्थाओं के साथ साथ शिक्षक-शिक्षिकाओं के अनुभव व ज्ञान आदि से भी रूबरू कराया। कहा कि विद्यालय परिसर पूरी तरह से सुरक्षित है और छात्र शिक्षक अनुपात का बहुत ही विशेष ध्यान रखा गया है। इस दौरान अभिभावकों ने भी अपने प्रश्न रखे, जिनको प्रधानाचार्य व स्टाॅफ ने संतोषजनक उत्तर दिए।

पूर्व बसपा नेता ने चिकित्सक पर तानी रिवाल्वर

तीन आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज, जांच में जुटी पुलिस

शाह टाइम्स ब्यूरो
अमरोहा। ड्यूटी कर घर लौट रहे चिकित्सक डा. सोहराब को पूर्व बसपा नेता फुरकान अहमद ने अपने दो निजी सुरक्षा गाड़ों के साथ मिलकर शहर में घेर लिया। मारपीट के दौरान सुरक्षा गाड़ों ने लाइसेंसी राइफल और रिवाल्वर तानते हुए गोली मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं एससी-एसटी एक्ट के झूठे मुकदमे फंसाकर जेल भिजवाने की भी बात कही। जांच के बाद मामले में पुलिस ने आरोपी पूर्व बसपा नेता व उनके दोनों सुरक्षा गाड़ों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की है।

शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कटकुई में डा. अब्दुल मारूफ का परिवार रहता है। उनके बच्चे

सोहराब मारूफ भी एमबीबीएस डॉक्टर हैं। वर्तमान में उनकी तैनाती नौगावां सादात क्षेत्र स्थित एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चल रही है। शोड्यूक में मुताबिक बीती आठ मार्च को डा.सोहराब मारूफ की ड्यूटी पोस्टमार्टम हाउस पर थी। शाम में वह अपनी ड्यूटी पूरी कर घर लौट रहे थे। जब वह मोहल्ला बटवाल स्थित अपने एक दोस्त की दुकान पर पहुंचे तो वहां पहले से मौजूद नौगावां सादात क्षेत्र के गांव सैदपुर इम्मा निवासी पूर्व बसपा नेता फुरकान अहमद ने घेर लिया। गाली-गलौज करते हुए अचानक ही मारपीट शुरू कर दी। अचानक किए गए हमले को लेकर डा.सोहराब ने विरोध जताया तो फुरकान अहमद ने अपने प्राइवेट सुरक्षा गाड़ों कपिल और उसके साथी को भी बुला लिया।

दोनों राइफल और लाइसेंसी रिवाल्वर लेकर पहुंचे और फुरकान अहमद के साथ मिलकर डा.सोहराब के साथ मारपीट की। कंधे और सीने पर रिवाल्वर की बट से वार किए। इतना ही नहीं राइफल और रिवाल्वर सामने तानते हुए जान से मारने की धमकी दी। स्थानीय लोगों ने बमुश्किली डा.सोहराब को बचाया। बाद में आरोपी एससी-एसटी एक्ट के झूठे मुकदमे फंसाकर की धमकी देते हुए चले गए। प्रभारी निरीक्षक पंकज तोमर ने बताया कि मामले में मुक. दमा दर्ज कर लिया गया है। जांच के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। गौरतलब है कि इसी मामले में शिकायत के बाद बसपा जिलाध्यक्ष सोमपाल सिंह ने फुरकान अहमद को पार्टी से निष्कासित किया था।

22 को कलेक्ट्रेट पर पेंशनर्स का धरना

अमरोहा। पेंशनर्स एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि वित्त विधेयक के विरोध में 22 अप्रैल को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अमरोहा ग्रीन कालोनी स्थित राजेन्द्र राणा के आवास पर पेंशनर्स की बैठक हुई। जिसमें वक्ताओं ने कहा कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों से उन्हें बाहर करने का प्रयास किया गया है। जिसके विरोध में 22 अप्रैल को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर पेंशनर्स काले कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। बैठक में अनूप सिंह पैसल, शिशुपाल सिंह, शिवेंद्र सिंह चिकार, ज्ञानेंद्र सिंह त्यागी, मायाराम, अनिल माहेश्वरी, सोमदत्त सिंह, मौजूद रहे।

भाजपा नेता से मारपीट में कई पर रिपोर्ट

अन्तिम संस्कार में शामिल होने गए थे

शाह टाइम्स ब्यूरो
अमरोहा। भाजपा नेता के साथ मारपीट के मामले में दो नामजद समेत कई अज्ञात के खिलाफ मुक. दमा दर्ज कराया गया है।

शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अहमदनगर में रामचंद्र का परिवार रहता है। उनके बेटे विनोद कुमार मौर्य भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष हैं। बीती पांच अप्रैल की दोपहर में विनोद कुमार मौर्य मोहल्ला बेगम सराय में रहने वाले परिचित सुधीर सहदेव के भाई सुदेश सहदेव के अंतिम संस्कार में शामिल होने अमरोहा रेलवे स्टेशन स्थित शमशान घाट पर गए थे। उनका आरा. 'प है कि वहां मौजूद नीरज कुमार ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की। विवाद बढ़ता देख लोगों ने बमुश्किल उन्हें बचाया। मामले में पीडित विनोद कुमार मौर्य ने अमरोहा देहात थाने में नीरज व अतुल समेत

अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अब उनके भाई रवि का आरोप है कि सोमवार रात करीब 11:30 बजे विनोद कुमार मौर्य आजाद मार्ग स्थित हिन्दू इंटर कॉलेज अमरोहा की तरफ से घर लौट रहे थे। रास्ते में घात लगाए बैठे मोहल्ला बड़ी बेगम सराय के रहने वाले सफाई कर्मचारी नीरज ने अपने दो भतीजे के साथ मिलकर उन पर हमला कर दिया। आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से लोहे की रॉड और धारदार हथियार से एक के बाद एक कई वार किए। हमले में गंभीर घायल विनोद कुमार मौर्य लहलुहा होकर जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। परिजनों का आरोप है कि नीरज जिप में सफाई कर्मी है, जो इस समय निलंबित चल रहा है। इसी वजह से नीरज को विनोद कुमार मौर्य से रंजिश चल रही है। सीओ सिटी अरुण कुमार सिंह ने मामले में आरो. पियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू करने की बात कही।

रैली निकालकर महिलाओं को किया जागरुक

डीएम ने झंडी दिखाकर किया रवाना



शाह टाइम्स ब्यूरो अमरोहा। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वस्त्र ने पोषण पखवाड़ा जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि रैली के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य व नवजात की उचित देखभाल का संदेश दिया गया है। कलेक्ट्रेट से मंगलवार को पोषण पखवाड़ा जागरूकता रैली निकाली गयी। जिसे डीएम निधि गुप्ता वस्त्र ने झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली का मकसद महिलाओं के स्वास्थ्य व उसके नवजात बच्चों की उचित देखभाल है। कुपोषित बच्चे हैं उनको एकाअस्सी में भर्ती करना भी इसमें शामिल है। रैली के माध्यम से संदेश दिया गया जो कि एक हजार दिन तक घर की गर्भधारी महिलाएं हों उनका पूरा ध्यान रखा जाये। उन्होंने कहा कि पोषण अभियान को अधिकारी पूरी गंभीरता से लें। लापरवाही किसी भी हाल में सहन नहीं की जायेगी। आम लोगों को इसका लाभ पहुंचाये। इस मौके पर जिला कार्यक्रम अधिकारी ज्ञानप्रकाश तिवारी, संजीव कुमार आदि मौजूद रहे।

डीएम के आदेश को धनौरा प्रशासन ने दिखाया ठेंगा

राजस्व निरीक्षक ने अवैध तरीके से ठेके पर दी सैकड़ों बीघा जमीन

शाह टाइम्स ब्यूरो
अमरोहा। गंगा की रेती पर अवैध कब्जे का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। डीएम के आदेश के बाद भी मंडी धनौरा के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब मामले की शिकायत मुख्यमंत्री **मुख्यमंत्री से की मामले की शिकायत**
बताते चलें कि मंडी धनौरा व हसनपुर तहसील क्षेत्र में बड़े पैमाने पर गंगा व वन विभाग की भूमि पर जिले व मेरठ व बुलंदशहर के भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। जिससे लेकर कई बार खूनी संघर्ष भी हो चुका है। परन्तु प्रशासन ने आज तक इन घटनाओं से सबक लेकर मामले का कोई ठोस समाधान नहीं निकाला। शिकायत के आधार पर जिलाधिकारी निधि गुप्ता वस्त्र ने दो अप्रैल को धनौरा के एसडीएम चन्द्रकांता को मामले की जांच के आदेश दिये थे। परन्तु आज तक मामला ठंडे बस्ते में पड़ा है। मेरठ के हस्तिनापुर के गांव जलालपुर जोरा निवासी नरेन्द्र कुमार पुत्र जयपाल सिंह ने राजस्व उप निरीक्षक मुकेश गोड्ड पर आरोप लगाया है कि वह दो हजार रुपये प्रति बीघा जमीन के हिसाब से

भूमाफियाओं को ठेका देता है। भूमाफिया अर्जुन पुत्र सुरेश, पुरुषोत्तम पुत्र प्रीतम, जोगेन्द्र, कोशल पुत्र ज्ञान सिंह, अशोक पुत्र गंगाराम निवासी केशोपुरा, सतवीर, धन्नी, लुटन, सतेन्द्र, मुखिया पुत्र दीलत, ब्रहमपाल, नरेश पुत्र मिट्टन, मनोज, त्रिलोक, पप्पू, धनपाल पुत्र शोशपाल, कालिया पुत्र बलू, भूरे पुत्र गोविंद, कौशिक पुत्र रकमे, सुखराज सिंह, मनजीत सिंह पुत्र चरन सिंह, गुड्डू पुत्र राजकिरण, टीनू पुत्र जयपाल निवासी जलालपुर जोरा आदि भूमाफियाओं ने भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। वह इस जमीन पर अवैध रूप से खेती कर रहे हैं जबकि राजस्व विभाग को लाखों रुपये का नुकसान पहुंचा रहे हैं। उक्त भूमाफियाओं की कई बार शिकायत अधिकारियों से की गयी। जबकि मेरठ प्रशासन भी उक्त भूमाफियाओं पर पूरी तरह मेहरबान है। गांव जलौलपुर जोरा आदि की लगभग 1444.83 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है। जिस पर गन्ने व अन्य फसले खेती हैं। शिकायतकर्ता ने उक्त फसलों को जन्त कर नीलामी के बाद पैसे को सरकारी खजाने में जमा करने की मांग की है।

पालिका ने की सात करोड़ की रिकार्ड वसूली

वसूली समेत समस्त सेवाएं ऑनलाइन: ईओ



शाह टाइम्स ब्यूरो
अमरोहा। नगर पालिका ने इस वर्ष सात करोड़ रुपये से अधिक वसूली कर पिछला रिकार्ड तोड़ दिया। अधिशासी अधिकारी डा. ब्रजेश कुमार ने बताया कि पालिका द्वारा कर केलेर वसूली में 448.67 लाख वार्षिक वसूली का लक्ष्य रखा गया था। बार राजस्व निरीक्षक तैनात किये गये थे जबकि अगंतों की टीम बनाकर वसूली करायी गयी। ग् व छूटे गये भवन पर कर लगाकर कार्रवाई की गयी। जबकि किराये की दुकानों की नीलामी व शासन द्वारा दो



प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धरा. शि, बैकरी, मिठाई की दुकान, लकड़ी टाल, ई रिक्शा लाइसेंस, भूमा टाल, पाल बल्ली, पैथोलॉजी लैब, मैरिज हाल, गेस्ट हाउस, डेयरी, अस्पताल, अल्ट्रासाउंड सेंटर से गृहकर व जल कर की वसूली 701.64 लाख की की गयी। उन्होंने बताया कि पालिका के करों की वसूली व अन्य सेवाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। चेयरमैन श्रीमति शशि जैन ने बताया कि पालिका द्वारा लोगों को बेहतर सुविधाएं मुहैया करायी जा रही हैं।

मंदबुद्धि महिला ने कई वाहनों के शीशे तोड़े



शाह टाइम्स संवाददाता,
गजरीला। नगर के इंदिरा चौक पर मंगलवार की दोपहर में एक मंदबुद्धि महिला ने जमकर हंगामा मचाया। इससे पहले लोग कुछ समझ पाते उसने यहां से गुजर रहे चार पहिया, दो पहिया वाहनों पर ईट-पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। जिससे करीब 12 गाड़ियों के शीशे टूट गए। महिला को इस हरकत से चौराहे पर अफरा-तफरी मच गई। राहगीर इधर भागने लगे। वाहनों पर पत्थर फिंकते देख

■ **राहगीरों ने इधर उधर भागकर बचाई जान**

पर पहुंच गई, मगर महिला का उग्र व्यवहार देखकर पुलिस भी एकदम से उसे नहीं रोक पाई। महिला ने लगभग आधे घंटे तक इस तरह का व्यवहार जारी रखा। इसके बाद वह खुद ही वहां से

चली गई। घटना के दौरान कई राहगीर बाल-बाल बच गए, हालांकि किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है।यहां से जाने के बाद वह फ्लाईओवर के पास पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई, हालांकि वहां पर उसने कोई हंगामा नहीं किया। वहीं चर्चा है कि थोड़ी देर बाद कुछ साधु संत उसके पास बैठे थे और वे महिला को साथ लेकर चीपला दिशा की ओर ई-रिक्शा में बैठकर रवाना हो गए।

CMYK

कार्यालय ग्राम पंचायत विद्या विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर					
पत्रांक- /मौजो/ ग्राम/ सामग्री आयुक्त/ विकास कार्य/ निर्दिष्ट/ कुटुम्ब/ 2025 दिनांक- 08/04/2025					
अनुपम निम्नानुसार निविदा सूचना					
समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एवमुद्रा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत विद्या विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के अन्तर्गत मोहित ग्राम पंचायत विद्या विकास योजना के वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार सम्पन्न भात मिशन ग्रामपंचायत/मरेला/15 वां वित्त/वित्त/वि. वि. RGSA व OSR को मंद रस निम्नानुसार कार्य के लिए ग्राम पंचायत एवं अन्य शासकीय मन्त्रों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराने का हेतु ग्राम पंचायत में निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मुहानेवर संतुलित निविदाएं/कुटुम्बन आगमन को जारी है। इच्छुक फर्मों/आपूर्तिकर्ता दिनांक 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय दिवस से सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक शंभुलक्ष्मी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रस्ते बांके में सोलवर निर्दिष्ट/कुटुम्बन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 18/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष समीक्षा ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। व्यक्ति निविदा/कुटुम्बन के अनुसार सामग्री को आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध भवना के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश को जो जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर ग्राम आर्वाइव भवना पर होगी। आवश्यकानुसार सामग्री को आपूर्ति ग्राम पंचायत (ग्राम एवं सवारी) के लिखित आदेश पर जो जायेगी। सामग्री को मात्रा अनुसार कक्षा अनुसार घड़ा/बर्तन जो सकते हैं। सामग्री को आपूर्ति ग्राम पंचायत के परिसर में व्यक्तीकृत दर पर निर्धारित कार्यालय पर करनी होगी। सामग्री को आपूर्ति का भुगतान अनुभवकार को व्यक्ति के उपरान्त हो किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी पंजीकरण प्रमाण पत्र विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्ल्यू.डी. की राशि के अनुसार पी.डब्ल्यू.डी. के रेट और शंभुलक्ष्मी के अनुसार होगी। सामग्री को आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत जो जाना अनिवार्य है। सामग्री को गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुसार नहीं पाये जाने को स्थिति में भुगतान की धरणा में कि नियमनानुसार कटौती कर की जायेगी। जो कि जायेगा को बिना कारण बताये निस्तर करने के अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।					
क्र.सं.	सामग्री का विषय	प्रति मीटर	प्रति मीटर	प्रति मीटर	दर
01.	सीमेंट		प्रति मीटर		
02.	बाल/रमिट्टी दूरी 20हिट/बालर लेत		घन मी.		
03.	बजर/फुट/ बजरी 10एम.एम.		घन मी.		
04.	ईट 40 एम.एम./रोडी पक्कर 90/40 एम.एम.		घन मीटर		
05.	ईस्ट प्रथम ग्रैमी 80-150/ईट बालर एम-275		प्रति नग हजार		
06.	इंटरलॉक टाइल्स 1.50 एम.एम./ 60 एम.एम. वस्तु के		प्रति नग		
07.	पंचायत घर ऑफिस इन्फ्रामेंट, पुस्तकालय इन्फ्रामेंट		प्रति नग/मीटर		
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कर		प्रति घन मी./वर्ग मी.		
09.	दीवार बालर/फुट टाइल्स		वर्ग मीटर		
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का ट्रेट/खिड़की		प्रति कुल		
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईलड		प्रति कुल		
12.	सीमेंट की चार/टीन शेंड की चार		वर्ग मीटर नग		
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामरिश्चल/टिक्चर/प्लाई		प्रति नग/वर्ग मी.		
14.	सोला लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट		प्रति नग		
15.	सीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूनिट सीट		प्रति नग		
16.	विजली उपकरण/इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री		प्रति नग		
17.	मेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रिजिंग कार्य पाइप डकटर		प्रति नग/वर्ग मी.		
18.	फासिंग मशीन/रस्ते मशीन सी.सी. बेंच/ डकटर का बेंच		प्रति नग		
19.	ऑफिस फर्नीचर, कम्प्यूटर बिजनेस, डेस्कट, डेस्कट, सीसी टी.वी. कैमरा, अलमारी, दूरी पंच, डेस्कटॉप, सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होय वाली सामग्री		प्रति नग		
20.	इन्टरविज/सीनेट/प्लास्मिग सामग्री प्लास्मिग कार्य		प्रति नग		
21.	काष्ठ पाइप/टेली लाई सफाई किट/ ई-फिर		प्रति नग/यूनिट		
22.	सूडियम, हाइड्रोक्लोरिक, ब्लॉक पाइप पाइडर व अन्य कीटनाशक व संरक्षण रोधक दवाएं		प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट		
23.	फ्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई वर्क माइका		प्रति ली./वर्ग फुट/मी.		
24.	हिरतम, प्लेट फुट, पेंस, समासेम आदि		प्रति कि.ग्रा/कू./ली.		
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समस्तलिखित पम्प		प्रति नग/ रनिंग मीटर		
26.	हैंडपम्प मरम्मत/रीवार सामग्री		प्रति नग/ रनिंग मीटर		
27.	आपन जिम/खेल मैदान उपकरण/ईसीनेटर		प्रति नग		
28.	आर.सी.सी. पाइप, ब्रूम पाइप		प्रति नग/रनिंग मीटर		
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित		प्रति नग/लीटर		
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण		प्रति नग/रनिंग मी.		
31.	अन्यविश्व स्थल/ समुद्र शेंड				
32.	आडीएफ+सी सम्पत्ति समस्त कार्य				
नोट:- यदि किफायती से फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नग विभागगीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कारवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।					
(श्रीमती नतुं ग्राम प्रधान)			(श्री एनोने एंथोनी सखिव)		
ग्राम पंचायत विद्या			ग्राम पंचायत विद्या		
विद्या खण्ड शाहबाद (रामपुर)			विद्या खण्ड शाहबाद (रामपुर)		

कार्यालय ग्राम पंचायत हुसैनगंज विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर				
पत्रांक:- यीसी./ग्र.पं./सम्मरी आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेरांग/२०२३ दिनांक:-०८/०४/२०२३				
अत्यल्पानिमत निविदा / कुटेरांग सूचना				
समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत हुसैनगंज विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष २०२५-२६ तक ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमीदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष २०२५-२६ के अनुसार संचाल्य भारत मिशन ग्रामीण/मरेनो।।।१५ बं विवर/रामपुर/ RGSA व OSR को मद रसे निर्माण कार्य के लिए प्रारम्भ करवाये जायें अन्य शासकीय मन्त्री के अंतर्गत निर्माण कार्य कार्ये जान हेतु ग्राम धरगारी से परिशिष्ट मानचित्र/एलन/काटेरांग के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर उपलब्ध करने हेतु मोहारवंद निविदाएं/कुटेरांग आगेविक्रित की जाती हैं। इच्छुक फर्मों/आपूर्तिकर्ताओं को दिनांक ०९/०४/२०२३ से १७/०४/२०२३ तक कार्यालय विकास सम १० बाबू से लेकर दोपहर १२ बजे तक अपरोक्षतरी से कार्यालय ग्राम पंचायत पर रसे बोलीय में सोलंबंद निविदा/कुटेरांग सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक १८/०४/२०२३ तक ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के नक्करद मुख्यालय पर खोली जायगी। व्यक्ति निविदा/कुटेरांग के अनुसार सामग्री को आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध भरणार्थ के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश को को जायेगी, जो ग्राम पंचायत को समय-समय पर ग्राम आवॉदित धरगारी पर हाँगे। आवश्यकनुसार सामग्री को आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर को जायेगी। सामग्री को मात्रा आवश्यकता अनुसार चढ़ाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री को आपूर्ति ग्राम पंचायत के परिसर में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी हाँगे। सामग्री को आपूर्ति का भुगतान एतद्द्वारा कोठी की व्यक्ति को उत्तरदायी हो किया जायगा। आपूर्तिकर्ता को जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में नाम अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्ल्यू. डी. को ररों के अनुसार पी.डब्ल्यू. डी. के रेट और श्रोतवृद्ध के अनुसार होगा। सामग्री को आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री को गुणवत्ता निर्धारित प्रकार के अनुसार नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धरगारी में से गणनासुरा कटौती कर की जाएगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्ते करने के अधिकृत ग्राम पंचायत को हाँगा।				
क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट प्राइस	प्रति मात्रा/उत्तर	रर
०१.	सीमेंट		प्रति मीटर/उत्तर	
०२.	बाल रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकर रेत		घन मी.	
०३.	बजरफुट/ बजरी २० एम.एम.		घन मी.	
०४.	ईंट ४० एम.एम./रोड़ी/ पक्थर रोड़ी ४० एम.एम.		घन मीटर	
०५.	ईंट प्रथम थ्रेषी एम - १५० ईस्ट बालर एम - २७५		प्रति नग हजार	
०६.	इंटरलोकि टाइल्स ८० एम/ ६० एम/ ६० एम./ पुस्तके		प्रति नग	
०७.	पंचायत घर ऑफिस प्रमुखायर्ट, पुस्तकालय डिक्विपमेंट		प्रति नग/यूनिट	
०८.	एम.आर.एफ. सेक्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कर		प्रति घन मी./वर्ग मी.	
०९.	दीवार टाइलिंग/बैठने टाइल्स		वर्ग मीटर	
१०.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का नेट/विड़की		प्रति कुंतल	
११.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डीयर माईंडर		प्रति कुंतल	
१२.	सीमेंट की चार/उपर शेड की चार		वर्ग मीटर/नग	
१३.	लकड़ी के दरवाजे/कामशिशिल/टिक्स/प्लाई		प्रति नग/वर्ग मी.	
१४.	सोलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शोचालिय सौर		प्रति नग	
१५.	स्टील लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूनिक सौर		प्रति नग	
१६.	मिजली उपकरण/इलेक्ट्रिकल कार्य सामग्री		प्रति नग	
१७.	सेनेट्री सामग्री/लोहे का फ्रेमिंग कार्य सामग्री		प्रति नग/वर्ग मी.	
१८.	फाल्गिण मशीन/रवे मशीन सी.सी. बैच/ डैस्क का बैच		प्रति नग	
१९.	ऑफिस फर्नीचर, कम्प्यूटर सिस्टम, स्कैनर, बैटरी, सीसी टी.वी. कैमरा, अलमारी, हरी पंखा, डैस्कटॉप, सोलर पैनेल, आदि उपयुक्त हरी पंजा, डैस्कटॉप, सोलर			
२०.	इन्टरविन/इन्सीटेर/प्लास्मिंग सामग्री प्लास्मिंग कार्य		प्रति नग	
२१.	कुड़ा गाड़ी/ढेली एवं सफाई किट/ ई- रिफ़र		प्रति नग/यूनिट	
२२.	साइडिंग, हाइड्रोलैंडिंग, ब्लॉक/चा पाइडर व अन्य कोटाचार व संक्रमक रोधक दवाई		प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
२३.	डाइमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका		प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
२४.	हिस्टेरूम, वालो पूर, रवे, समासेम आदि		प्रति ली./को. कु.ली.	
२५.	पी.बी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप सरसर्विजल पम्प		प्रति नग/ रनिंग मीटर	
२६.	हैंडपंप मरम्मत/रीवार सामग्री		प्रति नग/रनिंग मीटर	
२७.	अपना जिम/बैल मैदान उपकरण/ईसीनरेटर		प्रति नग	
२८.	आर.सी.सी. पाइप, ब्रूप पाइप		प्रति नग/रनिंग मीटर	
२९.	बारन स्टोरज टेक/बार कूलर आर.ओ.सहित		प्रति नग/लीटर	
३०.	रनिंग वाटर संचालन उपकरण		प्रति नग/रनिंग मी.	
३१.	अन्यथाई स्थला/सौर शेड		*****	
३२.	आओपाक-२ सम्बंधित समस्त कार्य			
नोट:- यदि किसी भी फर्म/फलप्राप्त/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागगी नियम प्रचलन में आए है तो संबंधित को उसकी भी कारवाई के माध्यमों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना हाँगा।				
(श्री अभिराम सिंह ग्राम प्रधान)			(श्री गंगा सिंह सचिव)	
ग्राम पंचायत हुसैनगंज			ग्राम पंचायत हुसैनगंज	
विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)			विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)	

कार्यालय ग्राम पंचायत भतवाली विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर

प्रार्थक:- मोमो, ग्र.प./सामग्री आर्गुनि/ विकास कार्य/ निविदा/ कूटेशन/2025 दिनांक:-08/04/2025

अल्पकालीन निविदा/ राशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत भतवाली विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार ग्राम पंचायत भतवाली ग्रामपंचायत/महाराज 15 वां वित्त/वित्त विवर/ RGSA व OSR को मर से निम्नार्थ कार्य ग्राम प्राधनार्थ एवं अन्य शासकीय मरों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु ग्राम पंचायत से निर्यात मानक गुणवत्ता के अनुसार उच्च कालि को सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कूटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता निम्न 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर रात 12 बजे तक अधोहातास्थरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाँस में सीलबंद निविदा/कूटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 18/04/2025 तक ग्राम पंचायत की कमेट्री के समक्ष निविदा ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर रखी जायगी। स्वीकृत निविदा/कूटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध भनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवश्यक भनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री को आपूर्ति ग्राम पंचायत (ग्राम एवं संचित) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री को मात्रा अनुसार कन अनुसूच पाई/बाई/ जा सकती है। सामग्री को आपूर्ति ग्राम पंचायत के पश्चिम में स्वीकृत दर पर निर्यात मानक गुणवत्ता पर करनी होगी। सामग्री को आपूर्ति का पंचायत को स्वीकृत की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विषय में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. को दरो को अनुसूच पी. डब्ल्यू.डी. के टेंड ऑफ शोडुलर के अनुसार होगी। सामग्री को आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्यात समर सामग्री के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री को गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुसूच नहीं पाये जाने की स्थिति में पुरातन को भनराशि में से निम्नानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	युनिट मात्रा	
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालर रेत/मिट्टी 20 संहत/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बारफूट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईट 40 एम.एम./गोड़ी/ पत्थर गोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईट प्रथम श्रेणी एम.एम.-150/ईट बालद एम.-275	प्रति गन हजार	
06.	डिस्टल कट इटल 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तक	प्रति गन	
07.	पंचायत दर ऑनरिस इन्सुलमेटेड/ पुस्तकायत इन्विनमेटेड	प्रति गन/यूनिट	
08.	एम.आर.एल.ए. व अन्य सामग्री/कम्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार इटल/कंग डालस	वर्ग मीटर	
10.	सिरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड्की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईलस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चार/टीन शीट की चार	वर्ग मीटर/गन	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कार्पायल/टिप्पर/प्लाई	प्रति गन/वर्ग मी.	
14.	सीसी लाइट नया/मरमत्त उपकरण शौ चालिय सोट	प्रति गन	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरमत्त उपकरण/यूनिट सोट	प्रति गन	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति गन	
17.	सेन्टी सामग्री/ लोहे का फ्रेंसिंग तार,ग्रास कर	प्रति गन/वर्ग मी.	
18.	फणिग मरिन/रस मरिनी, सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति गन	
19.	ऑफिस फनींचर,कम्प्यूटर फिन्नर,इन्वेंट्री, बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा, अलुमिनियम रूत, प्लाई,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपकरण इतरे वाली सामग्री	प्रति गन	
20.	इस्टिभेशन/इन्सीट/एल/एम्ब्रिग सामग्री प्लांटिंग कार्य	प्रति गन	
21.	कुड़ा गाड़ी/टेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्षा	प्रति गन/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोरिक/डि, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटाशयन व सफ़ाकर्म रोपक दवाएं	प्रति ली./किलो/गन/प्रति पैकेट	
23.	ग्रामपंच लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइक्रा	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टमेट, लुट, टी.रे, समोस आदि	प्रति कि.ग्रां./किलो, ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल नप्प	प्रति गन/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरमत्त/रबीरा सामग्री	प्रति गन/रनिंग मीटर	
27.	आयस मशिन/खेल नाला उपकरण/इंसीनोकर	प्रति गन/रनिंग मीटर	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ब्लू पाइप	प्रति गन/रनिंग मीटर	
29.	बार स्टोरेज टैंक/बालर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति गन/लीटर	
30.	रनिंग बार सफाई उपकरण	प्रति गन/रनिंग मी.	
31.	अन्योक्ति स्थल/ समुह शोड		
32.	ऑटोएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य		

नोट:- यदि किसी फर्म/संघ, सलायन/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागिय निर्माण प्रकलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कारवाई के भनकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती ग्यावा देवी ग्राम प्रधान)

(श्री एनोजे एंथोनी सवित्र)

ग्राम पंचायत भतवाली

ग्राम पंचायत भतवाली

विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)

विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)

कायालव ग्राम पंचायत बूढ़पुर विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर			
प्रार्थक:- मीनो, 'ग्रा.प./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेरन/2025 दिनांक:- 08/04/2025			
अपत्यकता निविदा/कुटेरन सूचना			
समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत बूढ़पुर विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुसूचित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्थाप्य भारत मिशन ग्रामीण/मरग्रा-15 वा वित्त/राज्य वित्त/ RGSA व OSR को मर से निष्काह कार्य हेतु ग्राम धरणाई एवं अन्य सामग्रीय मरों के अंतर्गत निम्न कार्य कराये जाते हेतु ग्राम पंचायत से निम्नित ग्राम/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कालि को सामग्री निम्न कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरवर्षे सोलवर्क निविदाएं/कुटेरन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मों/आपूर्तिकर्ता कितांन 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कायालव दिवस में समस्त 10 बजे से लेकर प्रथम 12 बजे तक अधोस्ताक्षरी के कायालव ग्राम पंचायत पर बतौर बॉन्ड में सोलवर्क निविदा/कुटेरन सहित नम्रा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 18/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्मति ग्राम पंचायत के कन्स्ट्रक्शन्स क्लायर पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेरन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध अभ्यन्त्रण के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर ही करे जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को सम्य-समय पर ग्राम आवर्तित निविदाएं पर होगी। आवश्यकता अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं/वाक) के लिखित आदेश पर ही करेगी। सामग्री को मात्रा अनुसार कान अनुसूच पाई/दाई/का सकते हैं। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के पथि में स्वीकृत दर पर निम्नित फर्म/दाई पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरते ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को जी.एस.टी. को अनुसूच संरक्षित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू. डी. को दरो को अंकुष पी. डब्ल्यू. डी. के रेट और शोधकृत के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निविदा सहित सम्य सोम के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता थिरीति मानक के अनुसार नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धरणा में से निम्नानुसार कटौती कर ले जायेगी। विजेता को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।			
क्र.सं.	सामग्री का नाम	युनिट मात्रा	
01.	सीमेंट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	चारुटेर/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईट 40 एम.एम./गेड्री/ चम्बर गेड्री 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईट प्रथम श्रेणी एम-150/ईट बालदार एम-275	प्रति नग/न हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तक	प्रति नग	
07.	पंचायत पर ऑफिस इन्सुलेशन/ पुस्तकालय इन्सुलेशन	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ. सेंटर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल/कंरा टाइल	वर्ग मीटर	
10.	सिरिया/लोह का जाल/लोह का गेटे खिडकी	प्रति कुंतल	
11.	लोह की ऐंगल/पाइप/डोर माईलस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेंट को बादर/टीन शेंड को चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामियायल/टिप्पर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सीमेंट लाइट नग/मरमतत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रुट लाइट नग/मरमतत उपकरण/यूनिट सीट	प्रति नग	
16.	विजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सीमेंट सामग्री/ लोह का फ्रेंसिंग तार,ग्रास कर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फागिंग मशीन/स्प्रे मशीन, सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फनीचर,कम्प्यूटर फिन्टर,इन्वर्ट,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा, अलुमिनियम दर्रे वाली सामग्री, पेनल, आरिउ उपकरण इतरे वाली सामग्री	प्रति नग	
20.	इंटरविजन/इंसीटीर/प्लास्मिग सामग्री प्लाज्मा कार्य	प्रति नग	
21.	कुड़ा गाडी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्सा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सीडियम, हाइड्रोक्लोरिक/डाय, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संत्रकक रोपक दवाएं	प्रति ली. /किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	ग्राइमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माडका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी	
24.	डिस्टेंस, बोल्ट प्लेट, रेट, समोस आदि	प्रति कि.ग्रा./कु.ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरमतत/तीन उपकरण	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	अपवास जिम/खेल मैदान उपकरण/ईसीनर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ब्लू पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	रांग स्टोरज बैक/वाकर कुलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सफाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्योदित स्थल/ सहारू शूड	*****	
32.	आई.ओ.एफ.नं. से सम्यचित समस्त कार्य		
नोट:- यदि किसी भी फर्म/सल्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नग्य विभागीय निर्णय प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कारवाई के मामलों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।			
(श्री लाल सिंह ग्राम प्रधान)		(श्री गंगा सिंह सचिव)	
ग्राम पंचायत बूढ़पुर		ग्राम पंचायत बूढ़पुर	
विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)		विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)	

कार्यालय ग्राम पंचायत डोलसर विकास खण्ड शहाबाद जिला रामपुर				
प्राक्तन:-मीमो, ग्रा.प./सामग्री आगंतुक/विचारक नाम/निविदा/कूटेशन/2025 दिनांक:-08/04/2025				
अल्पकालीन निविदा/ रासपुर नया				
समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत डोलसर विकास खण्ड शहाबाद जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अनुसंधान एवं विकास के द्वारा अनुसंधित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अनुसंधान खण्ड भागत मिशन ग्रामपंचायत/महाराज/15 वां वित्त/रजम वित्त/ RGSA व OSR को मर से निष्पन्न कार्य हेतु ग्राम पंचायत धराधार एवं/अथवा किसी मर्मों के अंतर्गत निम्नांक कार्य कराये जाते हेतु ग्राम पंचायत से निष्पत्ति मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि को सामग्री निम्नांक कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहकद्वारे सिलबंद निविदाएं/कूटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मों को आपूर्तिकर्ता के विवरण 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर पहरा 12 बजे तक अभ्यर्थी साक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे गोप्रास में सोबकद्वारे निविदा/कूटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 18/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्विधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कूटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति पंचायत में उपलब्ध भनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय- समय पर ग्राम आवृत्ति भनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं/अथवा) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा अनुसंधानक अनुसार पाइप/दाइयाँ आ सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के पथिध में स्वीकृत दर पर निष्पत्ति मानक/गुणवत्ता पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का अनुसंधान के स्वीकृत को स्वीकृति के उपरंत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विषयों में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों को अनुरूप पी. डब्ल्यू.डी. के दरें और/अथवा शोधकृति के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निष्पत्ति मानक के अनुसार सामग्री मर्मों के अंतर्गत को भी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निष्पत्ति मानक के अनुरूप नहीं पाये जाते की स्थिति में पुरानत के भनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।				
क्र.सं.	सामग्री का नाम	युनिट मात्रा	दर	
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन		
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.		
03.	चनकट्ट/ बजरा 20 एम.एम.	घन मी.		
04.	ईट 40 एम.एम./गेज/ पत्थर रोडों 40 एम.एम.	घन मीटर		
05.	ईट प्रथम श्रेणी एम-150/ईट बालसर एम-275	प्रति नग/हजार		
06.	इस्तेलक टाइल 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तक	प्रति नग		
07.	पंचायत पर ऑनफिन इन्सुलेशन, पुस्तकायन इन्विनमैट	प्रति नग/यूनिट		
08.	एम.आर.एफ. एन.एन सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.		
09.	दीवार टालस/कंरा टालस	वर्ग मीटर		
10.	सिंघा/लोह का जाल/लोह का गेट खिडकी	प्रति कुंतल		
11.	लोह की ऐंगल/पाइप/डोर माईलस	प्रति कुंतल		
12.	सीमेन्ट की चारट/टीन शेंस की चादर	वर्ग मीटर/नग		
13.	लकड़ी के दरवाजे/काष्ठाईयल/टिप्पर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.		
14.	सौर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग		
15.	सौर लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूनिट सीट	प्रति नग		
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग		
17.	सीमेन्ट सामग्री/ लोह का फ्रेंसिंग तार,ग्रास कटर	प्रति नग/वर्ग मी.		
18.	फागिंग मशीन/स्प्रे मशीन, सी.सी. बैच/ डेस्क का बैच	प्रति नग		
19.	ऑफिस फनीचर, कम्प्यूटर फिन्नर,इन्वर्टर, बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा, अलमारी,दरि पंख,ड्राइक्रेप्टर,सोलर पैनल, आदि उपकरण इन्वे वला सामग्री	प्रति नग		
20.	इंटरविजन/इन्स्टीट्यूट/एलव्मिनी सामग्री प्लाज्मा कार्य	प्रति नग		
21.	कूड़ा गाडी/टेली एवं सफाई किट/ ई-रिस्कार	प्रति नग/यूनिट		
22.	सुडिडियम, हाइड्रोक्लोरिक/ड्राइ, ब्रॉन्सिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व स्रंक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली. किलो ग्राम/ प्रति फैकेट		
23.	प्रधान लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइक्रा	प्रति ली./वर्ग कूट/मी		
24.	डिस्टेंस, वॉल पट्टी, रेल, समोसि आदि	प्रति कि.ग्रा/ कूट/मी		
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समस्तसिलि वनर	प्रति नग/ रनिंग मीटर		
26.	हैडपम मरम्मत/रीबीस सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर		
27.	अन्य विम/खेल मरमा उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग		
28.	आर.सी.सी. पाइप, ब्लू पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर		
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आ.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर		
30.	रनिंग वाटर सफाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.		
31.	अन्यईष्ट स्थल/ सफाई शूड	*****		
32.	आईएफएन+ से सम्बंधित समस्त कार्य			
नोट:- यदि किसी भी फर्म/सलपयार/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विषयागोय प्रस्ताव प्रस्तुत में आता है तो संबंधित को उसकी भी कारवाई के भनराकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।				
(श्री आजाद मोहम्मद ग्राम प्रधान)			(श्री एनोज एंथोनी सचिव)	
ग्राम पंचायत डोलसर			ग्राम पंचायत डोलसर	
विकास खण्ड शहाबाद (रामपुर)			विकास खण्ड शहाबाद (रामपुर)	

कायाँलवाँ ग्राम पंचायत जनकपुर विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर				
प्रार्थक:- मीनो, 'ग्रा.प./सामग्री आपूर्ति/ विकास कार्य/ निर्दिष्ट/ कुटेशन/ 2025 दिनांक:- 08/04/2025				
अपकालीन निविदा/ राश्ट्रिय सूचना				
समस्त अधिकृत फर्मो, पञ्जीकृत विजेताओ को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत जनकपुर विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमति प्राप्त ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्थाप्य भारत मिशन (ग्रामपंचायत/महाराज 15 वाँ विवत/राम विवत/ RGSA व OSR को मर से निष्काश करने तथा ग्राम धरायाथ एवं अन्य सामग्रीको मरों के अंतर्गत निम्नांक कार्य करवाये जाने हेतु ग्रामपंचायत से निश्चित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि को सामग्री निम्नांक कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबन्ध सिलबन्ध निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मो/आपूर्तिकर्ता को निवेदित 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कायाँलवाँ विस्वम में समस्त 10 बजे से लेकर पंचार 12 बजे तक अधोदस्ताक्षरी कर कायाँलवाँ ग्राम पंचायत पर बज्र बाँसम में सोलबन्ध निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि निर्दिष्ट 18/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेट्री के समक्ष उपस्थित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध बज्रबासि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को सम्य- सम्य पर प्राप्त आवर्तित धरायाथ हेतु होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री को आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं/वाय) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री को मात्रा अनुसारक अनुसूच पाय/दाया/जा सकती है। सामग्री को आपूर्ति ग्राम पंचायत की पध्ति में स्वीकृत दर पर निश्चित मात्रा/वजन पर करनी होगी। सामग्री को आपूर्ति का प्रमाण अनुदस्ताक्षरी को स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को जी.एफ.टी. का अनुसूच सौंपाई निम्न विषयाम में देना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों को अंकुश पी. डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री को आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निश्चित समय सामग्री के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रभुतान को धरायाथ में से निम्नामनुसार कटौती कर ली जायेगी। निवेदा को बिना कारण बज्राये निस्वत करने को अनिष्ट ग्राम पंचायत को होगा।				
क्र.सं.	सामग्री का नाम	युनिट मात्रा	दर	
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन		
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.		
03.	बारकट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.		
04.	ईट 40 एम.एम./गेज/ चक्कर रोडो 40 एम.एम.	घन मीटर		
05.	ईट प्रथम श्रेणी एम-150/ईट बालदार एम-275	प्रति नग/हजार		
06.	इस्तेमाली टाइल 80 एम.एम./ 60 एम.एम./ पुस्तक	प्रति नग		
07.	पंचायत पर ऑनरिय इन्सुपेक्शन, पुस्तकायुथ इन्विजमेट	प्रति नग/युनिट		
08.	एम.आर.एफ. सॉफ्ट व अन्य सामग्री/कम्प्लीट काप	प्रति घन मी./वर्ग मी.		
09.	दीवार टाइल/कंज टाइल	वर्ग मीटर		
10.	सिरिया/लोह का जाल/लोह का गेट खिकी	प्रति कुंतल		
11.	लोह की रँगल/पाइप/डोर माईडल	प्रति कुंतल		
12.	सीमेन्ट शेड का चार/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग		
13.	लकडी के दरवाजे/कागजियत/टिप्पर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.		
14.	सीसे लाइट नया/मरम्मत उपकरण/शौचालय सोट	प्रति नग		
15.	स्टूट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूनिट सोट	प्रति नग		
16.	विजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग		
17.	सेफ्टी सामग्री/ लोहे का प्रसिंग तार,ग्रास/ग्रास	प्रति नग/वर्ग मी.		
18.	फोर्गेड मशीन/से मशीन, सी.सी. बैच/ डेस्क का बैच	प्रति नग		
19.	ऑफिस फनीचर,कम्प्यूटर फिन्ट,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा, अलमारी,दरौ पेंड,डिस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपकरण/सेवे वाली सामग्री	प्रति नग		
20.	इन्टरनिंग/इन्सीटीट/प्लम्बरी/ सामग्री प्लायाँव कार्य	प्रति नग		
21.	कूड़ा गाडी/टेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्सा	प्रति नग/युनिट		
22.	सीडियम, हाइड्रोक्लोरिक/डबल, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संत्रकक रोपक दवाएँ	प्रति ली. /किलो ग्राम/ प्रति फेकेट		
23.	प्राइमर लोह, लकडी /प्लाई एवं माडका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी		
24.	डिस्टेंस, बोल्ट पुन, रेट, समोसि आदि	प्रति कि.ग्रा./कु.ली.		
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर		
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/वीवीर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर		
27.	अपकालीन खल मैदान उपकरण/ईंसीनटर	प्रति नग		
28.	आर.सी.सी. पाइप, ब्लू पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर		
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर क्लूर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर		
30.	रनिंग वाटर सलगाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.		
31.	अन्योथि स्थल/ सहारु रोड	*****		
32.	आप्टीफेन्ड- से सम्योक्त समस्त कार्य			
नोट:- यदि किसी भी फर्म/सलयाय/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय विषय प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कारवाई के भावको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।				
(श्री दावतपुरास ग्राम प्रधान)			(श्री ग्राम सचिव सहियव)	
ग्राम पंचायत जनकपुर			ग्राम पंचायत जनकपुर	
विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)			विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)	

कार्यालय ग्राम पंचायत मथुरापुर विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर				
एम्पाक:- सीबी, ग्रा.प./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांक:-08/04/2025				
अधिकांश निविदा/कुशन सूचना				
समस्त अधिष्ठित फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत मथुरापुर विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अधिष्ठाित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वीच्य स्वच्छ भात भित्त निर्माण कार्य/मरम्मत/15 बल विद्युत्/विद्युत्/RGSA व QSR को पर से संपन्न हेतु प्राप्त निर्माण कार्य से निविदा मत मांग/गुणावत के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरदेव सोलवेब निविदाएं कुशन आमंत्रित की जाती है।				
स्वीच्य फर्मों/आपूर्तिकर्ताओं को अनिवार्य रूप से 17/04/2025 तक कार्यालय दिवस में स्वीच्य फर्म 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अप्रोवाइड करी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे जायेंगे।				
सोलावेब में सोलावेब निविदा/कुटेशन सहित समा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 18/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष संबंधित ग्राम पंचायत के वक्तावर प्रख्यात व्यवसायी/खाली निविदा/कुशन निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री को आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित निविदा पर होगी। आवश्यकतासार सामग्री को आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रमाण एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री को आपूर्ति ग्राम पंचायत अनुभव जानकारी देना/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री को आपूर्ति ग्राम पंचायत पर परिधि में स्वीकृत दर पर निर्माता काफिलेदार पर करनी होगी। सामग्री को आपूर्ति का भूतान अनुभव/अनुभव/संबंधित विषय में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत करें पी.डब्ल्यू.डी. की दरो को अग्रहण पी.डब्ल्यू.डी. की दरे और शोधकूल के अनुसार होंगी। सामग्री को आपूर्ति ग्राम पंचायत के आरोपनाना निर्माता निमित्त समस्त सामग्री के अंतर्गत की जा अनिवार्य है। सामग्री की आपूर्ति/भूमि निर्माण कार्य के अग्रहण नहीं एवं जाने का स्थिति में भूतान को नगराज में से निर्माण/भूमि करती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।				
क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनैट मात्रा	दर	
01.	सोल्ट	घन मीटर/टन		
02.	बाँलू तार/मिट्टी दूरी सहित/लोकरल रेत	घन मी.		
03.	बजरफुड/बजरी 20 एम.एम.	घन मी.		
04.	इट 40 एम.एम./सी.एस/ इट 40 एम.एम.	घन मीटर		
05.	इट प्रथम श्रेणी एम - 150/इट वालादर एम - 275	प्रति नग हजार		
06.	इट/रॉलर टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुलक	प्रति नग		
07.	आधार पावर ऑफिस इनक्यूबेटर, पुस्तकालय इन्क्यूबेट	प्रति नग/यूनैट		
08.	पंचायत घर, सेंट्रर व अन्य सामग्री/कन्स्ट्रिक्ट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.		
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर		
10.	सिखाया/लोह का जाल/लोहा का गेट डिङ्कड़ को	प्रति कुशल		
11.	लोह की ऐलन/पालाड/छोर माहडिड	प्रति कुशल		
12.	सोलेमेट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग		
13.	लकड़ी के दरवाजा/काशीस्थल/टिप्पर/लाई	प्रति नग/वर्ग मी.		
14.	सोलेर लाइट नया/मरम्मत उपकरण/चादर चादर साँट	प्रति नग		
15.	स्टील लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग		
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग		
17.	सेन्ट्री सामग्री/लोह की प्रोसेसिंग तार/चादर	प्रति नग/वर्ग मी.		
18.	फार्मिंग मशीन/स्प मशीन,सी.सी. बेंच/ डैस्क का बेंच	प्रति नग		
19.	ऑफिस फनीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्टरनेट बैटरी,सीसी टी वी कैमरा,अनुवागरी रेश पैन्डा,इलेक्ट्रिक सोलेर	प्रति नग		
20.	पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।			
21.	कुटेशन/इंजीनर/लैम्बार्गि सामग्री प्लांकिंग कार्य	प्रति नग		
22.	फुडगाड़ी/टेली एच सहाई डिङ्कड ई-रिश्शा	प्रति नग/यूनैट		
23.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लॉकिंग पाउडर व अन्य कौलाशक व संक्रमक रोधक चलाए	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति फैक्टर		
24.	प्राम्तर लोहा, लकड़ी/लाई एवं पाइका	प्रति ली./वर्ग पाइका		
25.	डिस्टम्पर, बल फुट्टी, पैंट, समासम आदि	प्रति क्रि.ग्रा./कु.ली.		
26.	पी.वी.सी. पाइप एवं जो. आदि ग्राम समरसीबल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर		
27.	हैंडपम्प मरम्मत/रिबोस पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर		
28.	ओपन जिम/खल मैदान उपकरण/ईसीनर	प्रति नग		
29.	आर.सी.सी. पाइप, कूप पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर		
30.	वाटर स्टोरजि टेक/वाटर क्लैटर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर		
31.	रनिंग वाटर सल्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.		
32.	अन्योथ स्थल/ समुह शह	*****		
33.	आडीएफ+ स सम्बंधित समस्त कार्य	*****		
नोट:- यदि किसी भी फर्म/सलायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागिय प्रस्ताव प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी को कारवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।				
(श्री कल्या सिंह ग्राम प्रधान) ग्राम पंचायत मथुरापुर विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)			(श्री ग्राम सिंह सचिव) ग्राम पंचायत मथुरापुर विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)	

कांयालय ग्राम पंचायत बिचपुरी संग्रामपुर वि. ख. शाहबाद जिला रामपुर				
पञ्चाङ्ग:- मीनो./ग्रा.प./सामग्री प्रमाणित/विकास कार्य/निविदा/कुटेरान/2025 दिनांक:- 08/04/2025				
अन्यकालीन निविदा/कुटेरान सूचना				
समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को पुनर्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत बिचपुरी संग्रामपुर विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के द्वारा अगोपित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत सूचना प्रसारित भारत मित्तन ग्रामपञ्चायत/मंगरगं/15 वां वित्त/नगर वि.प/ RGSB व OSR को ग्राम पंचायत को मदद से निष्पादित कार्य हेतु प्राप्त भराशरीय एवं अन्य शराशरीय मर्चों के अंतर्गत निष्पादन कार्य कायमाग्री निष्पादन कार्य हेतु प्राप्त भराशरीय से निष्पादित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री सामग्री निष्पादन कार्य प्राप्त पर आपूर्ति करने हेतु मोहबरेद सिलबरेद निविदा/कुटेरान अगोपित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता निम्नंक 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय विकास से मिलेंगे। 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अप्रोहातराशरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर सूच बॉक्स में सिलबरेद निविदा/कुटेरान सहित सख्त कर सकते हैं। जो। निविदा/कुटेरान 08/04/2025 को ग्राम पंचायत की कठरी के समक्ष सम्पन्नित ग्राम पंचायत वल्लभस्वर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेरान के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध कराने के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आशरी पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समग्र-समय पर प्राप्त आबोहत भराशरी पर हांगी। आशरकयमाग्री सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/सर्विच) के लिखित आशरी पर करे जायेगी। सामग्री को पुराना आवकयमाग्री अनुसार पडाई/बढाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की पुराना में स्वीकृत करे पर निष्पादित कार्यसल्ल पर करनी हांगी। सामग्री की आपूर्ति का पुराना अप्रोहातराशरी को स्वीकृत के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को पी.एस.टी./पंजीकृत कराने विभाग में हाँना अतिवर्षा है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों को अनुसार पी.डब्ल्यू.डी. के अति परसुडल के अनुसार हांगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आशरशराशरी निष्पादित समग्र सख्त कर अंतर्गत की जानी अतिवर्षा है। सामग्री को गुणवत्ता धारित मानक के अनुसार पडाई पावे जाते की स्थिति में भूगुणवत्ता की भराशरी से से निष्पादनासार कठरी कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण आपूर्ति निरल्ल करे को अधिकतर प्राप्त पंचायत को हांगी।				
क्र.सं.	सामग्री को नाम	युनिट मात्रा	दर	
01.	बालू तल/मिट्टी दूरी सल्ल/लोकल रेत	प्रति बग/टन		
02.	बजरकूट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.		
03.	इंट 40 एम.एम./रंगी/ पक्कर सल्ल 40 एम.एम.	घन मीटर		
04.	इंट प्रथम श्रेणी एम-150/इंट बालादर एम-275	प्रति घन हजार		
05.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम./ 60 एम./पुलक	प्रति ग्रा		
06.	पंचायत बर ऑफिस इन्वन्स्टमेंट, पुलककयमाग्री इन्वन्स्टमेंट	प्रति घन/युनिट		
07.	आर.एफ.एफ.सन्टर व अन्य सामग्री/कम्पल्लेड काय	प्रति घन मी./वर्ग मी.		
08.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर		
09.	सल्ल/गोला का जाल/लॉक गा गेड्डि/को	प्रति कुल्ल		
10.	लॉक की एल्ल/पावडा/बोर मासल्ल	प्रति कुल्ल		
11.	सल्लेन्ट की चादर/टीन शेंड की चादर	वर्ग मीटर/ग्रा		
12.	लकडुई के दरबाज/काशीसल्ल/टिप्पर/लॉक	पुन/वर्ग मी.		
13.	सल्लेन्ट लाइट गुना/भरमल्ल उपकरण/सिलबरेद सिलबरेद सल्ल	प्रति ग्रा		
14.	स्ट्रीट लाइट गुना/भरमल्ल उपकरण/युनिट सल्ल	प्रति ग्रा		
15.	बिलाली उपकरण/इन्वन्स्टमेंटन कार्य सामग्री	प्रति ग्रा		
16.	सल्लेन्ट सामग्री/ लॉक को प्रोसल्लन कार्य काय	प्रति ग्रा/वर्ग मी.		
17.	फोर्गिंग मशीन/सल्ल मशीन/सी.सी. बॉच/ डब्लक का बॉच	प्रति ग्रा		
18.	ऑफिस फनीचर/क.कम्प्यूटर/प्रिन्टर/इन्वन्स्टमेंट बैटरी/सल्लेरी टी.के.कैमरा, अल्लमारी, रूरी पंख, इन्वन्स्टमेंट, सल्लेरी पैन्ल, आदि उपयुक्त हावे वाली सामग्री।	प्रति ग्रा		
19.	कुटेरान/इन्वन्स्टमेंट/सल्लमग्री सामग्री पाल्लिंग काय	प्रति ग्रा		
20.	डब्ल्यू/टोली एन/सल्ल कल्लिट/ट-इन्सुला	प्रति ग्रा/युनिट		
21.	सोडियम, हाड्डुईकलोराइड, ब्लॉकिंग पाउडर व अन्य कोलाशक व सक्रमक रोथक सल्लए	प्रति ली./किलो ग्रा/एम/पेट्ट		
22.	प्रामल्ल लोहा, लकडुई/ल्लवाई एव मासका	प्रति ली./वर्ग फुट/मीटर		
23.	डिस्टमर, बल्ल पुट्टी, पेट्ट, सल्लमास आदि	प्रति कि.ग्रा./कुं./ल्लो		
24.	पी.बॉ.सी. पाडल एव जो.आदि ग्राम समसल्लेबल पम्प	प्रति ग्रा/ रॉगिंग मीटर		
25.	हैण्डपम्प भरमल्ल/रॉगिंग सामग्री	प्रति ग्रा/रॉगिंग मीटर		
26.	आपन जिम/खल्ल मैदान उपकरण/इन्वन्स्टमेंटर	प्रति ग्रा		
27.	आर.सी.सी. पाडल, हल्लु पावडा	प्रति ग्रा/रॉगिंग मीटर		
28.	वाटर स्ट्रीटिंग टैक/वाटर कुल्लर आर.आ.सल्लहत	प्रति ग्रा/लीटर		
29.	रॉगिंग वाटर सल्लवाई उपकरण	प्रति ग्रा/रॉगिंग मी.		
30.	अन्योचक स्थल/ समुह सल्ल	*****		
31.	आड्डाएफ+ सल्लमग्री/ग्राम समल्ल काय	*****		
नोट:- यदि किसी भी फर्म, सल्लमग्री/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी ग्रा विभागिय अतिवर्षा प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को				
अतिवर्षा कर से पूर्ण कराना हांगी।				
(श्री कृष्ण अली ग्राम प्रथान)			(श्री गंगा सिद्ध सल्लिच)	
ग्राम पंचायत बिचपुरी संग्रामपुर विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)			ग्राम पंचायत बिचपुरी संग्रामपुर विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)	

कार्यालय ग्राम पंचायत नरखेड़ी विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर				
पत्रांक:- मीनो, /ग्रा.प./सामग्री आर्वा/विचार कार्य/निविदा, कुडरग/2025 दिनांक:-08/04/2025				
अल्पकालीन निविदा/रूपानुसार सूचना				
समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत निविदाओं को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत नरखेड़ी विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार सड़क भारत मिशन (ग्राममार्ग/मरेग्री) 15 प्रतिशत/रमय विवर. RGSA व OSR को मर से निष्कास करने हेतु प्राप्त भवित्तीय एवं अन्य शासकीय मर्गों के अंतर्गत निविदाएं कार्य करायें जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मात्रा गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि को सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहबत्त के निविदार/कुडरग आगति को भी है। इच्छुक फर्मों/आपूर्तिकर्ता निविदा 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक आधिकारिकी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बांध्य में सोलारबंद निविदा/कुडरग सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 18/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष निवेदन ग्राम पंचायत को क्लस्टर मुख्यालय पर रखी जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुडरग के अनुसार सामग्री को आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध भवित्तीय के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर को जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवर्तित धनराशि पर होगी। आवश्यकताानुसार सामग्री को आपूर्ति ग्राम पंचायत (ग्रामा एंग्र/बंद) के लिखित आदेश पर को जायेगी। सामग्री को मात्रा आवश्यकता अनुसार धरा/बंद/बांध जा सकती है। सामग्री को आपूर्ति ग्राम पंचायत की परमि में स्वीकृत कर पर निर्धारित करपयल पर करनी होगी। सामग्री को आपूर्ति का पुरातन अधोस्तराहमी को स्वीकृति के उपर्युक्त हो किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को जो एग्री.त. पंजीकरण पत्र/निवेदन विषय में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्ल्यू. को, दो दरो को अनुसूचक पी.डब्ल्यू. को, के दर और शेड्यूल के अनुसार होगा। सामग्री को आपूर्ति ग्राम पंचायत के अधोस्तराहमी निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत को जानी अनिवार्य है। सामग्री को गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं जाने जाने को स्थिति में पुरातन को धनराशि में से नियमनानुसार कटौती कर को होगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने को अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।				
क्र.सं.	सामग्री को जाने	व्युत्पन्न मात्रा	दर	
01.	सीमेंट	प्रति बैग/टन		
02.	बाल रेत/मिट्टी/दरी सहित/लोकल रेत	घन मी.		
03.	बजरफूट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.		
04.	ईट 40 एम.एम./रेड्डी फेब्रर रेड्डी 40 एम.एम.	घन मीटर		
05.	ईट प्रथम श्रेणी एम-150/ईट बालर एम-275	प्रति नग हजार		
06.	इंटरलॉक टाइल 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुलक	प्रति नग		
07.	पंचायत घर ऑफिस ड्यूमपेस्ट/ पुस्तकालय इक्विपमेन्ट	प्रति नग नग/वर्ग मी.		
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कमलटी कार्य	प्रति घन मी./घन मी.		
09.	दीवार टाइल/फर्नीचर टाइल	वर्ग मीटर		
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का रेट पिछड़की	प्रति कुंतल		
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईलडस	प्रति कुंतल		
12.	लोहे को चार/टीन शेंड को बाल	वर्ग मीटर/नग		
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामरिशिल/टियमर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.		
14.	सोनेरी लाइट नया/मरम्मत उपकरण शोचालय सेंट	प्रति नग		
15.	स्टील लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सेंट	प्रति नग		
16.	बिजली उपकरण/एलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग		
17.	सेनेड्री सामग्री/ लोहे का फ्रेंसिंग तार,ग्रास कर	प्रति नग/वर्ग मी.		
18.	फागिंग शशीय/सूय मशीन, सौ.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग		
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर सिस्टम,इन्वर्टर,डेस्टी,सीसी टी.वी.केमरा,अलमारी,दरी पंजरा,डस्कटॉप,सोलर प्लैट, आरि उपयुक्त होरो वाली सामग्री	प्रति नग		
20.	इस्टर्बिग/इन्सीटीय/पम्पमरीन सामग्री प्लांबिंग कार्य	प्रति नग		
21.	कुडगा गाड़ी/टेली एंव सफाई किट/ ई-रिस्का	प्रति नग/व्युत्पन्न		
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोरिक, स्टीचिंग पाउडर व अन्य कोटायासक व संत्रिकम रोपक दवाएं	प्रति ली. किलो ग्राम/ प्रति पैकेट		
23.	प्राईमर लोहा, लोहा/ प्लाई एंव मादिक	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.		
24.	डिस्टम्पर, बोल पुट्टी, पेंट, सामान्य आड	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.		
25.	पी.वी.सी. पाइप एंव को.आई. पाइप समरसेबिल यम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर		
26.	हैंडपम्प मरम्मत/रीवर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर		
27.	अपना बिम/खेल ग्राहक उपकरण/इसीनर	प्रति नग		
28.	आर.सी.सी. पाइप, ब्राम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर		
29.	बार स्टीरेंज टैंक/वाटर कुल्ल आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर		
30.	रनिंग वाटर समरसेबिल यम्प	प्रति नग/रनिंग मी.		
31.	ऑटोप्रेट स्थल/ समूह शेंड			
32.	अंडीएफ+ से समर्थित समस्त कार्य			
नोट:- यदि किफायी व फल/फलपार/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विषयगोपी नियम प्रकाश में आता है तो संतोषात को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पुर्य करना होगा।				
(मानसी कुमारी ग्राम प्रधान)			(श्री इनेजार अली सखिव)	
ग्राम पंचायत नरखेड़ी			ग्राम पंचायत नरखेड़ी	
विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)			विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)	

कार्यालय ग्राम पंचायत रजोड़ी विकास खण्ड शाहवाड़ जिला रामपुर

प्राक्तः-मीनो, ग्रा.प./सामग्री आगुति/ विकास कार्य/ निविदा/ कुटेरा/ 2025 दिनांक:-08/04/2025

अल्पकालीन निविदा/ कुटेरा सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत रजोड़ी विकास खण्ड शाहवाड़ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन प्रायोजन/मंगरो/15 जे विव/एनव विव/ RGSB व OSR को मंद से समर्थन को हेतु प्रायोजन धराशायी एवं अन्य शासकीय मर्दों के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य कराये जाने हेतु प्रायोजन सूची में निर्धारित मानक/गुणवत्त के अनुसार उच्च कोटि को सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंदी सीलबंद निविदाएं/कुटेरा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर पंद्रह 12 बजे तक अधोस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत रजो बॉक्स में सोलबंद निविदा/कुटेरा सूचना सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 18/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष अंतिम प्रायोजन ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय रजो खोली जायेगा। स्वीकृत निविदा/कुटेरा से अनुसंधान सामग्री को आगुति ग्राम पंचायत में उपलब्ध भण्डारि के आधार पर प्रायोजन कार्य के लिखित आदेश पर को जायेगा। जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्रायोजन आवंटन भविष्य पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री को आगुति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सह) के लिखित आदेश पर को जायेगा। सामग्री को मात्रा अनुसंधान कार्य प्रमाण पत्र/बहाई जा सकती है। सामग्री को आगुति ग्राम पंचायत को परिश्रम में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर प्रदान होगी। सामग्री को आपूर्ति का भुगतान अंतर्गत सामग्री को स्वीकृति के उपरत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को जी.एस.टी. अनुसंधान संबंधित विषय में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू. डी. को दरों को पंक्ती पर पी.डब्ल्यू. डी. के टेंडर ऑफ रोडवेल के अनुसार होगी। सामग्री को आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत को जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं जाने जाये की स्थिति में भुगतान के धराशाय में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	युनिट मात्रा	दर
01.	सीमेंट	प्रति बैग/टन	र
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	र
03.	काचरकट्ट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	र
04.	ईट 4एम.एम./गेड्डी/ चक्कर 90एम.एम.	घन मीटर	र
05.	ईट प्रथम श्रेणी एम-150/ईट बालरएम-275	प्रति घन म हजार	र
06.	इंटेलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तक	प्रति नग	र
07.	पंचायत पर ऑफिस इन्फ्रामेंट/ पुस्तकालय इन्फ्रामेंट	प्रति नग/युनिट	र
08.	एम.आर.एफ.सेंजर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	र
09.	दीवार टाइल्स/फ्लोर टाइल्स	वर्ग मीटर	र
10.	सिस्पा/लोहे का जाल/लीट का गेटे रिड्डी	प्रति कुंतल	र
11.	लोहे की रैंगल/पाइप/डोर माईलस	प्रति कुंतल	र
12.	सीमेंट की चादर/टीन शेट की चादर	वर्ग मीटर/नग	र
13.	लकड़ी के दरवाजे/कार्पासियल/टियरर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	र
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शीं चादर सहित	प्रति नग	र
15.	स्ट्रुट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिल सॉलर	प्रति नग	र
16.	विजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	र
17.	फेंगेटी सामग्री/ लोहे का प्रेसिंग तार/डरकर	प्रति नग/वर्ग मी.	र
18.	सोनीग्री मशीन/सैन मशीन, सी.सी. बैच/ इस्कर का बेंच	प्रति नग	र
19.	ऑफिस फर्नीचर/कम्प्यूटर डिस्क/इन्टर/बैटरी/सीसी टी.वी.कैमरा, अलमारी/दरिं पंखा/डेस्कटॉप/सॉलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री	प्रति नग	र
20.	डस्टबिन/इन्सीटल/प्लास्मिड सामग्री प्लास्मिड कार्य	प्रति नग	र
21.	कुड़ा गाडी/टेली एंटी सफाई किट/ ई-रिश्का	प्रति नग/युनिट	र
22.	सीडिडम, हाइड्रोकार्बोनाइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोगक दवाएं	प्रति ली. /किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	र
23.	प्राइमर लोहा, लकड़ी /प्लाई वॉड में माइका	प्रति ली. /वर्ग फुट/मी.	र
24.	डिस्टम्पर, बॉल पुट्टी, रंग, सामग्री आदि	प्रति कि.ग्रा./ कूट/मी.	र
25.	पी.वॉ.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समस्तसंबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	र
26.	हैडपम्प मरम्मत/रबोवो सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	र
27.	आपन बिज/खेल मैदान उपकरण/इलेक्ट्रोनिट	प्रति नग/रनिंग मीटर	र
28.	आर.सी.सी. पाइप, ब्ला पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	र
29.	वाटर स्टोरेज बैंक/वाटर क्लूर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	र
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	र
31.	अन्योडिड थ्यल/ समूह शेट	*****	र
32.	ऑफोएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	*****	र

नोट:- यदि किसी भी फर्म, सलपयर / आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागनीय प्रस्ताव प्रस्तुत में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती राजकुमारी ग्राम प्रधान)

(श्री इनेनवर अली सचिव)

ग्राम पंचायत रजोड़ी

ग्राम पंचायत रजोड़ी

विकास खण्ड शाहवाड़ (रामपुर)

विकास खण्ड शाहवाड़ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत डोहरिया विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर

प्रार्थक:- मोमो, ग्राम/समामी आदिवासि/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन 2025 दिनांक:-08/04/2025

अनुपकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत डोहरिया विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर में वितीय वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुसूचित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार संचयन खात मित्तन ग्रामपंचायत,मनरांगो 15 वां वित/अवधि वित्त/ RGSA व OSR को मर से निष्पन्न हो कर ग्राम धराराई एड 12 वजे तक अथोहाताश्वरी मर्दों के अंतर्गत निष्पन्न कार्य कराये जाने हेतु ग्राम पंचायत से निष्पत्ति मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि को समामी निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरवन्दे सोलवन्द निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय दिवस में निम्न 10 वजे से लेकर पंद्रह 12 वजे तक अथोहाताश्वरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बांध में सोलवन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 18/04/2025 को ग्राम पंचायत को कमेटी के समस्त समन्धिधारी ग्राम पंचायत के वलनर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार समामी को आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध मनरांगी के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर को जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समर- समर पर ग्राम आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकता अनुसार समामी को आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एड) के लिखित आदेश पर को जायेगी। समामी को मात्रा अनुसारक अनुसार पयई/बढ़ाई जा सकती है। समामी को आपूर्ति ग्राम पंचायत पर अधिक में खोजनु कर पर निष्पत्ति कार्यस्थल पर करनी होगी। समामी को आपूर्ति का गुणान पश्चिमाती को स्वीकृति के उपरत हो कि क्या जायेगा। आपूर्तिकर्ता को जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विषय में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. को दरों को अनुरूप पी. डब्ल्यू.डी. के रेट और/वा शोडलूक के अनुसार होगी। समामी को आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निष्पत्ति समर सोलवन्द के अंतर्गत को जानी अनिवार्य है। समामी को गुणवत्ता निष्पत्ति मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने को कि स्थिति में भुगतान को धनराशि में से निम्नानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कार्यालय परतवाये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेंट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	चरकर/उट बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईट 40 एम.एम./गेडी/पत्थर गेडी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईट प्रथम श्रेणी एम-150/ईट बालदार एम-275	प्रति नग/हजार	
06.	इंटरलोकिंग टाइल्स 80 एम.एम./60 एम.एम./पुस्तक	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इन्श्युमेंट- पुस्तकालय इन्क्विमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ. से अथ समामी/कम्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सफिया/लोह का जाल/लोह का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोह की ऐंगल/पाइप/डोर मॉडैलस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेंट की चार/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	कंक्रीट के दरवाजे/कार्पासियल/टिप्पर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सैलरी लाइट नग/मरमत्त उपकरण शौचालय सैट	प्रति नग	
15.	स्टील लाइट नग/मरमत्त उपकरण/यूरि सैट	प्रति नग	
16.	विजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य समामी	प्रति नग	
17.	फेनेट्री समामी/ लोह का फ्रेसिंग तार,ग्रास कर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	सोनींग मशीन/सूख मशीन, सी.सी. बेंच/इस्कर का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर मिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा, अलमारी,दरौ पेंडल,डैस्कटॉप,सॉलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाले सामग्री	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीटर/प्लास्टरि समामी प्लास्त्रि कार्य	प्रति नग	
21.	कुड़ा गाडी/टेली एंगे सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सीडियम, हाइड्रोकार्बोनाइट, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संरक्षक रोगक दवाएं	प्रति ली. /किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राइमर लोहा, लकड़ी /प्लाई वेंड मॉडका	प्रति ली./वर्ग/कुट.मी.	
24.	डिस्टम्पर, बॉल पुट, गैर, समसाम आदि	प्रति कि.ग्रा./कुट./ली.	
25.	पी.ओ.सी. पाइप एच जी.आई पाइप समस्तसिबल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैंडपम्प मरमत्त/लोवोर समामी	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	आपत निगम/खेल मैदान उपकरण	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ब्ला प्लानर	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	बातर स्टोरज ईट/बातर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्योईथर थिंगल/ समुह शोड	*****	
32.	ऑटोएफ+ से समन्धिधर समस्त कार्य	*****	

नोट:- यह किफती भी पम्प, सलपयर / आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागिय प्रस्ताव प्रस्तुत में आता है तो संबंधित को उसकी भी कारवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्री चरनवीर सिंह ग्राम प्रधान)

(श्री इनेजान अली सचिव)

ग्राम पंचायत डोहरिया

ग्राम पंचायत डोहरिया

विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)

विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत निवा विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर				
पत्रांक:- मीमो./ग्रा.प./सामग्री आर्पित/ विकास कार्य /निविदा/कुटेशन/2025 दिनांक:- 08/04/2025				
अपकृतिगत निविदा/ कुटेशन सूचना				
समस्त अधिष्ठान फर्म, पंजीकृत डिजाइनरों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत निवा विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा उपर्युक्त ग्राम पंचायत निवास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 अनुसार स्वीकृत भारत मिशन ग्रामपंचायत मंत्रालय/मंत्रालय 15 वां वित्त/राज्य वित्त/ RGSB व OSR को मर से निवा बनाने हेतु ग्राम पंचायत निवा अनुसूचित 15 वीं अनुसूचित जाति को अंतर्गत निम्नानुसार कार्य कराया जाये हेतु ग्राम पंचायत निवास में निष्पात निवास/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कालि को सामग्री निम्नानुसार कार्य स्थल पर अपूर्ण करने हेतु मोहरबंद सोलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित को जाती है।				
इच्छुक फर्म/आपत्ति/कार्ति/निर्माण 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय निवास में 10 मंत्र से लेकर पर्यंत 12 मंत्र तक अधोहस्ताक्षर को कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाँस में सोलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकाई है। जो कि निर्माण 18/04/2025 को ग्राम पंचायत को कमेटी के समक्ष समर्पित ग्राम पंचायत के बल्लर/सुधालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री को आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धराशिर के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर को जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समक्ष-समक्ष पर ग्राम आवांति निर्माण पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री को आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रमाण एवं संचित) के लिखित आदेश पर को जायेगी। सामग्री को मात्रा अनुसार कमेटी अनुसार पत्रांक/बाँस/जा सकाई है। सामग्री को आपूर्ति ग्राम पंचायत को परिधि में स्वीकृत दर पर निर्माण कार्यालय पर करनी होगी। सामग्री को आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षर को स्वीकृति के उपरत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विषय में होना अनिवार्य है। सूत्र दर पर भी.डब्ल्यू.डी. को दरों को अनुसूच भी.डब्ल्यू.डी. को दर और सेनडल के अनुसार होगी। सामग्री को आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्माण समक्ष सही को अंतर्गत को करनी अनिवार्य है। सामग्री को गुणवत्ता निर्माण फर्म के अनुसार नही परे जाये को स्थिति में भुगतान को धराशिर के से अधिकानुसार करती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का निर्धारण ग्राम पंचायत को होगा।				
क्र.सं.	सामग्री का विवरण	यूनिट मात्रा	दर	
01.	सोलर	प्रति बैल/बैन		
02.	बांल/ट/मिट्टी दूरी सहित/लोकल कर	घन मी.		
03.	बजर/फुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.		
04.	104 एम.एम./राष्ट्र/ फखर राडो 40 एम.एम.	घन मीटर		
05.	इष्ट प्रथम श्रेणी एम-150/टी बालदार एम-275	प्रति नम हजार		
06.	इस्टरलॉक टारलस 80 एम.एम. 60 एम.एम./पुलक	प्रति नम		
07.	पंचायत पर ऑफिस फर्निचर इन्वन्स्टे. पुस्तकालय इन्वन्स्टे	प्रति नम/यूनिट		
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लोट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.		
09.	दीवार टारलस/फरश टारलस	वर्ग मीटर		
10.	सोथी/लोह का जाल/लोह का गेड शिडको	प्रति कुतल		
11.	लोह का एरल/पल्ल/बार् माल्डस	प्रति कुतल		
12.	सोमैन्ट को चारदर/टीन शेड को चारदर	वर्ग मीटर/नम		
13.	लकड़ी को दरवाज/कार्यालय/टिप्पर/लॉक	प्रति नम/वर्ग मी.		
14.	सोलेट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/शोलाय सोट	प्रति नम		
15.	स्टूट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूनिट सोट	प्रति नम		
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रिशियन को सामग्री	प्रति नम		
17.	सेन्टो सामग्री/ लोह को प्रसिंग तार, शाश्र को	प्रति नम/वर्ग मी.		
18.	फोर्गिंग मशीन/स्प्रे मशीन, सी.सी. बॉल/ डस्क का बॉच	प्रति नम		
19.	ऑफिस फनीचर, कम्प्यूटर प्रिन्टर, इन्वर्टे, बैटरी, सीसी टी.वी, कैमरा, अलमारी, दुरी पंखा, डेस्कटॉप, सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री	प्रति नम		
20.	इन्टरनल/इन्सीनैटर/स्फॉरिंग सामग्री प्लांनियन कार्य	प्रति नम		
21.	कूड़ा गाड़ी/टेली एक्सेल/डिग ई-रिक्शा	प्रति नम/यूनिट		
22.	सीडियम, हाइड्रोक्लोरिड, ब्लॉकिंग पाउडर व अन्य कोटेशनशर व संस्कम रोपक टलाए	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति फुट		
23.	प्रॉमैर लोहा, लकड़ी/ प्लाई वुड माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी		
24.	डिस्टम्पर, बोल प्लेट, पट्टे, समरस आदि	प्रति कि.ग्रा./कू.ली.		
25.	पी.बी.सी. पाइप एवं जो. आदि. पाइप समरसोबल पम्प	प्रति नम/ रॉमिंग मीटर		
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/लोहा सामग्री	प्रति नम/ रॉमिंग मीटर		
27.	ओपन जिन/खेत मैशन उपकरण/इन्सीनैटर	प्रति नम		
28.	आर.सी.सी. पाइप, स्लूम पाइप	प्रति नम/रॉमिंग मीटर		
29.	बायर स्टोरज टैंक/बायर कूलर आर.ओ. सहित	प्रति नम/लीटर		
30.	रॉमिंग बायर सलॉड उपकरण	प्रति नम/रॉमिंग मी.		
31.	अन्वोप्टि थ्रल/ सहल शहड	*****		
32.	अन्वोप्टि थ्रल/ से सम्पठित समस्त कार्य			
नोट:- यदि किसी भी फर्म, सलनार/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय निर्माण प्रललन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कारवाई के पानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।				
(श्रीमती बकली ग्रा प्रथान)			(श्री डेनवार अली निरवा)	
ग्रा पंचायत निवा			ग्रा पंचायत निवा	
विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)			विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)	

कार्यालय ग्राम पंचायत सूपा विकास खण्ड शाहवाड जिला रामपुर			
पत्रांक:- सीधो / ग्रा.पं. सामग्री आधुनिक विकास कार्य / निविदा / कुटेशन / 2025 दिनांक:- 08-04-2025			
अल्पकालीन निविदा/ कुटेशन सूचना			
समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत सूपा विकास खण्ड शाहवाड जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार पंचायत के द्वारा आनुमति प्राप्त पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार सड़क भारत मिशन ग्रामपंचायत/मरेण्डो/ 15 गाँव/रामपुर वगैरह/ RGSA व OSR को मर से निम्नांक कार्य हेतु प्राप्त भवनीय एवं अन्य शासकीय यनों के अंतर्गत निम्नांक कार्य करायें जाने हेतु प्राप्त भवनीय व निर्धारित मात्रा का गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि का सामग्री निम्नांक कार्य स्थल पर आगुति कर हेतु मोहरवर्ष सौलवंद निविदाएं/ कुटेशन आमंत्रित की जा रही है। इच्छुक फर्मों/आपूर्तिकर्ता निर्माण 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक आवेगस्तक्षारी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाँध में सौलवंद निविदा/ कुटेशन के समस्त संधित प्राप्त कर सकते हैं। जो कि दिनांक 18/04/2025 को प्राप्त पंचायत को कटौती के समस्त संधित प्राप्त पंचायत के क्लरक मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/ कुटेशन के अनुसार सामग्री को आपूर्ति प्राप्त पंचायत में उपलब्ध पंचायत के आधर पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेशों पर कर जायेगी, जो कि प्राप्त पंचायत को समय- समय पर प्राप्त आवर्धित भवनीय पर आदेशों। आवश्यकता अनुसार सामग्री को आपूर्ति प्राप्त पंचायत (पूरा एवं चरित्र) के लिखित आदेश पर कर जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार चढ़ा/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री को आपूर्ति प्राप्त पंचायत को परिसर में स्वीकृत दर पर निम्नांकित उपकरण पर करनी होगी। सामग्री को आपूर्ति का पुराना अनुभवधारी को स्वीकृत के उपरत हो किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जो एस.टी. पंजीकरण संबंधित विषयों में प्राप्त होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू. को दर्श को अनुकर पी.डब्ल्यू. को. टेंट और शेरभुल के अनुसार होगी। सामग्री को आपूर्ति प्राप्त पंचायत के आदेशाशुषा निर्धारित समय सामग्री को अंतर्गत को जानी अनिवार्य है। सामग्री को गुणवत्ता निम्नांकित के अनुसार नहीं पावे जाने की स्थिति में पुराना को भवनीय एवं से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।			
क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	
01.	सीमेंट	प्रति बैग/टन	
02.	बाल रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरकूट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईट 40 एम.एम./रोड़ी पथर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईट 40 एम.एम./पी-150/ईट बालर एम- 275	प्रति नम हजार	
06.	इस्तरकाली टालस 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुसक	प्रति नम	
07.	पंचायत घर ऑफिस कम्प्यूटर, मुस्तकाली इक्विपमेंट	प्रति नम/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेक्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लैट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टालस/काली टालस	वॉ मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का रेट पिछड़ी	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डार माईलडस	प्रति कुंतल	
12.	सामग्री का चार/टीन शेट की बावर	वर्ग मीटर/मी.	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामशिथल/टिप्पर/प्लाई	प्रति नम/वर्ग मी.	
14.	सोफा लाइट नम/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नम	
15.	स्टील लाइट नम/पामर उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नम	
16.	विजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नम	
17.	सोनीटी सामग्री/ लोहे का फ्रैमिंग तार काय कटर	प्रति नम/वर्ग मी.	
18.	फागेनि पशीन/रस मशीन सी.सी. बैच/ डेस्क का बेंच	प्रति नम	
19.	ऑफिस फनीचर,कम्प्यूटर (प्रिन्टर,इन्वरटर,सेटी,सीसी टी.वी.केमरा,अलमारी,दूरी पान,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होवे वाली सामग्री	प्रति नम	
20.	इन्टरनिंग/इन्सीटीट/पन्नामिनी सामग्री प्लास्तीक कार्य	प्रति नम	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्सा	प्रति नम/यूनिट	
22.	सीसाधम, हाइड्राक्लोराइड, स्लीचिंग पाउडर व अन्य कोटाशक व संत्रकम रोषक दवाएं	प्रति ली.किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्रांतिर लोहा, लाल काली/ प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टमर, लोह पुट्टी, रेत, सामेसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कू.ली.	
25.	पी.वो.सी. पाइप एवं जी.आं. पाइप/समरबैलर पम्प	प्रति नम/ रनिंग मीटर	
26.	हैंडपम्प मरम्मत/रीवार सामग्री	प्रति नम/रनिंग मीटर	
27.	आपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनेरीट	प्रति नम	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ब्राम पाइप	प्रति नम/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नम/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नम/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेंड		
32.	आदि/एफ+ से संबंधित समस्त कार्य	प्रति नम	
नोट:- यदि किस्म की फर्म/स्थल/या/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विषयवर्गीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कारवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।			
(श्रीमती रासकुमारी ग्राम प्रधान)		(श्री रोहित चार सचिव)	
ग्राम पंचायत सूपा		ग्राम पंचायत सूपा	
विकास खण्ड शाहवाड (रामपुर)		विकास खण्ड शाहवाड (रामपुर)	

कार्यालय ग्राम पंचायत सहविद्या बुद्ध विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर				
पत्रांक:- मोमो, /ग्रा.प./सामग्री आर्क/निवास कार्य/निविदा/कूटेशन/2025 दिनांक:-08/04/2025				
अन्यकालीन निविदा/कूटेशन सूचना				
समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एवम्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत सहविद्या बुद्ध विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर में विगत वर्ष 2025-26 का ग्राम पंचायत कार्य के द्वारा आमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना विभागीय वषर् 2025-26 के अनुसार सस्मक भारत मिशन (ग्रामपंचायत/मसरो/15 वां वित्त/राम/विन/ RGSA व OSR को कर के निम्नान कार्य हेतु प्राप्त भवराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अन्तर्गत निम्नान कार्य कार्यये जात हेतु प्राप्त भवराशि से निष्पत्ति मामक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि को काम/सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहद्वर सिलबंद निविदाएं/कूटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मों/आपूर्तिकर्ता दिनांक 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समगो 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अग्रहस्ताक्षरी के कार्यालय प्राप्त कार्यालय पर रखे बाँस में सोपबंद निविदा/कूटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो दिनांक 18/04/2025 में ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के कन्स्ट्रक्ट मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कूटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध भवराशि के समाय पर प्राप्त पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी। जो ग्राम पंचायत को अन्य-समय पर प्राप्त आवॉटिड निविदा पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की पंक्ति में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यालय पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भवनाम अधोस्तलाक की स्वीकृति के अन्तर्गत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को जो अनुसूची प्रो.डब्ल्यू.डी. के टर ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आशुशानुसार निष्पत्ति समय समगो का अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं पाये जाने को स्फिट में धुगतान की भवराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बगैर निस्त करने को अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।				
क्र.सं.	सामग्री का नाम		यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट		प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत		घन मी.	
03.	चरफट्ट बजरी 20 एम.एम.		घन मी.	
04.	ईट 4एम.एम./रोडो/पत्थर रोडो 40 एम.एम.		घन मीटर	
05.	ईट प्रथम श्रेणी एम-150/ईट बालतर एम-275		प्रति नग/हजार	
06.	इस्तेलाक टाइल 80 एम.एम./60 एम.एम./पुलक		प्रति नग	
07.	पंचायत पर ऑफिस इम्पुन्यमेन्ट, पुस्तकालय ड्रिङ्कबर्मेट		प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य		प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल/फर्श टाइल		वर्ग मीटर	
10.	सिफा/लोहे का जाल/लोहे का गेट डिबक्री		प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/ड्राफ्ट माईलड		प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादटी/रीन शेड की चादर		वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कार्पासियल/टिम्बर/प्लाई		प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट		प्रति नग	
15.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण/सिफा सीट		प्रति नग	
16.	विजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री		प्रति नग	
17.	सेन्टी सामग्री/ लोहे का फ्रेंसिंग तरा,ग्रासर		प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोर्निंग मशीन/सेप मशीन/सी.सी. बैच/ड्रेक का बैच		प्रति नग	
19.	ऑफिस फनीचर,कम्प्यूटर फ्रिज,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दूरी पत्र,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री		प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इंसीसीटर/प्लास्बर्ग सामग्री प्लांटिंग कार्य		प्रति नग	
21.	कुड़ा गाडी/ठेली एवं सफाई किट ई-रिक्शा		प्रति नग/यूनिट	
22.	सीडियम, हाइड्रोक्लोरिक, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व सस्मकन रोकक दवाएं		प्रति ली./किलो ग्राम/प्रति पैकेट	
23.	प्रिडिगम, लोल लकड़ी /प्लाई एवं माइका		प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टम्पर, बांध, पुट्टी, रेत, ससमास आदि		प्रति कि.ग्रा./कु.ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप ससमबिच लप्प		प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवीर सामग्री		प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	आपत विपण/खेल मैदान उपकरण/इंसीनटर		प्रति नग/रनिंग मीटर	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ब्रूम पाइप		प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर अकल आ.ओ.सहित		प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सपलाई उपकरण		प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्यथी थ्यल/समूह शेड			
32.	ऑडिओ/एफ.सि.सम्बन्धित समस्त कार्य			
नोट:- यदि कौनो भी फर्म, सलपार/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विषयानी कार्य प्रस्तुत में आता है तो संबंधित को उसकी भी कारवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।				
(श्री सुनील कुमार ग्राम प्रधान)			(श्री इनेनजा ठेली सचिव)	
ग्राम पंचायत सहविद्या बुद्ध विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)			ग्राम पंचायत सहविद्या बुद्ध विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)	

कार्यालय ग्राम पंचायत नवाबगंज विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर				
पत्रांक:- मीनो, ग्रा.प./सामग्री आर्कित/ विकास कार्ड/निविदा/ कुटेशन 2025 दिनांक:- 08/04/2025				
अपत्यकानित निविदा/ कुटेशन सूचना				
समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विन्नताओं को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत नवाबगंज विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुसूचित ग्राम निवासी विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 अनुसार खण्ड भात मिशन ग्रामपंचायत,ममरांग 15 वां वित/रज्ज वित/ RGSB व OSR को मर से निम्न्य कार्य के लिए ग्राम धरायाई एवं अनु शासकीय मरों के अंतर्गत निम्न कार्य कराये जाते हेतु ग्राम पंचायत से निष्पत्ति मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कालि को सामग्री भूमिगत कार्य स्थल पर आपूर्ति करे हेतु मोहरबंद सोलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर रात 12 बजे तक अग्रोहाताशरी को कार्यालय ग्राम पंचायत पर बॉक्स में सोलबंद निविदा/कुटेशन सहीत जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 18/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधी ग्राम पंचायत के क्लरक स्थापना पर खोली जायेगी। खीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध भवनाशरी के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समर- समर पर ग्राम आवीत भवनाशरी पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं/वाइ) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार पट्टाई/बाइज जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की पथि में खीकृत दर पर निम्निकार्यक उपरत पर करती होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान आवश्यकताशरी की खीकृती के अनुसार हो किा जायेगा। आपूर्तिकर्ता को जी.एस.टी. का भुगतान संबंधित विषय में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.इन्ड्यू.डी. की दरों को अनुसूच पी.इन्ड्यू.डी. के रेट और कोशुल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निम्नित समय सीमा के अंतर्गत की जा कर अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निष्पत्ति फार्म के अंकुश नवी परे जाने को स्थिति में भुगतान को भवनाशरी से अतिगमनुसार कटीती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।				
क्र.सं.	सामग्री का विवरण	युनित मात्रा	दर	
01.	सीमेंट	प्रति बैग/टन		
02.	बालू रेत/मिट्टी दरी सहित/लोकल रेत	घन मी.		
03.	बरफुट बजरी 20 एम.एम.	घन मी.		
04.	ईंट 4एम.एम./रोडी/ पत्थर रोडी 40 एम.एम.	घन मीटर		
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालतर एम-275	प्रति नग/हजार		
06.	इस्तेलकी टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुलक	प्रति नग		
07.	पंचायत पर ऑफिस इन्पुम्पमेंट/पुसकालय इन्क्वामेंट	प्रति नग/वर्ग मी.		
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./युनित		
09.	दीवार टाल्स/फर्श टाल्स	वर्ग मीटर		
10.	सिफिया/लोह का जाल/लोह का गेट खिडकी	प्रति कुंतल		
11.	लोह की ऐंगल/पाइप/डोर मॉडल्स	प्रति कुंतल		
12.	सीमेंट की चाद/टीन रोड की चादर	वर्ग मीटर/नग		
13.	लकड़ी के दरवाजे/कार्पाथियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.		
14.	स्टील लाइट नया/मरम्मत उपकरण/शीशालय सीट	प्रति नग		
15.	रॉटर लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग		
16.	विजली उपकरण/इलेक्ट्रिकल कार्य सामग्री	प्रति नग		
17.	सेफ्टी सामग्री/ लोह का फ्रेंसिंग तार, घास कटर	प्रति नग/वर्ग मी.		
18.	फोर्गिंग मशीन/पेन्स मशीन, सी.सी. बेंच/ इस्क का बेंच	प्रति नग		
19.	ऑफिस फनीच,कम्प्यूटर फ्रिज,इन्वर्टर, बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा, अलमारी,दरी पण्ड,डिस्कवाय, सोलर पेनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री	प्रति नग		
20.	डस्टबिन/इन्सीटर/पल्मबर्ग सामग्री प्लांटिंग कार्य	प्रति नग		
21.	कुड़ा गाडी/डेली एवं सफाई फिट इ-रिक्सा	प्रति नग/युनित		
22.	सीडियम, हाइड्रोक्लोरिक, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संत्रकन रोकध दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट		
23.	प्रधान लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी		
24.	डिस्टम्पर, बोल पुट्टी, रेत, समसा आदि	प्रति कि.ग्रा./कु.ली.		
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेविल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर		
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/तीवीर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर		
27.	ओपन जम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनर	प्रति नग		
28.	आर.सी.सी. पाइप, ब्लूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर		
29.	बार स्टीरज ई.सफाई कुलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर		
30.	रनिंग वाटर/कांस्ट्रकट उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.		
31.	अन्योई थ्यल/ संहत शोड	*****		
32.	आईएफए+ से सम्बंधित समस्त कार्य	*****		
नोट:- यदि कर्ता को फर्म, सलपयार/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागगीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कारवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।				
(श्री गोविंद राम ग्राप प्रधान)			(श्री रोहित राव सचिव)	
ग्राम पंचायत नवाबगंज विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)			ग्राम पंचायत नवाबगंज विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)	

कार्यालय ग्राम पंचायत मदारपुर् विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर				
प्रकार:- मीनो, ग्रा.प./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांक:-08/04/2025				
अपकृतिगत निविदा/समस्या सूचना				
समस्त अधिकृत पंचायत, पंचकुत/किताबतों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत मदारपुर् विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वीकृत भात मिशन ग्रामपंचायत मरंगरा 15 वां विव/जन्म विव/ RGSB व OSR को मर से निष्पन्न कार्य हेतु ग्राम धरणी एवं अनुशासकीय कर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य कराये जाते हेतु ग्राम पंचायत से निविदा मांगना/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर अप्रुति करने हेतु मोरारदेव सोलबंद निविदा/कुटेशन आमंत्रित की जा रही है। उच्चकोटि फर्मे/आपूर्तिकर्ता किंदांक 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय दिवस में सम्य 10 बजे से लेकर प्रारंभ 12 बजे तक अधोहस्ताक्षर के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बांध में सोलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि किंदांक 18/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष समीचीन ग्राम पंचायत के बल्लर/सहायक पर उल्लेख नगरीगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री को आपूर्ति ग्राम पंचायत में खोली जायेगी। स्वीकृत ग्राम पंचायत के निविदा अंश पर जो जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समझ समय पर प्राप्त आवेदित नगराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री को आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर जो जायेगी। सामग्री को मात्रा बालुचकककक अनुसार पाई/बाईड जा सकती है। सामग्री को आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्माता को उपयुक्त पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुतान अनुकूल की जायेगी। उक्त कार्य के उपरत हो किचा जायेगा। अप्रुतिकर्ता को जी.एस.टी. पंचककक संबंधित विषय में नगरी अनिवार्य है। प्रस्तुत दरों पी.डब्ल्यू.डी. को दरो की अनुकूल पी.डब्ल्यू.डी. के रेट औरों से बांडलुड के अनुसार होगा। सामग्री को आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशनुसार निर्मात समझ समी की अंतर्गत को नगरी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्मात फार्म के अनुकूल नहीं परे जाये की स्थिति में भुतान को नगराशि में से निविदासम कटीती कर जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।				
क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर	
01.	सीमेंट	घन बॅ/घन		
02.	पाइप/टिडुई चूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.		
03.	बजरफूट/बजरी 20 एम.एम.	घन मी.		
04.	ईट 40 एम.एम./रंगी/रंग 40/40 एम.एम.	घन मीटर		
05.	प्रसिद्ध श्रेणी एम-150/ईट बलार ईम-275	प्रति नग हजार		
06.	ईटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुलक	प्रति नग		
07.	पंचायत पर ऑफिस इन्फ्रस्ट्रक्चर, पुलकककक इन्फ्रस्ट्रक्चर	प्रति नग/यूनिट		
08.	एम.आर.फूट.सेन्टर च इन्फ्रस्ट्रक्चर/कम्पलैट कां	प्रति घन मी./वर्ग मी.		
09.	दीवार टाइल्स/फरी टाइल्स	वर्ग मीटर/नग		
10.	सर्पिला/लॉह का जाल/लॉह का गेट खिडकी	प्रति कुतल		
11.	लॉह की रंगल/पाइप/बॅर माइडकुल	प्रति कुतल		
12.	सीमेंट को चार/ईट शेड को चार	वर्ग मीटर/नग		
13.	लकड़ी के दरबाज/कॉन्सिरीयल/टिम्बर/लॉह	प्रति नग/वर्ग मी.		
14.	सौर लाइट नया/मरमत उपकरण/चूरी बालये सौर	प्रति नग		
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरमत उपकरण/यूनि सौर	प्रति नग		
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन एवं कल कटरी	प्रति नग		
17.	सौर सामग्री/लॉह को प्रसिंत तार,पाश कटरी	प्रति नग/वर्ग मी.		
18.	फॉगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बॅच/ डैस्क का बॅच	प्रति नग		
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिंटर,इन्वर्ट,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,रंगी रंछा,इलेक्ट्रीफ,सोतर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग		
20.	कुटेशन/इन्सीनर/सफाई सामग्री/चालीये कार्य	प्रति नग		
21.	डुडगा/गड्डी/टेली एवं लंबाईड रिट ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट		
22.	सॉडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लॉकिंग पाउडर व अन्य कौटनाशक व संक्रमक रोथक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ पेट		
23.	प्रॉड्रैम फॉल्ट, लकड़ी/लॉह एवं भासक	प्रति ली./वर्ग फुट		
24.	डिस्टम्पर, बिल्ट, पुल्ट, पेट, समामस आदि	प्रति कि.ग्रा./कुं.ली.		
25.	पं.वा.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसोबल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर		
26.	हैण्डपम्प मरमत्त/रनिंग सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर		
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/ईसीनरट	प्रति नग		
28.	आर.सी.सी. पाइप, स्लूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर		
29.	वाटर स्ट्रीज टैक/वाटर कूलर आर.सी.सहित	प्रति नग/लीटर		
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.		
31.	अन्योथि स्थल/ समुह शड			
32.	आईडीएफ+ स समीचीन समस्त कार्य			
नोट:- यदि किसी भी फर्मे/सहायक/ अप्रुतिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागिय अनिवार्य प्रकलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कारवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।				
(श्री पूरन सिंह ग्राम प्रधान)			(श्री रोहित राय सचिव)	
ग्राम पंचायत मदारपुर्			ग्राम पंचायत मदारपुर्	
विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)			विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)	

कार्यालय ग्राम पंचायत रुधा गांव विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर				
परिष्कार-सोमो, प्रा.पं./सामग्री आधुनिक/आधुनिक/निवर्द्धा/कुटेशन/2025 दिनांक-08/04/2025				
अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना				
समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विन्रेताओं को एल्टरासू सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत रुधा गांव विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 हर ग्राम पंचायत के द्वार अनुमति प्राप्त पात्र पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार समस्त भारत मिसन ग्रामपंचायत/महरी/15 प्रतिशत/राज्य विद्युत RGSA व OSR को सभी नये निमाणों का कार्य हेतु प्राप्त भवनाई एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निमाणों का कार्य करने जाते हेतु ग्राम पंचायत ने सभी निधारित माता/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कटि का सामग्री निमाणों का कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर्वरत सोलवर्द निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाते है। इच्छुक फर्मों/आपूर्तिकर्ता निदिन 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय विकास में समय 10 बजे से लेकर पुराना 12 बजे तक अधोस्थाधरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाँस में सोलवर्द निविदा/कुटेशन सहित मातृ कर सकते हैं। जो कि निदिन 18/04/2025 को ग्राम पंचायत की वेबसाई में समस्त पंचायत ग्राम पंचायत के क्लरक मुख्यालय पर छोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री को आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध भवनाई के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेशों पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर आप्रत आर्बोदत भवनाई पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री को आपूर्ति ग्राम पंचायत (अथवा एन वी चिब) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा अनुमति अनुसार घट्या/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री को आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निधारित कायस्थल पर करनी होगी। सामग्री को आपूर्ति का भुगतान निधारित मातृ की स्वीकृति के उपरान्त हो किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रत्युत दरे जी.डब्ल्यू.डी. की दरे को अनुप जी.डी.डब्ल्यू.डी. के अति आर शेषकूल के अनुसार होगी। सामग्री को आपूर्ति ग्राम पंचायत के अधोस्थाधरी निधारित समय योग्य के अंतर्गत की जाते अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निधारित मानक के अनुसार नहीं पाये जाते की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से निमाणानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा की बिना कारण ब्याज निस्त कर के अति आर ग्राम पंचायत की होगी।				
क्र.सं.	सामग्री का नाम		वित्ति मात्रा	दर
01.	सोमैटर		प्रति क्वांट/उ	
02.	बालू रेत/मिट्टी दरी सहित/लोकल रेत		घन मी.	
03.	बजरकट्ट/ बजरी 20 एम.एम.		घन मी.	
04.	ईट 40 एम.एम./रोडी पक्कर रोडी 40 एम.एम.		घन मीटर	
05.	ईट प्रथम श्रेणी एम-150/ईट बालर एम-275		प्रति नग हजार	
06.	इस्तराफि टाइल 80 एमएम/ 60 एम.एम./पुस्तक		प्रति नग	
07.	पंचायत पर ऑफिस प्रमुहमपेट, पुस्तकालय इस्किपमेट		प्रति नग नग/वर्ग मी.	
08.	एम.आर.एफ. सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य		प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	सीबा टाइलस/फरो टाइलस		वर्ग मीटर	
10.	सरिफा/लोह का जाल/लोह का रेट पिछड्की		प्रति कुतल	
11.	लोह की ऐंगल/पाइप/डोर माइलडस		प्रति कुतल	
12.	सोमैट की चार/टीन शंड को शार		वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कार्मिथियल/टियमर/प्लाई		प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सोमैट लाइट नग/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट		प्रति नग	
15.	सीट लाइट नग/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट		प्रति नग	
16.	विजली उपकरण/एलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री		प्रति नग	
17.	सोमैट सामग्री/ लोह का फ्रैमिंग तार,ग्राम कार		प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फागिंग प्रभासी/सेभ शमन सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच		प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर, कम्प्यूटर सिस्टम, इन्वर्टर, डेस्टी, सीसी टी.वी. कैमरा, अलमारी, दरी पंखा, डेस्क/टॉप, सोलर पैंल, आदि उपयुक्त हरे वारी सामग्री		प्रति नग	
20.	इस्टरिफ/इस्तीटर/पन्थरीन सामग्री प्लास्मिंग कार्य		प्रति नग	
21.	कुडि गाडी/टेली एन सफाई किट/ ई-रिस्का		प्रति नग/वर्गिद	
22.	सूझिम, हाइड्रोलिकल, क्सीनिक पाउडर व अन्य कीटाणुशायक व सूत्रिक गंधक		प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राम्रल लोहा, लकड़ी/प्लाई एन सफाई		प्रति ली./वर्ग कुट/मी.	
24.	इस्टरिफ, वील पुटी, दरे, सामग्री आदि		प्रति क्वा. कुट./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समस्तसर्विल एम		प्रति नग/रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/वीरव सामग्री		प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	आप्रा निम/खेल भवनाई उपकरण/इसीनोकर		प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ब्लू पाइप		प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित		प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर स्प्राडल उपकरण		प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्डरसि स्मल्ट/ समूह शंड			
32.	अन्डरसि एन स/ समुहवत समस्त कार्य			
नोट:- यदि किसी भी पम्प/स्लायनर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विधायीय नियम प्रवर्धन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।				
(श्रीप्रती सरोज देवी ग्राम प्रधान)			(श्री अश्वेश कुमार सचिव)	
ग्राम पंचायत रुधा गांव			ग्राम पंचायत रुधा गांव	
विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)			विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)	

कार्यालय ग्राम पंचायत खण्डिया विकास खण्ड सैयनगर जिला रामपुर				
प्रकाश-मौमो/ग्रा.प्र./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेरना/2025 दिनांक-08/04/2025				
अल्पकालीन निविदा/ कुटेरना सूचना				
समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत निविदाओं को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत खण्डिया विकास खण्ड देवगढ़ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्थलगत कार्य भारत मिसन ग्रामपंचायत/मरेना/15 या शिवा/रायच विवा RGSA व OSR को मंद से निष्काह कर दोहे प्राप्त भवित्ता/अनुप/अन्य शासकीय मंदों के अंतर्गत निष्काह कार्य कए जइयें हेतु ग्राम पंचायत पर ऑफिस निष्काह/गुणवत्ता के अनुसार एडर कांटे की सामग्री निष्काह कार्य स्थल पर आगई कर होय मोहबतरे सोलवर निविदाएं/कुटेरना आगईय को जातै है। इच्छुक फर्मों/आपूर्तिकर्ता निविदा 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय निवेस में समस्त 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहास्थाकी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाँक्स में सोलवर निविदा/कुटेरना सहित ज्ञापन कर सकते हैं। जो कि दिनांक 18/04/2025 तक ग्राम पंचायत की कमेटे के समक्ष प्रस्तुतिथि ग्राम पंचायत के कलेक्टर मुख्यालय पर खोली जायगी। स्वीकृत निविदा/कुटेरना के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उल्लेख्य कार्य के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समर्थ-समय पर प्राप्त आवैडित भराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार बढ़ाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की अधीनस्थ स्वीकृत दूर पर निष्काह कर उपकरण पर करी जायगी। सामग्री की आपूर्ति का शुभाना प्रशंसा की जायगी की स्वीकृति के उपरान्त हो किया जायगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विषय में होना अनिवार्य है। प्रस्ताव दूर पी.डब्ल्यू. की दरों को अनुरूप पी.डब्ल्यू. की. डेट अर्थ शेषकूल के अनुसार होगा। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निष्काह निष्काह समय सीमा के अंतर्गत की जायगी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निष्काह माकन के अनुसार नहीं पाये जाने की स्थिति में शुभाना की भराशि में से निष्पत्तिमानुसार पंजीकृत की जायेगी। निविदा को बिना कारण बताने निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।				
क्र.सं.	सामग्री का नाम	प्रति मात्रा	दर	
01.	सीमेंट	प्रति थैला/टन		
02.	बार/रेट/मिदूरी दोरी सहित/लोकल रेत	घन मी.		
03.	बलकट्ट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.		
04.	ईट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर		
05.	ईस्ट प्रथम श्रेणी एम-150/ईस्ट बालदार एम-275	प्रति नग/हजार		
06.	इस्तराली टाइल 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तक	प्रति नग		
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्पुवमेंट/पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट		
08.	एम.आर.एफ. सेक्टर व अन्य सामग्री/कालेस्टी कार्य	प्रति नग/वर्ग मी.		
09.	दीवार टाइल/फर्नीचर टाइल	वर्ग मीटर		
10.	सरिया/लोहो का जाल/लोहो का पेट डिब्बो की	प्रति कुंतल		
11.	लोहो की रैपाल/पाथ/डोर माल्टाइड्स	प्रति कुंतल		
12.	सीमेंट की चार/टोन शेड की वादर	वर्ग मीटर/नग		
13.	लकड़ी के रखाबे/कामरशिवाल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.		
14.	सीट लाइट नग/भरमत्त उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग		
15.	स्टील लाइट नग/भरमत्त उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग		
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग		
17.	सीटी सामग्री/ लोहो का फ्रेंचिंग तार/ड्राक	प्रति नग/वर्ग मी.		
18.	फाणिम गशीन/स्ये मशीन सी.सी. बेंच/ डेक का वेंच	प्रति नग		
19.	ऑफिस फर्नीचर/कम्प्यूटर प्रिन्टर/इन्वर/बैटरी/सीसी टी.वी.कैमरा, अलमारी, दोरी पेंडल, डेस्कटॉप/सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होयें वाली सामग्री	प्रति नग		
20.	डस्टबिन/इसीसीटर/पलमरिरी सामग्री प्लास्चिंग कार्य	प्रति नग		
21.	कुछा गाड़ी/टेली एवं सफाई किट ई-रिक्सा	प्रति नग/यूनिट		
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, स्टीचिंग पाउडर व अन्य कोटापराक व सफ़ाक गेथक दवाएं	प्रति ली./किलो/पैकेट		
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी/प्लाई एवं माकना	प्रति ली./वर्ग फुट/मी		
24.	डिस्टम्प, बिल पुकी, दूर, समोसाम	प्रति ली./कु.फु./ली.		
25.	पी.बी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समस्तसिलेड पम्प	प्रति नग/रनिंग मीटर		
26.	हैडपम्प मरमत्त/रीवर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर		
27.	अपारा जिम/खेल भवन टार उपकरण/इसीसीटर	प्रति नग		
28.	आर.सी.सी. पाइप, ब्रूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर		
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कुल्ल आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर		
30.	रनिंग वाटर समस्त उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.		
31.	अल्टीरिफिकेशन/समुह शौड			
32.	अल्टीरिफिकेशन से सम्बंधित समस्त कार्य			
नोट:- यदि किसी भी फर्म/स्पर्धाकार/आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विधायनीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के माफकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।				
(श्रीमती सार्वरी बेगम ग्राम प्रधान)		(श्री धर्मेश सिंह सचिव)		
ग्राम पंचायत खण्डिया		ग्राम पंचायत खण्डिया		
विकास खण्ड सैयनगर (रामपुर)		विकास खण्ड सैयनगर (रामपुर)		

कार्यालय ग्राम पंचायत बन्दारा विकास खण्ड शाहवाड़ जिला रामपुर				
पत्रांक:- सी.नो. / ग्रा.पं. / सामग्री आचार्य/ विकास कार्य/ निविदा/ कुटेशन/ 2025 दिनांक:- 08/04/2025				
अत्यक्ताली निविदा/ कुटेशन सूचना				
समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विज्रताओं को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत बन्दारा विकास खण्ड शाहवाड़ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वीकृत भारत मित्तन ग्रामपंचायत/मरेला/ 15 वीं पवित्र/रामपुर विच/ RGSA व OSR को मर से निम्न कार्य हेतु प्राप्ति करवाये जाये। अन्य आशोकियो मरों के अंतर्गत निम्न कार्य करवाये जाते हेतु प्राप्ति करवाये से निश्चित माता/गुणवता के अनुसार उच्च कोटी को सामग्री निम्नांक कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहबतब सिलबतब निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मों/आपूर्तिकर्ता निम्न 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय निम्न में समय 10 बजे से लेकर पण्यार 12 बजे तक अधोस्तलाई को कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सोबतब निविदा/कुटेशन सहित नाम प्रकर कर सकते हैं। जो कि तिनांक 18/04/2025 को ग्राम पंचायत को केमेटी के समक्ष प्रमथित ग्राम पंचायत के क्लरक मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री को आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध भनराओ के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्ति आवर्तिन भनराओ पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री को आपूर्ति ग्राम पंचायत (ग्रामा एच/सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा अनुषकता अनुसार चढ़ाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री को आपूर्ति ग्राम पंचायत को परिधि में स्वीकृत दर पर निम्नित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री को आपूर्ति का प्रभुतात को निम्नित को की स्वीकृत के उपरतल हो किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विना में दर्ता अनिवार्य है। प्रस्तुत पं.जी.डब्ल्यू.डी. को दरो को अनुरुप पं.डब्ल्यू.डी. के दरो ऑफ शंशुलक के अनुसार होगी। सामग्री को आपूर्ति ग्राम पंचायत पर आदेशानुसार अनुरुप समय योग्य के अंतगत को जानी अनिवार्य है। सामग्री को गुणवता निम्नित मानक के अनुरुप नहीं पाये जावे की स्थिति में प्रभुतात को भनराओ में से नियमनानुसार कटीटी कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण भनराये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।				
क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर	
01.	सीमेंट	प्रति बैग/टन	र	
02.	बार/रेत/मिर्दी रती सहित/लोकल रेत	घन मी.		
03.	बजरकुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.		
04.	ईट 4 एम.एम./गोड़ी/ पण्यार गोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर		
05.	ईट प्रथम श्रेणी एम-150/ईट बालदार एम-275	प्रति नन हजार		
06.	इस्तरकी टाल्लर 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तक	प्रति नन		
07.	पंचायत पर ऑफिस प्रमथमपेट, पुस्तकालय इन्विनपमेट	प्रति नन/यूनिट		
08.	एम.आर.एच.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लैट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.		
09.	सीवार टाल्लर/फरी टाल्लर	वर्ग मीटर		
10.	सरिंग/लोहों का जाल/लोहों का गेट खिडकी	प्रति कुंतल		
11.	लोहों की ऐंगल/पाइप/डोर माईलडन	प्रति कुंतल		
12.	सीमेंट की चार/टीन शंड को ची चादर	वर्ग मीटर/नन		
13.	लकड़ी के रखाजे/कामशीयल/टियमर/प्लाई	प्रति नन/वर्ग मी.		
14.	सीलर लाइड नन/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नन		
15.	स्टील लाइड नन/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नन		
16.	विजली उपकरण/इलेक्ट्रिसियल कार्य सामग्री	प्रति नन		
17.	सेनिटी सामग्री/ लोहों का फ्रेंसिंग रत,ग्राश कर	प्रति नन/वर्ग मी.		
18.	फोर्निंग शशीन/रस शशीन. सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नन		
19.	ऑफिस फनीचर, कम्प्यूटर (प्रिन्टर, इन्वर्टर, स्टेरी), सीसी टी.वी. कैमरा, अलमारी, रती पंखा, डेस्कपट, सॉलर पैंल, आदि उपयुक्त हतवे वाली सामग्री			
20.	इस्टरकि/इन्सीटीर/पण्यारि सामग्री प्लाव्गिग कार्य	प्रति नन		
21.	कुड़ा गाड़ी/टेली एच/सफाई किट/ ई-रिक्षा	प्रति नन/यूनिट		
22.	सोडियम, हाइड्रोजन/आइड, क्लीनर/पाइप डांडर व अन्य कोटीनाशक व संत्रकन रोषक दावाक	प्रति ली. /किलो ग्राम/ प्रति पैकेट		
23.	प्रिम्तर लोह, लोह/ प्लाई एच/सफाई किट	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.		
24.	हिरम्टर, बाल पुटी, पुर, समोसाम आदि	प्रति ली. /किलो /किलो/ली.		
25.	पी.वी.सी. पाइप एच/जी.आई. पाइप समसोबलित सप्प	प्रति नन/ रनिंग मीटर		
26.	हैण्डपप्प मरम्मत/रीवार सामग्री	प्रति नन/रनिंग मीटर		
27.	आपन जिम/खेल ताला उपकरण/इसोनेतर	प्रति नन		
28.	आर.सी.सी. पाइप, ब्रुस पाइप	प्रति नन/रनिंग मीटर		
29.	बादर स्टोरेज टैंक/बादर कुल्ल आर.ओ.सहित	प्रति नन/लीटर		
30.	रनिंग वादर सपनाई उपकरण	प्रति नन/रनिंग मी.		
31.	अन्वेषि स्थल/ समूह शंशु	*****		
32.	अन्वेषि+ से सम्बंधित समस्त कार्य	*****		
नोट:- यदि किन्हीं से पत्राच/सपनयार /आपूर्तिकर्ता के लिप कोई भी नन विभगीय नियम प्रचलन में आता है तो संसाधित को उसकी भी कारावाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।				
(श्रीमती आरती ग्राम प्रधान)			(श्री अवधेश कुमार सचिव)	
ग्राम पंचायत बन्दारा			ग्राम पंचायत बन्दारा	
विकास खण्ड शाहवाड़ (रामपुर)			विकास खण्ड शाहवाड़ (रामपुर)	

कायाँलख ग्राम पंचायत हरौटा विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर					
परबाँक- मोहो, ग्राम, /सामग्री अर्थात्/ निष्कार का नाम/ निविदा, कुटुनर/2025 दिनांक:-08/04/2025					
अल्पकालीन निविदा/ उपस्थित सूचना					
समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत निविदाओं को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत हरौटा विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्थाप्य भारत मिशन ग्रामपंचायत/मरोली/ 5 म वि.त/रामप वि.त/ RGSA व OSR को मर स निम्नांक कार्य हेतु प्राप्ति करना है/ अन्य शासकीय मरों के अंतर्गत निम्नांक कार्य करण्ये जाने हेतु प्राप्ति करण्ये से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार/उच्च कोटि को सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करण्ये हेतु मोहरबन्ध सौलबन्ध निविदाएं/कुटुनर आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मों/आपूर्तिकर्ता निदिन 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कायाँलख ग्राम पंचायत में समय 10 बजे से लेकर प्राप्ति 12 बजे तक अनुपस्थितकारी के कायाँलख ग्राम पंचायत पर रखे बॉन्ड में सौलबन्ध निविदा/कुटुनर सहित जमा कर सकत है। जो कि निदिन 18/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटेई के समक्ष सम्वन्धित ग्राम पंचायत के कलेक्टर मुख्यालय पर खोली जायगी। स्वीकृत निविदा/कुटुनर के अनुसार सामग्री को आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध करण्ये के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्ति आवर्तित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री को आपूर्ति ग्राम पंचायत (ग्राम एवं संचय) के लिखित आदेश पर की जायगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार बढ़ाई/बढ़ाई जा सकत है। सामग्री को आपूर्ति ग्राम पंचायत को परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित मानक/गुणवत्ता पर करणी जायगी। सामग्री को आपूर्ति का घुगतान अथवापेक्षाकारी को स्वीकृत के उपरत हो किया जायगा। आपूर्तिकर्ता को जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरों जी.डब्ल्यू.डी. को दरों का अनुक्रम जी.डब्ल्यू.डी. के टेंटा ऑफ शैड्यूल के अनुसार होगा। सामग्री को आपूर्ति ग्राम पंचायत को आदेशानुसार निर्धारित समय योग के अंतर्गत को जानी अनिवार्य है। सामग्री को गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुसार नहीं जानी जायगी कि स्थिति में घुगतान को धनराशि में से निचयमानानुसार कटौती कर ली जायगी। निविदा को बिना कारण बतैर निलरत करे। अनधिकृत ग्राम पंचायत को होना।					
क्र.सं.	सामग्री का नाम	आपूर्ति मात्रा	दर		
01.	सीमेंट	प्रति बैग/टन			
02.	बार रेत/मिट्टी दरी सहित/लोकल रेत	घन मी.			
03.	बजरकूट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.			
04.	ईट 40 एम.एम./गेड्डी फ्लयर गेड्डी 40 एम.एम.	घन मीटर			
05.	ईस्ट प्रथम श्रेणी मर -150/ईट बालदार मर -275	प्रति नग हजार			
06.	इस्तराक्री टाल्लर 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुल्लर	प्रति नग			
07.	पंचायत पर ऑफिस सभ्युमरेंट, पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/वर्ग मी.			
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्लेटी ऑफ	प्रति नग/वर्ग मी.			
09.	दीवार टाल्लर/करी टाल्लर	वर्ग मीटर			
10.	सिरींग/लोह का जाल/लोह का गेट खिड्की	प्रति कुंतल			
11.	लोह की ऐंगल/पाइप/डोर माईलड	प्रति कुंतल			
12.	सीमेंट को चार/टीन शैड को चार	वर्ग मीटर/नग			
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामरियाँल/टियर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.			
14.	सीलर लाइन्ड नग/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग			
15.	स्ट्रीट लाइट नग/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग			
16.	विजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग			
17.	सैन्ड्री सामग्री/ लोह का फ्रैमिंग तार,ग्रास कट	प्रति नग/वर्ग मी.			
18.	फागिंग शशीन/रस्स शशीन सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग			
19.	ऑफिस फर्नीचर, कम्यूटर (प्रिन्टर, इन्वर्टर, डेस्क), सीसी टी.वी.कैमरा, अलमारी, दरी पाला, डेस्कटॉप/सोलर प्लैट, आदि उपयुक्त होर वगैरा सामग्री।				
20.	इस्टरिया/इन्सीटर/प्लास्टरि सामग्री प्लास्मिंग कार्य	प्रति नग			
21.	कुड़ा गाड्डी/टेली ऐन सर्फाई किट/ ई-रिक्सा	प्रति नग/यूनिट			
22.	सोडियम, हाइड्रोकलोराइड, क्लींरिंग पदार्थ व अन्य कीटाणुनाशक व संत्रकन रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट			
23.	प्राईमर/कोलर, लकड़ी/प्लाई ऐन माडि	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.			
24.	डिस्टेंसर, बोल पुट्टी, रंग, समासेन आदि	प्रति ली./कग./ली.			
25.	पी.वी.सी. पाइप ऐन जी.आई. पाइप समसंबैल पम्प	प्रति नग/रनिंग मीटर			
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवार सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर			
27.	आपना विम/खेल सैलर उपकरण/इसीनरी	प्रति नग			
28.	आर.सी.सी. पाइप, ब्लास पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर			
29.	बारर स्टोरज टैंक/बारर कुल आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर			
30.	रनिंग बारर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.			
31.	अन्योई स्थल/ समूह सौड	*****			
32.	आईएफ+ से सम्वन्धित समस्त कार्य	*****			
नोट:- यदि फर्मों से मरम्मत/सम्पन्नर /आपूर्तिकर्ता के लिप कोई भी नग्न विषयाणी समस्या प्रचलन में आता है तो सम्वन्धित को उसकी भी कारांबाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होना।					
(श्रीमती यलराना ग्राम प्रधान)			(श्री धामेंद्र सिंह सचिव)		
ग्राम पंचायत हरौटा			ग्राम पंचायत हरौटा		
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)			विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)		

कार्यालय ग्राम पंचायत चक्रपुर भूड वि. खण्ड शाहबाद जिला रामपुर				
पत्रांक:- मोमो, /ग्रा.पं./सामग्री आर्थिक/नियम/विचार/कार्य/निविदा/कूटेशन/2025 दिनांक:-08/04/2025				
अत्युत्कलित निविदा, कूटेशन सूचना				
समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत चक्रपुर भूड विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर में विनिर्दिष्ट वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमति प्राप्त ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार सूक्ष्म भूगत गेहूँ (सामग्री/मरने)/15 बाल विट गन्ध विना. RGSA व OSR को सब से निम्नांक कार्य हेतु प्राप्त भवनासी एवं अनुरोध शासकीय मर्दा के अंतर्गत निम्नांक कार्य कार्यये जाने हेतु प्राप्त भवनासी में निर्धारित मात्रा/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि को सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सोलबंद निविदा/कूटेशन-आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मों/आपूर्तिकर्ता दिनांक 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समग 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अप्रोवस्तासी के कार्यालय चक्रपुर ग्राम पंचायत पर रखे बाँस में सोलबंद निविदा/कूटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 18/04/2025 तक ग्राम पंचायत की कमटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कूटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध भवनासी के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर जायेगी, जो ग्राम पंचायत को समर्थ-समर्थ पर प्राप्त आमंत्रित भवनासी पर होगी। आवश्यकता अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर कर जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत को परिसर में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री को आपूर्ति का भुगतान आधारभूतता की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को जी.एस.टी.पंजीकरण संबंधित विषयों में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दूरे पी. डब्ल्यू.टी. की दाँतों को प्रस्तुत पी.डब्ल्यू.टी. के टेंडर ऑफर शेड्यूल के अनुसार होगा। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आश्रयस्थान निर्धारित समय समझ के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मात्रा के अनुसार दूर पाये जाने को दिखित में भुगतान की भवनासी में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण वापस निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।				
क्र.सं.	सामग्री का नाम	व्युत्पन्न मात्रा	दर	
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन		
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.		
03.	बबरकूट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.		
04.	ईट 40 एम.एम./गेड्डी/ फ्लोर रोड्डी 40 एम.एम.	घन मीटर		
05.	ईट प्रथम श्रेणी एम-150/ईट बालर एम-275	प्रति नग हजार		
06.	इस्तेलाक टाइल 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तक	प्रति नग		
07.	पंचायत पर ऑफिस इन्फ्रामेंट, पुस्तकालय/इन्फ्रामेंट	प्रति नग/वर्ग मी.		
08.	एम.आर.एफ. सेन्टर व अन्य सामग्री/कन्क्रीट कायं	प्रति घन मी./घन मी.		
09.	दीवार टाइल/फर्श टाइल	वर्ग मीटर		
10.	सीसा/लोह का जाल/लोह का गेट खिड़की	प्रति कुंतल		
11.	लोह की रैंगल/पाइप/डाटा माईलरस	प्रति कुंतल		
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शीट की चादर	वर्ग मीटर/मी.		
13.	लकड़ी के रखाजे/कार्पाईयल/टियर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.		
14.	सीमेन्ट लाइट नग/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग		
15.	स्टील लाइट नग/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग		
16.	विज्जटी उपकरण/इलेक्ट्रोफिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग		
17.	सेन्टी सामग्री/ लोह का फ्रैसिंग तार/ग्राम कटर	प्रति नग/वर्ग मी.		
18.	फागिंग शीन/रस्स शीन सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच			
19.	ऑफिस फर्नीचर, कम्प्यूटर फिटर, इन्वर्टर, टैब्लेट, सीसी टी.वी. कैमरा, अलमारी, दूरी पंखा, डेस्क/चौ, सोलर पैनल, आदि उपयुक्त वस्तु			
20.	इस्तेलाक/इस्तेलाक/प्लास्मिग सामग्री प्लास्मिग कार्य	प्रति नग		
21.	कूट गाडी/लेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/व्युत्पन्न		
22.	सोडियम, हाइड्रोजन/डबल, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य औद्योगिक व संच्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली. /किलो ग्राम/ प्रति पैकेट		
23.	प्राइमर कोल, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.		
24.	डिस्टम्पर, लोह, पुट्टी, रंग, सोसायम आदि	प्रति कि.ग्रा./कू.ली.		
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समस्त/सहित स्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर		
26.	हैंडपम्प मरम्मत/रीबीर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर		
27.	अपना बिजली/खेल मैदान उपकरण/ईलेक्ट्रोनेट	प्रति नग		
28.	आर.सी.सी. पाइप, ब्रूना पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर		
29.	ग्राफ स्टोरेज टैंक/वाटर क्लर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर		
30.	रनिंग वाटर सफाई/उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.		
31.	अन्योथि स्पल/ समुह शोध	*****		
32.	अन्योथि फर्न+ से सम्बंधित समस्त कार्य	*****		
नोट:- यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विधागीय प्रियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कारवाई के माफकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।				
(श्रीमती फाल्गा बेगम ग्राम प्रधान)		(श्री अवधेश कुमार सचिव)		
ग्राम पंचायत चक्रपुर भूड विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)		ग्राम पंचायत चक्रपुर भूड विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)		

कार्यालय ग्राम पंचायत नालिया आकिल वि. ख. सैदनगर जिला रामपुर				
प्रस्ताव:- मीनो, /ग्रा.पं./सामग्री अर्थात्/ विद्युत तारक/ निर्विद्युत/कूटस्थ/2025 दिनांक:- 08/04/2025				
अव्यक्तता/निविदा/कूटस्थ सूचना				
समस्त अधिकृत फर्मों, जो/जिनके प्रतिक्रिताओं को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत नालिया आकिल विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर में विविता वर्ष 2025-26 के ग्राम पंचायत में द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्थल खराब भारत मिशन (ग्रामपुर/मरसौर/15 वां विात/रामच विात/ RGSB व OSR को मद से निष्काप कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निष्पादन कार्य करके जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्माित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि के काम/सामग्री निर्माण कार्य कर स्थल पर आपूर्ति करने हेतु माहद्वय सौलव्य निविदाएं/कूटस्थ आर्थिकता के माे में है। इच्छुक फर्मों/आपूर्तिकर्ता दिनांक 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अग्रोहास्तरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बोम्स में सौलव्य निविदा/कूटस्थ सहित जाने कर सकते हैं। जो दिनांक 18/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्विधित ग्राम पंचायत के केन्दर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कूटस्थ के अनुसार सामग्री की आपूर्ति प्राप्त पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के निविदा आदेश पर की जायेगी, जो ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवोित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री को आपूर्ति प्राप्त (प्रधान एवं सचिव) के निविदा आवेदन पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति प्राप्त पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कारखानेय पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान ओपेराइन्सतादर की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी.एच.का प्रमाणित विभाग में सोना अनिवार्य है। प्रस्तुत दर 1% डब्ल्यू.टी. की दरों को अनुसूच प्र.डब्ल्यू.टी. के अंतर्गत शेड्यूल के अनुसार होगा। सामग्री की आपूर्ति प्राप्त पंचायत के अग्रोहास्तनर निर्माित समय सोमा के अवगत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुसार नहि जाने जाने की स्थिति में भुगतान को धनराशि से निवामासत कर देती कर दी जायेगी। नहिवा कर को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।				
क्र.सं.	सामग्री का नाम	युनिट मात्रा	दर	
01.	सीमेंट	प्रति बैग/टन		
02.	बालु रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.		
03.	बरफरूट बजरी 20 एम.एम.	घन मी.		
04.	ईट 40 एम.एम./रेड्डी/ पक्कर रेड्डी 40 एम.एम.	घन मीटर		
05.	ईट प्रथम श्रेणी एम-150/ईट बालदर एम-275	प्रति नग/हजार		
06.	लौह कीट दाल्टन 80 एम.एम./60 एम.एम./पुस्तक	प्रति नग		
07.	पंचायत पर ऑफिस इष्टुयमेंट, पुस्तकालय इष्टुयमेंट	प्रति नग/युनिट		
08.	एम.आर.एफ. सेंटर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्ड	प्रति घन मी./वर्ग मी.		
09.	दीवार दाल्टन/कंश दाल्टन	वर्ग मीटर		
10.	सफिया/लोह का जाल/लोह का गेट खिड़की	प्रति कुंतल		
11.	लोह की ऐंगल/पाइप/डोर माइलडस	प्रति कुंतल		
12.	सीमेंट की चादर/टीन शेंड का चारदर	वर्ग मीटर/नग		
13.	लकड़ी के दरवाजे/कार्मारीयल/टिप्पर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.		
14.	सीलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग		
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरि सीट	प्रति नग		
16.	विजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन का सामग्री	प्रति नग		
17.	सेन्ट्री सामग्री/ लोह का फ्रेंसिंग तार,ग्रास चर	प्रति नग/वर्ग मी.		
18.	फोर्गिंग मशीन/संग मशीन, सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग		
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर फिन्टर,इन्वॉयट,बैरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी दरी पंखा,डेस्कचार्ज,सॉलर पैनल, आदि उपयुक्त नये वहां सामग्री	प्रति नग		
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लास्मिग सामग्री प्लास्मिग कार्य	प्रति नग		
21.	कूट/गाड़ी/टेली एंथे सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/युनिट		
22.	सॉलडियम, हाइड्रोकार्बोनाइड, ब्लॉकिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संरक्षक रोगक दवाएं	प्रति ली. /किलो ग्राम/ प्रति पैकेट		
23.	प्राइमर, वॉल पेंट, एंथे सफाई	प्रति ली. /वर्ग फुट/मी.		
24.	डिस्टेंस, लोहा पेंट, एंथे सफाई	प्रति कि.ग्रा. /कूट/मी.		
25.	पी.बी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समस्तसहित पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर		
26.	हैंडपम्प मरम्मत/दीवार सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर		
27.	आपन जिम/खेल मैदान उपकरण/सोनी	प्रति नग/रनिंग मीटर		
28.	आर.सी.सी. पाइप, ब्राम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर		
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर		
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.		
31.	अन-एल्ट्री स्थल/ समूह शेंड	*****		
32.	ऑडिओफन- से सम्विधित समस्त कारो			
नोट:- यदि किसी भी फर्म/सलपार/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागगी प्रमाण प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कारवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।				
(श्रीमती सलया गणेश ग्राम प्रधान)			(श्री धर्पेन्द्र सिंह सचिव)	
ग्राम पंचायत नालिया आकिल विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)			ग्राम पंचायत नालिया आकिल विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)	

कार्यालय ग्राम पंचायत चतरपुर विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर				
पत्रांक:- सी.सी. / ग्रा.पं. / सामग्री अर्थात् / विकास कार्य / निविदा / कुटेशन / 2025 दिनांक:- 08/04/2025				
अपकालिका निविदा / कुटेशन सूचना				
समस्त अधिकृत पत्रांक, पंजीकृत निविदाओं को एतदुवारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत चतरपुर विकास खण्ड शाहबाद जिला रामपुर में विनिर्दिष्ट वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वीकृत भारत मिशन (ग्रामपंचायत/महाराष्ट्र/15 वीं वित्त/रजम विन) / RGSA व OSR को मद से निष्पन्न कार्य हेतु ग्राम पंचायत भूराशि एवं अन्य सांकेतिक मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कायदे ज्ञान हेतु ग्राम पंचायत से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कौशल को सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरवते सिलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता को 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समया 10 बजे से लेकर पंचरात्र 12 बजे तक अथोहस्तक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाँस में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 18/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष समीक्षा ग्राम पंचायत के क्लरक/मुख्यलय पर उलौती जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री को आपूर्ति ग्राम पंचायत में प्रकृत/भराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समने- नया पर ग्राम आवर्जित भराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री को आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सदस्य) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार अनुभव एवं/वाइज जा सकती है। सामग्री को आपूर्ति ग्राम पंचायत की पश्चिम में स्वीकृत दर पर निश्चित करवाये जायेंगे। रकम होगी। सामग्री को आपूर्ति का भुगतान आवश्यकतानुसार की स्वीकृत के उपरत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. 30% काग्रेस संबंधित विषय में होना अनिवार्य है। प्रस्ताव दर् प.डी.ब्ल्यू.डी. को ररों को अनुसूच प.डी.ब्ल्यू.डी. के र्टे और शोसल्लु के अनुसार होगी। सामग्री को आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निश्चित समय मीलों को अंतर्गत को जमा अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता आदेशानुसार माफिक के अक्षुण्ण नहीं पर्ये जाने की स्थिति में ग्रामपंचायत को भराशि से से विषयानुसार कटौती कर लो जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।				
क्र.सं.	सामग्री का नाम		यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेंट		प्रति बैग/नग	
02.	सालू/रेत/मिट्टी दुरी सहित/लोकल रेत		घन मी.	
03.	बजरकूट/ बजरी 20 एम.एम.		घन मी.	
04.	ईटो 40 एम.एम./राष्ट्र/ पत्थर 40 एम.एम.		घन मीटर	
05.	ईट प्रथम श्रेणी एम-150/ईट वादनाय एम-275		प्रति नन हजार	
06.	ईस्टलॉक टालस् 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तक		प्रति नग	
07.	पंचायत पर ऑफिस इन्फ्रमरेंट, पुस्तक/वायरे इन्विजमपट		प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्पल्टे काय		प्रति घन मी./बगं मी.	
09.	दोवार टालस्/फरों टालस्		वगं मीटर	
10.	सीमेंट/लोह का जाल/लोकल रेत के ग्रेडिंक		प्रति कुतल	
11.	लोह की एरल/पाण/दर माहलस्		प्रति कुतल	
12.	सीमेंट की चादर/टीन शेड की चादर		वगं मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कागज/पेट्टर/पेराई		प्रति नग/वगं मी.	
14.	सील लाइट नग/मरमतत उपकरण/शोलायय सीट		प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नग/मरमतत उपकरण/यूनिट सीट		प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रिकल सामग्री कागसग्री		प्रति नग	
17.	सीमेंट सामग्री/ लोह का प्रसिंग वार/ग्राय कट		प्रति नग/वगं मी.	
18.	फािंगिंग मशीन/एर मशीन,सी.सी. बेंच/ डस्क का बेंच		प्रति नग	
19.	ऑफिस फनीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्क/पेपर,बैटरी,सीसी टी.केमरा, अलमारी,डिस्क,ड्राइव,डिस्क/यू.सी.एस. पैनल, आदिर उपयुक्त होने वाली सामग्री।		प्रति नग	
20.	डिजलिन/इसीनर/पल्मार्ग/सामग्री पाल्मार्ग काय		प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/उलेटी एवं सफाई किट/ ई-रिक्सा		प्रति नग/यूनिट	
22.	सीडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लॉकिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोकथाम दवाय		प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्रहरेम लोह, लकड़ी/प्लाई एवं माह्रा		प्रति ली./वगं/कुटली	
24.	डिस्टम्बर, बल पुट्टी, पट्टी, समीस आदि		प्रति कि.ग्रा./पेट्टी/ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जो.आई. पाइप समीसबल पाइप		प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैडडायम मरमतत/रवीर सामग्री		प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	आपन जिम/लेख मैदान उपकरण/ईसीनरट		प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप		प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वायर स्ट्रीज टेक/वायर कूटल आर.ओ.सहित		प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वायर सप्लाई उपकरण		प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ सहृद सहृद			
32.	आर्टिफैक-3 से समीकृत समस्त कार्य			
नोट:- यदि किसी भी फर्म/सप्लायर / आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागिय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित कार्य को उसकी भी कार्रवाई के भावकों को अनिवार्य रूपसे ये पूर्ण करना होगा।				
(श्री रोश सिंह ग्राम प्रधान)			(श्री अवधेश कुमार सचिव)	
ग्राम पंचायत चतरपुर			ग्राम पंचायत चतरपुर	
विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)			विकास खण्ड शाहबाद (रामपुर)	

अप्यकालीन निविदा/ सूचना सूचना				
समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत प्रक्रिताओं को एतद्वारा समुचित सूचना जाता है कि ग्राम पंचायत मेहदीनगर शुमाली कलाखण्ड सेसनगर जिला रायपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विधायक योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार सख्त भारत मिशन (ग्रामपंचायत/महसरो/15 वां शताब्दी स्वयं RGSA व OSR को मर से निष्काय कार्य हेतु ग्राम पंचायत) एवं अन्य शासकीय मर्दों के अंतर्गत निष्काय कार्य कार्यये जाने हेतु ग्राम पंचायत से निष्पात माग/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि के सामग्री निर्माण कार्य कर स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहबर्द सोलबर्द निविदा/कुटेशन का आयोजन की जाती है। इच्छुक फर्मों/आपूर्तिकर्ता निष्काय 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से तक दोपहर 12 बजे तक अघोरास्तरीय के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सोलबर्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो निवेदक 18/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमटी के समक्ष सर्वप्रथम ग्राम पंचायत के बजट/सूचना पर खोले जायेंगे। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धराशिर के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आशय पर की जायेंगे, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवेदित धराशिर पर होंगी। आवश्यकतापूरव सामग्री को आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आशय पर की जायेंगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार पडाई/बढाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निष्पात कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अघोरास्तरीय की स्वीकृत के उपरांत ही करती जायेंगी। आपूर्तिकर्ता को जो एम्प.टो.पंजीकृत संबंधित विषय में काम आना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरों पी. डब्ल्यू.डी. की दरों को समझ लें पी. डब्ल्यू.डी. के टेर ऑफो रोडवूल के अनुसार होंगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदरानुसार निर्धारित समय सोम के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित माग के अनुसार नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान को निवेदक से निमाग/सुपर कटौती कर ली जायेंगी। निविदा को बिना कानूनी वारंसे निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।				
क्र.सं.	सामग्री का नाम	युनिट मात्रा	दर	
01.	सीमेंट	प्रति बैग/टन		
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.		
03.	बकरपट्ट/ बजरी 20 एम.	घन मी.		
04.	ईटो 4एम.एम./गेंडी/ पक्कर 40/40 एम.एम.	घन मीटर		
05.	ईट प्रथम श्रेणी एम-150/ईट बालदार एम-275	प्रति नग/हजार		
06.	ईटलैट टाइल 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तक	प्रति नग		
07.	पंचायत पर ऑफिस ड्यूम्यूमेंट, पुस्तकालय इन्विजमेंट	प्रति नग/युनिट		
08.	एम.आर.एफ.सेन्चर व अन्य सामग्री/कमलौट का घास	प्रति घन मी./वर्ग मी.		
09.	दीवार टाइल/फर्श टाइल	वर्ग मीटर		
10.	सिरिया/लोह के जाल/लोह का गेट खिड्की	प्रति कुंतल		
11.	लोह की ऐंगल/पाइप/डोर माईलस	प्रति कुंतल		
12.	सीमेंट को चाद/टोपल शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग		
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामशिथल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.		
14.	सोस्तर लाइट नया/भम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग		
15.	सोस्तर लाइट नया/भम्मत उपकरण/यूरि सीट	प्रति नग		
16.	विजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग		
17.	सेनेट्री ड्यूम्यू/ लोह का प्रसिंग तार/डरक	प्रति नग/वर्ग मी.		
18.	फोर्गिंग मशीन/सेन्थ मशीन, सी.बी.बैंच/इस्कर का बेंच	प्रति नग		
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर फिन्चर,इन्वर्ट,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरौ,पडाई,ईस्कर्टीप,सोस्तर पी.बल, आदि उपकरण होने वाली सामग्री	प्रति नग		
20.	डस्टबिन/इन्सोर्ट/प्लास्मिंग सामग्री प्लास्मिंग कार्य	प्रति नग		
21.	कुड़ा/गाड़ी/तेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्सा	प्रति नग/युनिट		
22.	सोडियम, हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कोटाशक व संरक्षक रोकक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/प्रति पैकेट		
23.	प्राईमर/बालू, लकड़ी /प्लाई एवं माफा	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.		
24.	डिस्टम्पर, वोल्ट प्ले, समीस आदि	प्रति कि.ग्रा./कु.ली.		
25.	पी.बी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समस्तबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर		
26.	हैडपम्प मरम्मत/रोबो/सामी	प्रति नग/रनिंग मीटर		
27.	आपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनटर	प्रति नग/रनिंग मी.		
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर		
29.	वाटर टोटोज टैंक/वाटर क्लोर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर		
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.		
31.	अल्ट्राईथ स्थल/ समूह शेड	*****		
32.	ऑटोएफन से सम्बंधित भस्मत कार्य	*****		
नोट:- यदि किसी भी फर्म/सलपार/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विषयगोपी विषय प्रस्तुत में आता है तो संबंधित को उसकी भी कारवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।				
(श्री राहुल कुमार ग्राम प्रधान)		(श्री धर्मेश सिंह सचिव)		
ग्राम पंचायत मेहदीनगर शुमाली विकास खण्ड सेसनगर (रायपुर)		ग्राम पंचायत मेहदीनगर शुमाली विकास खण्ड सेसनगर (रायपुर)		

कार्यालय ग्राम पंचायत नैरंगपुर विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर				
परांक- बीपी, /ग्र.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटरेम/2025 दिनांक-08/04/2025				
अत्यल्प निम्न निविदा सूचना				
समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत निविदाओं को एवमुद्रा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत नैरंगपुर विकास खण्ड देवरगढ़ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा आमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार समक्ष भारत मिशन ग्रामपंचायत/मरेणा/15 वॉ शिव/राज्य शिव/ RGSA व OSR को मर से निष्काह कार्य हेतु ग्राम पंचायत हेतु अन्य सामग्री के मरों के अंतर्गत निम्नांक कार्य कार्य हेतु ग्राम पंचायत पर निर्धारित मातृक/सुलभता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निम्नांक कार्य स्थल पर आगुति करके हेतु मोहर्वरद निविदाएं/कुटरेम आमोदित की जाती है। इच्छुक फर्मों/आपूर्तिकर्ता दिनांक 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अपोहोहाहरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर ररर बांक्स में सोलवरद निविदा/कुटरेम सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 18/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्वीधत ग्राम पंचायत के कलेक्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटरेम के अनुसार सामग्री को आपूर्ति ग्राम पंचायत में उल्लंघन भगाराण के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय- समय पर ग्राम आवोदित भगाराण पर हांगे। आवश्यकतानुसार सामग्री को आपूर्ति ग्राम पंचायत (ग्राम पंच संविध) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री को मात्रा आवश्यकता अनुसार बंध/बर्दाई जा सकती है। सामग्री को आपूर्ति ग्राम पंचायत पर परिश्रम में स्वीकृत दर पर निष्काहित करके निष्काह पर कर्नी हांगे। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अंतर्गत सामग्री को स्वीकृत के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण आवश्यक विधायन में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू. की दरों को अनुक्रम पी.डब्ल्यू. की दरें ओर ओरेशुल्ल के अनुसार हांगे। सामग्री को आपूर्ति ग्राम पंचायत के अंशदानुसार निर्धारित समय योमा के अंतर्गत की जाते अनिवार्य है। सामग्री को गुणवत्ता निर्धारित मातृक के अनुसार नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान को भगाराण में से निम्नानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने अधिकतर ग्राम पंचायत को हांगे।				
क्र.सं.	सामग्री की जायेगी	युनिट प्राइस	दर	
01.	सीमेंट	प्रति बैग/टन		
02.	बाल रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.		
03.	बज्रफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.		
04.	ईट 40 एम.एम./रोड़ी पथर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर		
05.	ईट प्रथम श्रेणी एम-150/ईट बार एम-275	प्रति नग हजार		
06.	इस्टरली टाइल्स 80 एम/ 60 एम/ एस्टिक	प्रति नग		
07.	पंचायत घर ओफिस इम्पुवमेंट/ पुस्तकालय इम्पुवमेंट	प्रति नग/युनिट		
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्लीट कार्य	प्रति वर्ग मी./वर्ग मी.		
09.	दीवार टाइल्स/फाई टाइल्स	घन मीटर		
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का रेट/खड़की	प्रति कुल		
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माइल्डस	प्रति कुल		
12.	सीमेंट की चार/टीन शेंड की चार	वर्ग मीटर/नग		
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामिशिल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.		
14.	सीमेंट लाइट नग/मरम्मत उपकरण शोचालय सीट	प्रति नग		
15.	स्टील लाइट नग/मरम्मत उपकरण/युनिट सीट	प्रति नग		
16.	मिजली उपकरण/टेलनेट/शिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग		
17.	फेनेट्री सामग्री/ लोहे का इस्कर तार ग्राम पंचायत	प्रति नग/वर्ग मी.		
18.	फागियन मशीन/सेब मशीन, सी.सी. बेंच/ डक का बेंच	प्रति नग		
19.	ऑफिस फर्नीचर, कम्प्यूटर डिस्क, ज्वैलरी, बैटरी, सीसी टी.वी. कैमरा, अलमारी, दोर पंखा, डेस्कटॉप, सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होरी बाजे, सामग्री	प्रति नग		
20.	इस्वीपिंग/इस्वीटरी/प्लासमिंग सामग्री प्लासमिंग कार्य	प्रति नग		
21.	कड़ा गाड़ी/टेली रेट सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/युनिट		
22.	सूडियम, हाइड्रोक्लोराइड, स्लीफिंग पाउडर व अन्य कोटायाक व स्क्रैमम रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो पाउडर प्रति क्वेट		
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी/प्लाई रेट सफाई	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.		
24.	डिस्ट्रिब्यू, विल फुट्टी, रेट, समासेम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु.ली.		
25.	पी.बी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समस्विल यम	प्रति नग/ रनिंग मीटर		
26.	हैंडपम्प मरम्मत/दीवार सार सामग्री	प्रति नग/ रनिंग मीटर		
27.	अपना निम/खेल मीटर उपकरण/ईसीनेटर	प्रति नग		
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर		
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कुल आर ओ.सहित	प्रति नग/लीटर		
30.	रनिंग वाटर सल्ला उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.		
31.	ऑनग्रेड स्व्हा/ समूह शेंड			
32.	ऑनग्रेड-स से सम्वीधत समस्त कार्य			
नोट:- यदि किसी भी फर्म/प्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नग/विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना हांगे।				
(श्रीमती सुमन रानी ग्राम प्रधान)		(श्री मनोज कुमार सचिव)		
ग्राम पंचायत नैरंगपुर		ग्राम पंचायत नैरंगपुर		
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)		विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)		

कार्यालय ग्राम पंचायत ढक्का हाजीनगर वि. ख. सैदनगर जिला रामपुर					
पंखा:- भीमो, ग्रा.पं. सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य:- निविदा/कुटेशन, 2025 दिनांक:- 08/04/2025					
अत्यल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना					
समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विद्यार्थियों को एन्ट्रेंडग्रा सूचना जारी किया जाता है कि ग्राम पंचायत ढक्का हाजीनगर विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमति प्राप्त ग्राम पंचायत विकास योजना प्रकिये वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ पाणी हेतु निर्माण प्रामोनी/नरेनी/। 5 बाँवित/राम्य विना RGSA व OSR को करे व निर्माण को करे ग्राम पंचायत धरगरीश एवं अन्य शाकाकी वगैरे के अंतर्गत निर्माण कार्य करे जहाँ हेतु ग्राम पंचायत से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि को सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरदार सोलदार निविदाएं/कुटेशन कागजात की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय विकास नंबर 109 के से लेकर रोडपार 12 ज्ञेय तह अंधोहराहासी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे सोलदार में सोलदार निविदा/कुटेशन सहेजना जमा कर सकते हैं। जो दिनांक 18/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष समर्थित ग्राम पंचायत को करार कर मुखायत पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धरगरीश के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आदेशित धरगरीश पर होगी आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री को मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अंधोहराहासी की स्वीकृत के उपरत हो करती जायेगी। आपूर्तिकर्ता को जी.एच.टी.पंजीकरण संबंधित विषय में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दर ही इच्छुकी, जो दरों को अनुसूची प्.इच्छुकी, जो दर और तोइच्छुके के अनुसार होगा। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जान अनिवार्य है। सामग्री को गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाते कि स्थिति में भुगतान की धरगरीश में से निगमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बिना वगैरे निस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।					
क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट	प्रति भाग/टन	दर	
01.	सीमेंट		प्रति भाग/टन		
02.	बलूर/टिम्पु/दूरी सहित लोहाकले रेत		घन मी.		
03.	बाजूरफुट/ बजरी 20 एम.एम.		घन मी.		
04.	ईट 40 एम.एम./रोड़ी/ फश्तर रोड़ी 40 एम.एम.		घन मीटर		
05.	ईट प्रथम श्रेणी एम-150/ईट बालगर एम-275		प्रति नग हजार		
06.	इंटरलॉकिंग टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके		प्रति नग		
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्लूमेंट/ पुस्तकालय इक्विपमेंट		प्रति नग/यूनिट		
08.	एम.आर.एफ. सेक्टर व अन्य सामग्री/कम्पल्टी कार्य		प्रति घन मी./वर्ग मी.		
09.	दीवार टाइल्स/फर्शो टाइल्स		वर्ग मीटर		
10.	सरिया/लोहे का जाल लोहे का रेट विडुकी		प्रति कुल		
11.	लोहे की रैंगल/पाइप/डोर माईडल		प्रति कुल		
12.	सीमेंट को चार/दोरी शॉड्स की बावर		वर्ग मीटर/नग		
13.	लकड़ी के दरवाजे/कागजिशिल/टिक्नर/प्लाई		प्रति नग/वर्ग मी.		
14.	सोलेर लाइट नग/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट		प्रति नग		
15.	स्ट्रीट लाइट नग/मरम्मत उपकरण/यूनिट सीट		प्रति नग		
16.	विजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री		प्रति नग		
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेमिंग तार/सामग्री		प्रति नग/वर्ग मी.		
18.	फागिंग मशीन/सूय मशीन, सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच		प्रति नग		
19.	ऑफिस फर्नीचर, कम्प्यूटर डिस्क, ज्वेल्स, डेबेटी, सीसी टी.वी. कैमरा, अलमारी, दूरी पंखा, डेस्कटॉप, सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री		प्रति नग		
20.	इस्टर्न/इन्सीट/पेन्सिलिंग सामग्री प्लागिंग कार्य		प्रति नग		
21.	कुड़ा गाड़ी/तेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्षा		प्रति नग/यूनिट		
22.	सिंथियम, हाइड्रोलॉजिकल, स्टील का पाइपर व अन्य कोटाशास्य व संरचना गेधक दवाएं		प्रति बैकेट		
23.	ड्राईमर लोहा, लकड़ी/ प्लाई एवं माईका		प्रति ली./वर्ग फुट/मी.		
24.	डिस्टम्पर, बल्ले फुट्टे, रेत, समोस आदि		प्रति क्रो. को./कू.ली.		
25.	पी.बी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समोसबिल पम्प		प्रति नग/ रनिंग मीटर		
26.	हैंडपम्प मरम्मत/रीवार सामग्री		प्रति नग/ रनिंग मीटर		
27.	आपना जिम/खेल मैदान उपकरण/इसीनलेर		प्रति नग		
28.	बार सी.सी. पाइप, ब्रूम पाइप		प्रति नग/रनिंग मीटर		
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित		प्रति नग/लीटर		
30.	रनिंग वाटर स्टोरेज उपकरण		प्रति नग/रनिंग मी.		
31.	अन्योपयोगी/ समुचित				
32.	ऑटोएफ-सू स्यां सहीत समस्त कार्य				
नोट:- यदि किसी भी फर्म/व्यपनार/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नग्न विषयागिग नियम प्रचलन में आता है तो संशोधित को उसकी भी कारंवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।					
(श्रीमती नयनपुष्पा शर्मा ग्राम प्रधान)			(श्री मनोज कुमार सचिव)		
ग्राम पंचायत ढक्का हाजी नगर			ग्राम पंचायत ढक्का हाजी नगर		
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)			विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)		

कार्यालय ग्राम पंचायत मिलक मिर्जा फयाज वि.ख. सैदपुर जिला रामपुर				
पत्रांक-मोहो./ग्रा.पं./सामग्री आगति/विचार कार्य/निविदा/कुशल/2025 दिनांक-08/04/2025				
अल्पकालीन निविदा/कुशेनर सूचना				
समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत निविदाओं को एकेद्रास सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत मिलक मिर्जा फयाज विकास खण्ड सैदपुर जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमति प्राप्त ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार खण्ड लघु ग्राम मिशन ग्रामीण/भरगोड़ा/15 वॉ तिवर/रम्य तिवर/ RGSA व OSR को भी नये मिर्जा कार्य हेतु ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत एवं अन्य शासकीय कार्य को अंतर्गत निम्नांकित कार्यो ज्ञान हेतु ग्राम पंचायत में निर्धारित मार्ग/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री कांचा कार्य स्थल पर निर्धारित करने हेतु मोहरदह सोलवर निविदाएं/कुशेनर आर्मेन्ट की जाती है। चक्क्य कम/अपूर्ति/कालीन दिनांक 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अग्रोस्थाक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सोलवर निविदा/कुशेनर सहित जमा कर सकते हैं। जो दिनांक 18/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटेय के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के कन्स्ट्रक्ट डेवलापर पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुशेनर के अनुसार सामग्री की अपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध भनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो पंचायत के पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित भनराशि पर होगी। आवश्यकता अनुसार सामग्री के लिए ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की अपूर्ति ग्राम पंचायत की परिसर में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्याध्यक्ष पर कर्त्तव्य होगी। सामग्री की अपूर्ति का भुगतान अग्रोस्थाक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। अपूर्ति/कालीन की अनुपूर.पं.पंजीकरण संबंधित विषय में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी. डब्ल्यू.डी. की दरों की एक प्रति पी.डब्ल्यू.डी. के टेड ऑफ शोल्डर के अनुसार होगी। सामग्री की अपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सोमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित काल के अनुरूप नई पत्रों ज्ञान की स्थिति में भुगतान की भनराशि में से निम्नानुसार कटौत कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बिना वजह निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।				
क्र.सं.	सामग्री का नाम	व्युत्पन्न मात्रा	दर	
01.	सीमेंट	प्रति क्वॉन्टर	र	
02.	बाल रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.		
03.	काचफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.		
04.	ईट 40 एम.एम./रोड़ी/ फेब्र रेडोई 40 एम.एम.	घन मीटर		
05.	ईट प्रथम श्रेणी एम-150/ईट बालर एम-275	प्रति नग हजार		
06.	इंटरलॉक टाइल 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तक	प्रति नग		
07.	पंचायत पर ऑफिस ड्यूटरी/पुस्तकालीन इन्वेंट्री कार्य	प्रति नग/वर्ग मी.		
08.	एम.आर.एच.सेन्टर व अन्य सामग्री कमलौट कपरे	प्रति नग/वर्ग मी.		
09.	दीवार टाइल/फर्श टाइल	वर्ग मीटर		
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का टेड पिडुकी	प्रति कुंतल		
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डार माईलडस	प्रति कुंतल		
12.	सीमेंट की चार/टीन शेंड की वायर	वर्ग मीटर/नग		
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामरशिवाल/टियमर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.		
14.	सीमेंट लाइन्ड नग/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग		
15.	स्ट्रीट लाइट नग/मरम्मत उपकरण/यूनिट सीट	प्रति नग		
16.	विजली उपकरण/एलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग		
17.	फोर्निटी सामग्री/ लोहे का फ्रेंसिंग तार,ग्राह कर	प्रति नग/वर्ग मी.		
18.	साईनिंग शीशी/सेस मशीन, सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग		
19.	ऑफिस फर्नीचर, डेस्क/चैयर (मिटर, डबलर, डेरी), सीसी टी.वी.कैमरा, अलमारी, हरी पंखा, डेस्क/टॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होवे वाली सामग्री	प्रति नग		
20.	डस्टबिन/इसीसी/प्लम्बरी/सामग्री प्लांबिंग कार्य	प्रति नग		
21.	कुड़ा गाड़ी/टेली एवं सफाई किट-ई-रिक्सा	प्रति नग/व्युत्पन्न		
22.	कुड़ाशियन, हाइड्रोलिक/डबल, स्लीपिंग पाउडर व अन्य कोटाशयक व सैक्रकन रोपक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट		
23.	प्रान्थम लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.		
24.	डिस्ट्रिप्स, लोहा फुटी, ट्रे, सामान आदि	प्रति ली./वर्ग फुट/ली.		
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई पाइप समस्त/बिल पम्प	प्रति नग/रनिंग मीटर		
26.	हैंडपम्प मरम्मत/रीवर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर		
27.	आपन विपम/खेल भानु टायर उपकरण/इसीसेनर	प्रति नग		
28.	आर.सी.सी. पाइप, ब्लूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर		
29.	वायर स्टोरेज टैंक/वायर कुल आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर		
30.	रनिंग वायर समस्त उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.		
31.	ऑटोईड स्थल/ समुद्र शूड	प्रति नग/रनिंग मी.		
32.	ऑटोईफ+से सम्बंधित समस्त कार्य			
नोट:- यदि किन्हीं से फर्मों/स्वाम्यार/ अपूर्ति/कालीन के लिए कोई भी नया विभागीय पत्राचार पंचायत मिलक मिर्जा फयाज विकास खण्ड सैदपुर (रामपुर) के अंतर्गत रूप से पूर्ण करना होगा।				
(श्री धर्मवीर सिंह ग्राम प्रधान)		(श्री मनोज कुमार सचिव)		
ग्राम पंचायत मिलक मिर्जा फयाज विकास खण्ड सैदपुर (रामपुर)		ग्राम पंचायत मिलक मिर्जा फयाज विकास खण्ड सैदपुर (रामपुर)		

कायाँल ग्राम पंचायत शाहदरा उर्फ थुनापुर वि. ख. सैदनगर जिला रामपुर				
पन्नांक- सौमो, /ग्राम./सामग्री कायदा/निकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांक- 08/04/2025				
अल्पकालीन निविदा/कायदा सूचना				
समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत निविदाओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत शाहदरा उर्फ थुनापुर विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमति प्राप्त ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार खण्ड लघु नगर मिशन ग्रामीण/महाश्री/15 वीं वित्त/रम्य विभाग RGSA व OSR को भी सौ निम्नांकित कार्य ग्राम पंचायत/ग्राम/पन्नांक एवं अन्य शासकीय कार्य को अंतर्गत निम्नांकित कार्यएं जहाँ हेतु ग्राम पंचायत निविदा में निर्धारित मार्ग/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहवदर सोलवरद निविदा/कुटेशन अर्थात् वित्त की जाती है। चयुक फर्मों/आपूर्तिकर्ता दिनांक 09/04/2025 से 17/04/2025 तक निविदा/कुटेशन दिसस में 10 वजे से लेकर दोपहर 12 वजे तक अधोस्तरीय के कायाँल ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सोलवरद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो दिनांक 18/04/25 को ग्राम पंचायत की कमेट्री के समक्ष सम्मति प्राप्त पंचायत के कन्स्ट्रक्टर/मुक्यालय पर खोली जायेगी। चयुक/कुट निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति प्राप्त पंचायत में उपलब्ध भनराशिक के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आदेश/भनराशिक पर होगी। आवश्यकता/समय सामग्री की आपूर्ति प्राप्त पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति प्राप्त पंचायत की परीक्षा में स्वीकृत दर पर निर्धारित उपरोक्तस्थिति पर कर्ना होगी। सामग्री का आपूर्ति प्राप्त पंचायत अधोस्तरीय की स्वीकृति के कारण ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का को अनुपूरु, टी.पंजीकरण संबंधित विषयों में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी. डब्ल्यू. टी. को दरों को अनुपूरु पी.डब्ल्यू.टी. के रेट और शोडकूल के अनुसार होगा। सामग्री की आपूर्ति प्राप्त पंचायत के आशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने को स्थिति में पुनरागत की जायेगी। सौ में निगमानुसार कटौती कर ली जायेगी। जहाँ पाये जाने कागज वगैरह निस्तेल कले को अधिकतम ग्राम पंचायत को होगा।				
क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट	प्रति	दर
01.	सोमेट	प्रति बैग/टन		
02.	बागू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.		
03.	बजरकुट्टी बजरी 20 एम.एम.	घन मी.		
04.	ईट 40 एम.एम./रोड़ी पक्कर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर		
05.	ईट प्रथम श्रेणी एम-150/ईट बालदार एम-275	प्रति नग/हजार		
06.	इस्तरकाली टायल 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुलक	प्रति नग		
07.	पंचायत पर ऑफिस कम्यूनिटी, मुस्तकालीन इन्जनमैट	प्रति नग/वर्ग मी.		
08.	एम.आर.एफ.सेक्टर व अन्य सामग्री/कमलौटी कर	प्रति घन मी./वर्ग मी.		
09.	टीवाट एलएफ/फर्श टायल	वर्ग मीटर		
10.	सरिफ/लोह का जाल/लोह का रेट खिड़की	प्रति कुंतल		
11.	लोह का रिंगल/पाइप/डोर माइलडस	प्रति कुंतल		
12.	सोमेट की चार/टीन शंड को वादर	वर्ग मीटर/नग		
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामशिथिल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.		
14.	सोलेर लाइट नग/मरमत्त उपकरण शोबाबलर सीट	प्रति नग		
15.	स्टील लाइट नग/मरमत्त उपकरण/यूनिट सीट	प्रति नग		
16.	विजली उपकरण/इलेक्ट्रिसियल कार्य सामग्री	प्रति नग		
17.	फेर्नीट सामग्री/ लोह का फ्रेंसिंग रत,ग्रास कट	प्रति नग/वर्ग मी.		
18.	सोमेटि शशीन/रस मशीन, सी.सी. बैच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग		
19.	ऑफिस फर्नीचर, कम्यूनिटी मिटर, इन्वर्टर, सेटरी, सीसी टी.वी. कैमरा, अलमारी, दूरी पंख, डाइकटपंप, सोलर पैनल, आदि उपयुक्त वगैरह वाली सामग्री	प्रति नग		
20.	इस्तरकाली/इस्तरकाली/पन्नांक सामग्री प्लायाँविक कार्य	प्रति नग		
21.	कुड़ा गाड़/ढेली एवं सफाई किट/ई-रिक्सा	प्रति नग/यूनिट		
22.	सिडिथम, हाइड्रोप्लांटिंग, क्लीनिंग पाउडर व अन्य औद्योगिक व सन्नक्रम रोधक दरवाह	प्रति ली. किलो ग्राम/ प्रति पैकेट		
23.	प्राइमर लोहा, लकड़ी/पन्नाह एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.		
24.	डिस्टेंस, बेल पुट्टी, रेट, समोस मीटर	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.		
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं ओ.आई. पाइप, समोसबिल मम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर		
26.	हैडपम्प मरमत्त/टीवाट सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर		
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग		
28.	आर.सी. पाइप, ब्रूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर		
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर		
30.	रनिंग वाटर सप्लाय उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.		
31.	अन्यस्थल स्थल समूह शूड	*****		
32.	ऑडीएफए+ से सम्बंधित समस्त कार्य	*****		
नोट:- यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागोय निमण प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्यावाई के सम्पाको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।				
(श्री रामोतरा ग्राम प्रधान)		(श्री मनो ज कुमार सचिव)		
ग्राम पंचायत शाहदरा उर्फ थुनापुर विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)		ग्राम पंचायत शाहदरा उर्फ थुनापुर विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)		

कार्यालय ग्राम पंचायत किसानपुर पनचवकी वि.ख. सैदनगर जिला रामपुर

पत्रांक:- मोमो, /ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांक:-08/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत किसानपुर पनचवकी विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार सूचना प्रसारित मिस्रन ग्रामपंचायत/मरेला/15 आ वित्त/रम्य विभाग/ RGSA व OSR को मरर से निष्पादक कार्य हेतु ग्राम पंचायत में अतिर शसकोय मरर के अंतर्गत निष्पादन कार्य कार्यये जाने हेतु ग्राम पंचायत से निष्पत्ति मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सोलवरद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक फर्मों/आपूर्तिकर्ता दिनांक 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय वित्तस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अपाओस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सोलवरद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 18/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमीटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के कन्स्ट्रक्ट मुख्यालय पर खोली जायेगी। कमीटी निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आदेशित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घट्या/बढाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परफिम में स्वीकृत पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री को आपूर्ति का पुरातन अपाओस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को जी.एस.टी.पंजीकरण सम्बन्धित विवरण में राना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी. डब्ल्यू. की दरों को अपरुप पी. डब्ल्यू. की दर अंतर्गत ओइडल्ल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आशानुसार निष्पत्ति समय योगा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में पुरातन की अनिवार्य है में निष्पत्तमान स्वीकृति कर ली जायेगी। निविदा को विना कारणावली बिनाये निस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	विनिर्दिष्ट मात्रा	दर
01.	सीमेंट	प्रति बैग/टन	रर
02.	बालु रेत/मिट्टी दुरी सहित/लोकल रेत	घन मी०	
03.	चरफट्ट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी०	
04.	ईट 40 एम.एम./रोड़ी/ फक्कर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	इस्तरक श्रेणी एम-150/ईट बालवर एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इस्तरक टाइल्ल 80 एम.एम./ 60 एम.एम.	प्रति नग	
07.	पंचायत पर ऑफिस इम्पुलमेंट, पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ. सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी०/वर्ग मी०	
09.	दीवार टाइल्ल/फर्शी टाइल्ल	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहा का गेट खिड्की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्लड	प्रति कुंतल	
12.	सीमेंट की चारट/डीन शेर को चारर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामिर्शियल/टियरर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी०	
14.	सीमेंट लाइट नग/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्टील लाइट नग/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेन्टींग सामग्री/ लोहे का फ्रंसिंग तार,ग्रास कर	प्रति नग/वर्ग मी०	
18.	फोर्गिंग मशीन/स्प शशीन सीसी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर, कम्प्यूटर/प्रिन्टर,इन्वर्टर,डेस्टी,सीसी टी.वी.कैमरा, अलमारी,दरौ पंखा,डिस्कॉय/सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होतौ वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	इन्टरनेट/इन्सीटीए/एल्मर्गिण सामग्री प्लागिन्ग कार्य	प्रति नग	
21.	कुड़ा गाड़ी/ढेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्षा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोरिक, क्लोरीन पाउडर व अन्य कीटाणुशक व सूक्ष्मक रोधक दवाएं	प्रति ली०/किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राइमर लोहा, लकड़ी/प्लाई एवं माडका	प्रति ली०/वर्ग फुट/मी०	
24.	हिरम्प, कालि, फुल, पुर्त, रस, सामान्य वगैर	प्रति ली०/किलो, बाल	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जो.आई. पाइप समसेबिल पम्प	प्रति नग/रनिंग मीटर	
26.	हैडपम्प मरम्मत/रीवीर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	अपना/खिल/खेल मदाना उपकरण/इसीनरटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूप पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कुल आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सपलाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी०	
31.	ऑटोड्रिग्ट स्थल/ समूह शौह		
32.	अन्यीएफ+ से सम्बन्धित समस्त कार्य		

नोट:- यदि किसी भी फर्म/सम्पन्नर/आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागियी निर्माण प्रचलन में आता है तो संयन्धित को उसकी भी कारावाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा।

(श्री राहत ग्राम ग्राम प्रधान)

(श्री मनोज कुमार सचिव)

ग्राम पंचायत किसानपुर पनचवकी विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

ग्राम पंचायत किसानपुर पनचवकी विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत कुकुड़ी खेड़ा विकास ख. सैदनगर जिला रामपुर				
प्रभाग:- भीमो, /ग्राम./,सामग्री आपूर्ति/ विकास कार्य/ निर्माण/ कूटेशन/ 2025 दिनांक:-08/04/2025				
अल्पकालीन निविदा/ कूटेशन सूचना				
समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत प्रक्रियताओं को एकेतराध स्पर्दित किया जाता है कि ग्राम पंचायत कुकुड़ीखेड़ा विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर में विविध वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना विभिन्न वर्ष 2025-26 के अनुसार सूचक भारत मिशन ग्रामपंचायत/मसरोली/15 वां शासकीय वित्त/ RGSA व OSR को सब से निम्नण कार्य हेतु प्रस्ताव भराइए एवं अन्य आवश्यक मायों में अंतर्गत निर्माण कार्य कार्यये जाते हेतु ग्राम पंचायत से निर्धारित मामक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि को सामग्री निर्माण कार्य कर स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहब्बत सीबीवई निर्विदाएं/कूटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मों को आवश्यकता निर्दिष्ट 09/04/2025 को 17/04/2025 तक कार्यवाहक दलिस में समेत 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अभ्यवेतास्थानी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाँसमें से सीबीवई निविदा/कूटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 18/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटेई के समक्ष सम्व्यवित ग्राम पंचायत के केन्दर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदाएं/कूटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध भवराशि के अनुसार पर ग्राम पंचायत के निर्णित आदेश पर की जायेगी, जो ग्राम पंचायत को सम्य-सम्य पर प्राण आवोर्तित भवराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के निर्णित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यवाहक पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अभ्यवेतास्थानी की स्वीकृति के उपर्युक्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को की अनुपेक्षे,पंजीकृतकरण संबंधित विभाग में नमा अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी. डब्ल्यू.टी. की दरों पर,एस.टी.पी.डब्ल्यू.टी. के डेट और रोडवुल्ल के अनुसार होगा। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आश्रयस्थानी निर्धारित समय सोम को अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुकूप नहीं पाये जाने को स्थिति में पुनरागत न हो। सामग्री में से नियमानुसार कटीरी कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बावें निलस्त करने को अधिकार ग्राम पंचायत को हेतु।				
क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर	
01.	सीमेंट	प्रति बैग/टन		
02.	बालर/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी०		
03.	काचफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी०		
04.	ईं 40 एम.एम./रोडई/ पत्थर रोडई 40 एम.एम.	घन मीटर		
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालतर एम-275	प्रति गन/हजार		
06.	इलेक्ट्रीक टाइलस् 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तक	प्रति गन		
07.	पंचायत घर ऑफिस इन्फ्रामेन्ट, पुस्तकालय इन्फ्रामेन्ट	प्रति गन/यूनिट		
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कूटेशन कार्य	प्रति घन मी०/वर्ग मी०		
09.	दीवार टालस्/फर्श टालस्	वर्ग मीटर		
10.	सिरिया/लोह का जाल/लोहे का गेट खिडकी	प्रति कुंतल		
11.	लोहे की रैंगल/पाइप/डोर मॉडलस्	प्रति कुंतल		
12.	सीमेंट की चादर/टीन शेट की चादर	वर्ग मीटर/गन		
13.	लकड़ी के दरवाजे/कार्पासियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति गन/वर्ग मी०		
14.	सीलर लाइट नयाम/मस्तक उपकरण/शोचालय सीट	प्रति गन		
15.	सीलर लाइट नयाम/मस्तक उपकरण/यूनिट सीट	प्रति गन		
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन का सामग्री	प्रति गन		
17.	फेर्निट सामग्री/ लोहे का प्रेसिंग तार,घास कटरी	प्रति गन/वर्ग मी०		
18.	सोपनी मशीन/पेन्स मशीन, सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति गन		
19.	ऑफिस फनीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इम्पेडर,बैटरी,सीसी टी वी कैमरा, अलमारी,दूरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदिर उपकृत होने वाला सामग्री	प्रति गन		
20.	इलेक्ट्रियन/इसीनोटर/प्लम्बरी सामग्री प्लांफर्मी कार्य	प्रति गन		
21.	कूड़ा गाड़ी/वेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्सा	प्रति गन/यूनिट		
22.	सीडियम, हाइड्रोकार्बोनाइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कोटनराशय व समुक्तक रोपक दवाएं	प्रति ली०/किलो ग्राम/प्रति फूट		
23.	प्रॉग्रमर लोह, लकड़ी/प्लाई एवं माइक्रा	प्रति ली०/वर्ग फुट/मी०		
24.	डिस्टेम्पर, बोल फुटी, रैप, समोस मशीन	प्रति कि०.ग्राम/कू०/ली०		
25.	पी.बी.सी. पाइप एवं जी०.आई. पाइप समरसोबित पम्प	प्रति गन/ रनिंग मीटर		
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/लवोर सामग्री	प्रति गन/रनिंग मीटर		
27.	ओपन जगम/खेल मैदान उपकरण/इसीनोटर	प्रति गन		
28.	आर.सी.सी. पाइप, ब्रूम पाइप	प्रति गन/रनिंग मीटर		
29.	वायर स्टोरेज पैक/वायर कूटलर आर.ओ.सहित	प्रति गन/मीटर		
30.	रनिंग वायर सप्लाई उपकरण	प्रति गन/रनिंग मी०		
31.	अन्योईथ स्थल/ समुह रोड	*****		
32.	ऑडिओ/एफ० स० समव्योचित समस्त कार्य			
नोट:- यदि किसी भी फर्म,सलायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागगी नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कारवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।				
(श्रीमती कलवन्ती ग्राध प्रधाण)		(श्री प्रमोद कुमार सिंचिव)		
ग्राम पंचायत कुकुड़ी खेड़ा विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)		ग्राम पंचायत कुकुड़ी खेड़ा विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)		

[illegible]

कार्यालय ग्राम पंचायत धनुषा विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर				
प्रदर्शक:- मी.जे. /रा.प. /सा.प्र.सि.आ.पु.नि.वि.का.स.कार्य/निविदा/कूटेशन/2025 दिनांक:-08/04/2025				
असफलक्रीन निविदा/कूटेशन सूचना				
समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को पुनर्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत धनुषा विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर में वितायें वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना/पुस्तक वर्ष 2025-26 के अनुसार पंचायत विकास प्रणाली/ग्राम/पंचायत/रा.प.सि.आ.पु.नि.वि.का.स.कार्य/ RGSA व OSR को नए से नवीनीकरण का हेतु बना धराश्रय एवं अन्य आधारभूत कार्य में अंतर्गत निर्माण कार्य करायें जायें। ग्राम पंचायत धनुषासि से निर्माणित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कागरी स्मल पर आपूर्ति करने हेतु मोहबंदी सोलबंद निविदाएं/कूटेशन आमंत्रित की जाती है।				
इच्छुक फर्मों/आपूर्तिकर्ता दिनांक 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक अभ्यर्थताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे जायेंगे।				
सोलबंद निविदा/कूटेशन सहित नाम कर सकते हैं। जो कि दिनांक 18/04/2025 तक ग्राम पंचायत की कार्यवाही के समक्ष सम्प्रापित ग्राम पंचायत के सेलस्टेड मुख्यालय पर छोड़ो जायेंगी। स्वीकृत निविदा/कूटेशन के अनुसार सामग्री को आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपयुक्त धराश्रय के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेंगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवेदित धराश्रय पर होंगी। आवश्यकतानुसार सामग्री को आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेंगी। सामग्री को अन्यायव्यवस्था अनुसार प्रदाय/बाई/ज सक्त है। सामग्री को आपूर्ति ग्राम पंचायत की निर्माण में स्वीकृत पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री को आपूर्ति का भुगतान अधोभरताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेंगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. (जी.एस.टी.सी) संबंधी विवरण, कर हेतु आज्ञा अनिवार्य है। प्रस्ताव दर्.पी.डब्ल्यू.डी. की दर्त की जायेंगी। पी.डब्ल्यू.डी. की रेट ऑफ शोडकल के अनुसार होंगी। सामग्री को आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्माणित समय सोंपे के अनंतर की जानी अनिवार्य है। सामग्री को गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाये कि स्थिति में भुगतान की धराश्रय में से निविदा/कूटेशन काटोटी कर ली जायेंगी। निविदा को बिना कारण बताये रिस्क कर का अतिरिक्त ग्राम पंचायत को सामग्री				
क्र.सं.	कार्य का नाम	यूनिट मात्रा	दर	
01.	सीमेंट	प्रति बैग/टन		
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.		
03.	बजराफूट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.		
04.	ईट 40 एम.एम./रोडो/ पत्थर रोडो 40 एम.एम.	घन मीटर		
05.	ईट प्रथम श्रेणी एम - 150/ईट बालदार एम - 275	प्रति नन हजार		
06.	इंटरलॉक टाइल 80 एम/एम 60 एम/एम/पुस्तक वर्ष 2025-26 के अनुसार पंचायत विकास प्रणाली/ग्राम/पंचायत/रा.प.सि.आ.पु.नि.वि.का.स.कार्य/ RGSA व OSR को नए से नवीनीकरण का हेतु बना धराश्रय एवं अन्य आधारभूत कार्य में अंतर्गत निर्माण कार्य करायें जायें। ग्राम पंचायत धनुषासि से निर्माणित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कागरी स्मल पर आपूर्ति करने हेतु मोहबंदी सोलबंद निविदाएं/कूटेशन आमंत्रित की जाती है।	प्रति नन		
07.	आर.एफ.सेक्टर व अन्य सामग्री/कम्पलीटी कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.		
08.	दीवार टाइल/सर व टाइल	वर्ग मीटर		
09.	सफ़ाया/लोह का जाली/लोह का गेट/विडुकी	प्रति कुंतल		
10.	लोह की एंगल/पाइप/डोर भाईइडल	प्रति कुंतल		
11.	सीमेंट की चारद/टो शेड की चारर	वर्ग मीटर/नन		
12.	लकड़ी के दरवाजा/कार्पास/पिन्ट/टिप्पर/प्लाई	प्रति नन/वर्ग मी.		
13.	सोलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शोचालय सीट	प्रति नन		
14.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नन		
15.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नन		
16.	सेन्ट्री सामग्री/लोकल का प्रोसिस तार, प्राच कटर	प्रति नन/वर्ग मी.		
17.	फोर्गिंग मशीन/सल/मशीन/सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नन		
18.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वॉइस,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी, रीं पंखा,डेस्क/टोप,सोलर पैनल, आदि उपकरण होने वाले सामग्री	प्रति नन		
19.	इस्टेबल/इसीनेटर/प्लम्बिंग सामग्री प्लम्बिंग कार्य	प्रति नन		
20.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई ईट- रिस्का	प्रति नन/यूरिन		
21.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरिन पाउडर व अन्य कोटाइलन व संक्रमक रोधक खराए	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट		
22.	प्रिस्मर लोहा, लकड़ी/ प्लाई एवं भाइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.		
23.	डिस्ट्रेपर, बेल्ट बुट्टी, रेट, समोस मशीन	प्रति कि.ग्र./कूट मी.		
24.	पी.बी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल चम्प	प्रति नन/ रीनिंग मीटर		
25.	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर सामग्री	प्रति नन/ रीनिंग मीटर		
26.	ओपन जिन/खेल मैदान उपकरण/ईसीनेटर	प्रति नन		
27.	आर.सी.सी. पाइप, बलु पाइप	प्रति नन/रीनिंग मीटर		
28.	बाटर स्टोरेज ईट/बाटर कटर आर.ओ.सहित	प्रति नन/रीनिंग मीटर		
29.	रीनिंग बाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नन/रीनिंग मी.		
30.	अनर्थाई स्थल/ सफाई मोह	*****		
31.	ओडी/एफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	*****		
नोट:- यदि किसी भी फर्म/सलकार/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय निर्माण प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसको भी कारवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।				
(श्रीमती फाजाना ग्राम प्रधान)			(श्री धर्मनंद सिंह सचिव)	
ग्राम पंचायत धनुषा			ग्राम पंचायत धनुषा	
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)			विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)	

ग्राम रूस्तमनगर छपर्रा में बाढ़ से बचाव हेतु 320.96 लाख रुपये की लागत से होंगे सुरक्षात्मक कार्य



शाह टाइम्स संवाददाता स्वार/रामपुर। जिलाधिकारी जोगिन्दर सिंह ने अध्यक्ष, जिला पंचायत ख्यालीराम लोधी व पुलिस अधीक्षक विद्या सागर मिश्र के साथ तहसील स्वार के ग्राम रूस्तमनगर छपर्रा में बाढ़ से सुरक्षा, बचाव एवं कटाव निरोधक कार्यो को कराये जाने हेतु 320.96 लाख रुपये की लागत से स्वीकृत परियोजना का

शिलान्यास किया। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में बाढ़ से बचाव एवं कटाव निरोधक कार्य कराये जाने हेतु 04 अन्य परियोजनायें भी स्वीकृत की गयी हैं। इन परियोजना में पहली परियोजना तहसील व विकास खण्ड शाहबाद के घोस। पुरा, सालेपुर व नवाबगंज आदि ग्रामों के तटवन्ध पर कार्य कराये जाने हेतु 341.86 लाख रुपये की

लागत से स्वीकृत की गयी है। दूसरी परियोजना तहसील व विकास खण्ड शाहबाद के ग्राम मझराघाट, मझरा छिदन्खॉन एवं बैरूआ आदि की राजेडा नदी से बाढ़ सुरक्षा प्रदान किये जाने हेतु 338.37 लाख रुपये की लागत से मंजूर की गयी है। तीसरी परियोजना तहसील बिलासपुर में पीलाखार नदी के बायें किनारे पर ग्राम सनकरा



के समीप स्थित सनकरा तटवन्ध पर बाढ़ एवं सुरक्षात्मक कार्य कराये जाने हेतु 156.68 लाख रुपये की लागत से स्वीकृत की गयी है। इसके अतिरिक्त चौथी परियोजना तहसील कौसी नदी के दायें किनारे पर स्थित लालपुर गाईड बन्ध एवं ग्राम समूह ईश्वरपुर लालपुर आदि पर बाढ़ से बचाव एवं सुरक्षात्मक कार्य कराये जाने हेतु 163.78 लाख

रुपये की लागत से मंजूर की गयी है। जिलाधिकारी ने स्वीकृत परियोजनाओं के सम्बन्ध में अधिशारी अधियन्ता सिंचाई को निर्दिशित किया है कि सभी परियोजनाओं के सापेक्ष निर्माण कार्य मानसून सत्र से पूर्व कर लिये जायें। उन्होंने संबंधित उप जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि उनके द्वारा इन सभी

कार्यों को नियमित रूप मॉनीटरिंग की जायें। जिलाधिकारी ने बताया कि तटवन्ध पर सुरक्षात्मक कार्य कराये जाने से संबंधित ग्रामवासियों को संभावित बाढ़ से बचाव, सुरक्षा व राहत मिलेगी। इस दौरान जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हरीश कुमार गंगवार सहित अन्य अधिकारी व स्थानीय लोग मौजूद रहे।

दो कार सवारों में टक्कर के बाद हुई मारपीट वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल पुलिस में मचा हड़कंप

शाह टाइम्स संवाददाता मसवासी/रामपुर। एन एच 74 पर दो कार सवारों में टक्कर के बाद मारपीट हो गई। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई उन्होंने कार रोक कर इसका सतनाम सिंह को गाड़ी में टक्कर मार दी उन्होंने कार रोक कर इसका विरोध जताया तो गांव घोसीपुरा निवासी एक युवक ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी।

उत्तराखंड के थाना काशीपुर निवासी सतनाम सिंह पुत्र मखन सिंह अपन बेटे के साथ काशीपुर से बाजपुर जा रहे थे की फोर लाइन पर पीछे से आ रहे एक कार सवार ने सतनाम सिंह को गाड़ी में टक्कर मार दी उन्होंने कार रोक कर इसका विरोध जताया तो गांव घोसीपुरा निवासी एक युवक ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी।

और उनके बेटे के साथ भी मारपीट की जिससे पगड़ी भी उछल कर दूर गिर गई इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई लेकिन तब तक मारपीट करने वाला युवक मौके से फरार हो चुका था पीड़ित ने इस मामले की धारा चौकी पुलिस को देकर कार्रवाई की मांग की है।

शाह टाइम्स संवाददाता शाहाबाद/ रामपुर। मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रदेश सचिव दरियाय सिंह यादव ने बताया कि बुधवार को भारतीय किसान यूनियन टिकैत की मासिक पंचायत शाहबाद स्थित गेस्ट हाउस में 11 बजे होगी।



सदस्यों से पंचायत में अधिक से अधिक तादाद में पहुंचने की अपील की है। किसानों पर बिजली विभाग की तानाशाही को लेकर ज्यादा रोष है बिजली विभाग के खिलाफ कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा और इसके खिलाफ सीधे गेहूं की कटाई के बाद एक आंदोलन की तारीख निश्चित की इस पर खासतौर से चर्चा होगी।

कार्यालय ग्राम पंचायत सैदनगर विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर				
पत्रांक:-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांक:-08/04/2025				
अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना				
समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत सैदनगर विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित्त/राज्य विच/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सोलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सोलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 18/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेट्री के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर् मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवॉटिड धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृत के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों को अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शोड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।				
क्र.सं.	सामग्री का नाम	युनिट मात्रा	दर	
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन		
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.		
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.		
04.	ईट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर		
05.	ईट प्रथम श्रेणी एम-150/ईट बालदार एम-275	प्रति नग हजार		
06.	ईटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तकें	प्रति नग/यूनिट		
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्यूवमेंट, पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट		
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.		
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर		
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल		
11.	लोहे की पेंगल/पाइप/डोर माईलडस	प्रति कुंतल		
12.	सीमेन्ट की चारर/टीन शोड की चारर	वर्ग मीटर/नग		
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.		
14.	सोलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण/शौचालय सीट	प्रति नग		
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग		
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग		
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेंसिंग तार,ग्रास कटर	प्रति नग/वर्ग मी.		
18.	फोर्गिंग मशीन/स्प्रें मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग		
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग		
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरींग सामग्री प्लम्बिंग कार्य	प्रति नग		
21.	कुड़ा गाड़ी/टेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्षा	प्रति नग/यूनिट		
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/प्रति पैकेट		
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.		
24.	डिस्टेंपर, बॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.		
25.	पी.बी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर		
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवार सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर		
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनेटर	प्रति नग		
28.	आर.सी.सी. पाइप, ब्रूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर		
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कुलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर		
30.	रनिंग वाटर स्पलाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.		
31.	अनल्यैटि स्थल/ समूह शोड			
32.	ऑडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य			
नोट:- यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागिय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।				
(श्रीमती विमलेश गाम प्रधान)		(श्री सुरेन्द्र शर्मा सचिव)		
ग्राम पंचायत सैदनगर विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)		ग्राम पंचायत सैदनगर विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)		

कार्यालय ग्राम पंचायत नवाबगंज शुमाली वि. खण्ड सैदनगर जिला रामपुर				
पत्रांक:-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांक:-08/04/2025				
अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना				
समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत नवाबगंज शुमाली विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित्त/राज्य विच/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सोलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सोलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 18/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेट्री के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर् मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवॉटिड धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृत के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी.पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों को अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शोड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।				
क्र.सं.	सामग्री का नाम	युनिट मात्रा	दर	
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन		
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.		
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.		
04.	ईट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर		
05.	ईट प्रथम श्रेणी एम-150/ईट बालदार एम-275	प्रति नग हजार		
06.	ईटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तकें	प्रति नग		
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्यूवमेंट, पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट		
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.		
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर		
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल		
11.	लोहे की पेंगल/पाइप/डोर माईलडस	प्रति कुंतल		
12.	सीमेन्ट की चारर/टीन शोड की चारर	वर्ग मीटर/नग		
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.		
14.	सोलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण/शौचालय सीट	प्रति नग		
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग		
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग		
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेंसिंग तार,ग्रास कटर	प्रति नग/वर्ग मी.		
18.	फोर्गिंग मशीन/स्प्रें मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग		
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग		
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरींग सामग्री प्लम्बिंग कार्य	प्रति नग		
21.	कुड़ा गाड़ी/टेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्षा	प्रति नग/यूनिट		
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/प्रति पैकेट		
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.		
24.	डिस्टेंपर, बॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.		
25.	पी.बी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर		
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवार सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर		
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनेटर	प्रति नग		
28.	आर.सी.सी. पाइप, ब्रूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर		
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कुलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर		
30.	रनिंग वाटर स्पलाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.		
31.	अनल्यैटि स्थल/ समूह शोड			
32.	ऑडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य			
नोट:- यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागिय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।				
(श्री हरचरण गाम प्रधान)		(श्री सुरेन्द्र शर्मा सचिव)		
ग्राम पंचायत नवाबगंज शुमाली विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)		ग्राम पंचायत नवाबगंज शुमाली विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)		

कार्यालय ग्राम पंचायत बहपुरा शुमाली वि. खण्ड सैदनगर जिला रामपुर				
पत्रांक:-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांक:-08/04/2025				
अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना				
समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत बहपुरा शुमाली विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित्त/राज्य विच/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सोलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सोलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 18/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेट्री के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर् मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवॉटिड धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृत के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी.पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों को अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शोड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।				
क्र.सं.	सामग्री का नाम	युनिट मात्रा	दर	
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन		
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.		
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.		
04.	ईट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर		
05.	ईट प्रथम श्रेणी एम-150/ईट बालदार एम-275	प्रति नग हजार		
06.	ईटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तकें	प्रति नग		
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्यूवमेंट, पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट		
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.		
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर		
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल		
11.	लोहे की पेंगल/पाइप/डोर माईलडस	प्रति कुंतल		
12.	सीमेन्ट की चारर/टीन शोड की चारर	वर्ग मीटर/नग		
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.		
14.	सोलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण/शौचालय सीट	प्रति नग		
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग		
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग		
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेंसिंग तार,ग्रास कटर	प्रति नग/वर्ग मी.		
18.	फोर्गिंग मशीन/स्प्रें मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग		
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग		
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरींग सामग्री प्लम्बिंग कार्य	प्रति नग		
21.	कुड़ा गाड़ी/टेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्षा	प्रति नग/यूनिट		
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/प्रति पैकेट		
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.		
24.	डिस्टेंपर, बॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.		
25.	पी.बी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर		
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवार सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर		
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनेटर	प्रति नग		
28.	आर.सी.सी. पाइप, ब्रूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर		
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कुलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर		
30.	रनिंग वाटर स्पलाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.		
31.	अनल्यैटि स्थल/ समूह शोड			
32.	ऑडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य			
नोट:- यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागिय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।				
(श्री कैलाश गाम प्रधान)		(श्री सुरेन्द्र शर्मा सचिव)		
ग्राम पंचायत बहपुरा शुमाली विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)		ग्राम पंचायत बहपुरा शुमाली विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)		

कार्यालय ग्राम पंचायत वगरव्वा विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर				
पत्रांक:-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांक:-07/04/2025				
अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना				
समस्त आपूर्तिकर्ता फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एलटद्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत वगरव्वा विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मरेणो/15 वां वित्त/राज्य वित्त/REGSA व OSR को मर से निर्माण कार्य हेतु प्रमाण प्रमाणों के अभाव में आस्थाशायी मरों के अंतर्गत निर्माण कार्य कार्ये जाते हेतु ग्राम पंचायत से परिचित मात्रा/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि के सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर धारागत कर हेतु मोहरबंद निविदाएं/कुटेशन आवेदन की जाती है। इच्छुक सभी आपूर्तिकर्ता दिनांक 09/04/2025 से 17/04/2025 तक कार्यालय विकास में 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षर के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाँध में सोलारबैंक/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 18/04/2025 को ग्राम पंचायत को करंट की समस्त समायोजित ग्राम पंचायत के क्लरक मुख्यालय खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री को आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर को जायेगी। जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर ग्राम आर्बोटाइट धारागत पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री/फर्म को आपूर्ति ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत सूचिव) के लिखित आदेश पर को जायेगी। सामग्री को मात्रा आवश्यकता अनुसार खंड/वर्ग/इकाई जा सकती है। सामग्री को आपूर्ति ग्राम पंचायत के परिधि में स्वीकृत दर पर निश्चित कार्यालय पर करनी होगी। सामग्री को आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षर की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। सामग्री को जी.एस.टी. पंजीकरण निर्धारित विधायन में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों को अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट और शोरेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री को आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निश्चित समय सामग्री के अंतर्गत को होना अनिवार्य है। सामग्री को गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुसार नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान को धारागत में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने के अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।				
क्र.सं.	सामग्री का नाम	युनिट मात्रा	दर	
01.	सीमेंट	प्रति बैग/टन		
02.	बाल रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.		
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.		
04.	ईट 40 एम.एम./रोडी/ फेब्रर रोडी 40 एम.एम.	घन मीटर		
05.	ईट प्रथम श्रेणी एम-150/ईट बालर एम-275	प्रति नग हजार		
06.	इस्तरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तक	प्रति नग		
07.	पंचायत घर ऑफिस ड्यूम्यूमेंट, पुस्तकालय इन्क्विपमेंट	प्रति नग/युनिट		
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	घन मी./वर्ग मी.		
09.	दीवार/टाइल/ग्रीड टाइल्स	प्रति वर्ग मी.		
10.	सरिहा/लोहा के जाल/लोहा के रेट खिडकी	प्रति कुंतल		
11.	लोहे की एंजल/पाइप/ड्राई मॉर्टडंक	प्रति कुंतल		
12.	सीमेंट की चार/ट्रेंच/शेड की चार	वर्ग मीटर/नग		
13.	लकड़ी के दरवाजे/कार्मिशियल/टिक्वर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.		
14.	सोलर लाइट नग/मरम्मत उपकरण शौचालय सैंट	प्रति नग		
15.	स्टील लाइट नग/मरम्मत उपकरण/युनिट सैंट	प्रति नग		
16.	मिजली उपकरण/इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग		
17.	फेनिंग सामग्री/ लोहे का फ्रेंसिंग तार,ग्रास	प्रति नग/वर्ग मी.		
18.	फाईंगर शोलीन/सेव मशीन सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग		
19.	ऑफिस फनीचर,कम्यूटर पिन्जर,जुवर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरि चौकी,डेस्कऑफिस,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री	प्रति नग		
20.	इस्त्रियल/इस्त्रियल/एनवायरन सामग्री लॉजिस्टि कार्य	प्रति नग		
21.	कुछ गाड़ी/ठेली एव सफाई किट/ ई- रिक्शा	प्रति नग/युनिट		
22.	सिडियम, हाइड्रोजन/इलेक्ट्रिक, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कोटाशालय व संप्रकम रोधक दवाएँ	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट		
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी/प्लाई एव माइका	प्रति ली./वर्ग कुटमी.		
24.	डिस्ट्रिप्स, ब्लिच पुटी, रेट, सोमोस आदि	प्रति ली./कुट./क्यू.ली.		
25.	पी.वी.सी. पाइप एव जी.ओ.आइ. पाइप समरसलबि पम्प	प्रति नग/ रॉनिंग मीटर		
26.	हैंडसैमप मरम्मत/रिजो सामग्री	प्रति नग/रॉनिंग मीटर		
27.	ओपन डिमि/खेल मैदान उपकरण/ईसीनरेटर	प्रति नग		
28.	वाटर सी.सी. पाइप, ब्रुम पाइप	प्रति नग/रॉनिंग मीटर		
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/ लीटर		
30.	रॉनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रॉनिंग मी.		
31.	अन्यउप्टि स्थला/ समुद्र शोध	*****		
32.	आवश्यक व से संबंधित समस्त कार्य			
नोट:- यदि किसी भी फर्म/एनवायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नग विधायीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।				
ग्राम पंचायत वगरव्वा विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)		(श्री यशवि अकपम सचिव) ग्राम पंचायत वगरव्वा विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)		

महिलाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कार्य करेंगी मीनाक्षी जैन

वीजी मिस इंडिया फीनेस और छत्तीसगढ़ क्वीन का खिताब जीतने वाली मीनाक्षी जैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस

(इमरान हुसैन)

शाह टाइम्स ब्यूरो

रामपुर। 2025 के लिए वीजी मिस इंडिया फीनेस और छत्तीसगढ़ क्वीन का खिताब जीतने वाली मीनाक्षी जैन पत्रकारों से रूबरू हुईं। रामपुर फर्टिलाइजर्स स्थित वास्वी विलास में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वो विभिन्न कार्यक्रमों के जरिये स्थानीय महिलाओं को आगे लाने और उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास करेंगी। आगे आकर तरक्की की चाह रखने वाली युवतियाँ और महिलाओं को उचित मंच प्रदान करेंगी।

एक गांव में अपने जन्म से लेकर वीजी मिस इंडिया फीनेस और छत्तीसगढ़ क्वीन का खिताब तक जीतने वाली मीनाक्षी जैन ने अपनी सफलता की कहानी बताई। उन्होंने कहा कि महिलाओं में कॉन्फिडेंस पैदा करना ही उनका उद्देश्य है। फैशन शो को अलावा वर्कशॉप करना भी उनका मकसद है। उन्होंने अपनी वो कविता भी सुनाई,



जिसके लिए उन्हें बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिला है। इस कविता में महिलाओं की पीड़ा बयान की गई है।

इस मौके पर रामपुर फर्टिलाइजर्स

लिमिटेड में प्रबंध निदेशक अंशुमान खेतान, सीआरपीएफ के डीआईजी सुभाष चंद्र, पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां और इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड

कलचरल हेरिटेज (इंटेक) रुहेलखण्ड चौप्टर के सह संयोजक काशिफ खां भी मौजूद रहे। सभी ने मीनाक्षी जैन की उपलब्धि को सराहा और उन्हें बधाई दी।

भाजपा जिलाध्यक्ष ने की ओजस्वी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक

शाह टाइम्स ब्यूरो

रामपुर। भारतीय जनता पार्टी, कार्यालय पर स्थापना दिवस एवं 8 साल उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के प्रचार प्रसार के अभियान के अंतर्गत, ओजस्वी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई। बैठक में जिला अध्यक्ष हरीश गंग। वार ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी को संबोधित करते हुए कहा, आप सभी भारतीय जनता पार्टी की शक्ति हो और आप युवा कार्यकर्ताओं के लिए एक विशेष अभियान आया है। इस अभियान के अंतर्गत आप सभी युवाओं को पूरे जनपद से युवाओं को अपनी बाइक के साथ इकट्ठा करने हैं और 11 अप्रैल को भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर के नीचे बाइक रैली निकालनी है, बाइक रैली सुबह 11:00 बजे प्रारंभ होगी और सिविल लाइंस रामलीला ग्राउंड से प्रारंभ होकर पूरे नगर विधानसभा में भ्रमण करके अंबेडकर पार्क पर समाप्त होगी, मेरा आप सब ओजस्वी युवा पदाधिकारी से आग्रह है, पूरे जनपद से युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को आवाहन करें और भारी संख्या में युवाओं के साथ इस रैली को निकले और 8 साल उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार जनता में करें और इस रैली को सफल बनाएं। बैठक में जिला महामंत्री अशोक बिश्नोई, रविंद्र सिंह रवि, जिला उपाध्यक्ष मोहन कुमार लोधी, जिला मंत्री



महेंद्र सैनी, लाल मन तोमर, विकास दीक्षित, शर्मा, आकाश सक्सेना, विक्रम सिंह मुख्य रूप राहुल गुप्ता, ऋषभ ठाकुर, अमित चंद्रा, प्रशांत से उपस्थित रहे।

आर.पी. सिंह इंटर कॉलेज का दूर पहुंचा कैंची धाम नैनीताल



शाह टाइम्स संवाददाता

शाहबाद/रामपुर। मंगलवार को रूस्तमपुर में स्थित आरव पीव सिंह इंटर कॉलेज का दूर कैंची धाम नैनीताल बाबा नीम करौली के दर्शन के लिए पहुंचा। आरव पीव सिंह इंटर कॉलेज के प्रबंधक ने बताया कि वह प्रति वर्ष स्कूल के दूर का

आयोजन करते हैं।

उनके द्वारा बताया गया कि नीम करौली बाबा का उद्देश्य प्रेम, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलना, दूसरों की मदद करना, और ईश्वर से जुड़ना था।

जिससे आत्मिक शांति प्राप्त हो सके इसलिए वह अपने पूरे स्टाफ

को प्रति वर्ष ऐसे दूर पर लेके जाते हैं जहां से हमें दूसरों को प्रेरणा देने की शक्ति प्राप्त हो।

ट्र पर प्रबंधक राज कुमार यादव और सतीश कुमार, संजीव कुमार, किशनपाल, लखविंदर सिंह, सुमित कुमार, शिवानी यादव, कंचन यादव आदि मौजूद रहे।

ख्वाजा सूफी अजीज मियां के कुल शरीफ में दुआ को उठे हजारों हाथ

शाह टाइम्स संवाददाता

मिलक/रामपुर। भैसोड़ी शरीफ में चल रहे हजरत ख्वाजा सूफी अजीज मियां के उर्स में कुल शरीफ में हजारों हाथ एक साथ दुआ को उठे और मुल्क में अमन चैन के लिए दुआ की गई।

देर रात हुए मुशायरे में शायरो ने कलाम पेश किये तहसील क्षेत्र के ग्राम मुहिंद नगर भैसोड़ी शरीफ मे चल रहे शहीद-ए-मिल्लत अजीज-उल-ओलिया हजरत ख्वाजा सूफी अजीज मियां के 55 वे सालाना उर्स को आज तीसरे दिन सुबह 11:00 कुल शरीफ का आगाज हुआ।

जिसमें उलेमाओ ने हजरत की शान में नातिया कलाम पेश किया और आखिर में कुल के बाद दुआ का सिलसिला शुरू हुआ तरक्की,

मुल्क में अमन चैन के लिए दुआ की गई। दुआ में हजारों हाथ एक साथ उठे कुल शरीफ के बाद महफिले रंग का प्रोग्राम हुआ जिसमें कच्चालो ने महफिले रंग का शानदार प्रोग्राम पेश किया।

जिस पर मुरीद लोग झूम उठे महफिले रंग के बाद लंगर ख्वाजा हुई जिसमें दूर दराज से आए लोगों ने शिरकत की। बाद नमाज-ए-ईशा मुशायरे का आगाज हुआ जिसमें शायरो और उलेमाओ ने अपने-अपने कलाम पेश किये। उसके बाद महफिले शामा से दरगाह शरीफ का परिसर जंगमा उठा इन सभी कार्यक्रमों में दरगाह के साथ सज्जदानशीन हजरत ख्वाजा सूफी जावेद हसन शाह सयित हजरत के मुरीद और अकौकत मंद सैकड़ों की तादात में मौजूद रहे।



एस पी एल टूर्नामेंट में फाइनल अरहान लायंस क्लब ने जीता

विधायक पुत्र उमेर अंसारी ने खिलाड़ियों को दी ट्राफी

शाह टाइम्स संवाददाता

स्वार/रामपुर। मंगलवार बिलासपुर रोड हाथे चोराहे के बराबर मैदान पर एक सप्ताह से चल रहे एस पी एल स्वार प्रीमियर लीग नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हुआ जिसमें फाइनल में अरहान लायंस क्लब और ग्रीनसिटी क्लब के बीच मैच खेला गया।

जिसमें अरहान लायंस क्लब ने 6 विकेट से मैच जीत कर टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया इस मौके पर विजेता टीम के कप्तान सुलेमान खान व अन्य खिलाड़ियों को स्वार टांडा विधायक शफीक अहमद अंसारी के पुत्र उमेर अंसारी ने विजि



किया। टूर्नामेंट में मैंन ऑफ द मैच व मैंन ऑफ द सीरीज सोनू वकार

सौभाग्य की बात है की हमारे क्षेत्र में क्रिकेट के उभरते हुए खिलाड़ी हैं विधायक पुत्र ने कहा हमारी पूरी कोशिश रहेगी की स्वार और टांडा में एक एक स्टेडियम बने, जिससे हमारे क्षेत्र के खिलाड़ियों में जो प्रीतिभा है उसमें और निखार आये। विधायक जी की पहली प्रार्थमिकता है की हमारे क्षेत्र से भी खिलाड़ी नेशनल लेवल जाकर हमारे स्वार टांडा का नाम रोशन कर सकें साथ में वार्ड सभासद सरफराज कुरैशी, इस्लाम राणा, वासित अली, कादिर प्रधान, हनीफ मेमबर, मोहम्मद आसिफ, जावेद मेवाती तौफीक, रोजी, शानू, आदि मौजूद रहे।

अखिल भारतीय जाटव महासभा के जिला प्रचार मंत्री बने सत्यवीर सागर

शाह टाइम्स संवाददाता

मिलक/रामपुर। अखिल भारतीय जाटव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष महेश सागर द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किया गया जिसमें सत्यवीर सागर को रामपुर जिला प्रचार मंत्री बनाया गया है। नियुक्ति पत्र दिए जाने के दौरान संगठन की जिम्मेदारियां प्रदान की गईं।

प्रदेश अध्यक्ष महेश सागर ने कहा अखिल भारतीय जाटव महासभा मजबूत संगठन है जो कि हमेशा बहुजनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। अखिल भारतीय जाटव महासभा संगठन उभरता हुआ संगठन है जिसमें युवा बढ-चढकर जुड़ रहे हैं। जिला प्रचार मंत्री सत्यवीर सागर हमारे संगठन में काफी समय से जुड़े हुए थे जिन्हें 07 अप्रैल 2025 को जिला प्रचार मंत्री का नियुक्ति पत्र देकर संगठन की जिम्मेदारियां दी गई हैं। हमें उम्मीद है कि सत्यवीर सागर द्वारा हमेशा संगठन को मजबूत



बनाने व आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। जिला प्रचार मंत्री सत्यवीर सागर ने अखिल भारतीय जाटव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष महेश सागर को विश्वास दिलाया है कि वह पूरी निष्ठा व जिम्मेदारी से

अपनी पद की गरिमा को रखते हुए संगठन को मजबूत बनाने का काम करेंगे। इस मौके पर ओम प्रकाश सागर, सर्वेश मौर्य, जबर सिंह सागर आदि संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

बैनामे को लेकर तहसील में मारपीट, मौके पर पहुंची पुलिस

शाह टाइम्स संवाददाता

शाहबाद/रामपुर। मंगलवार को थाना क्षेत्र के सराय इमाम के चार भाइयों के बीच बैनामे के दौरान सब रजिस्टर कार्यालय में मारपीट हो गई। मारपीट में जमकर हाथापाई हुई। मारपीट में एक भाई गंभीर रूप से जखमी भी हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस तीन लोगों को लेकर थाने आ गई। जबकि एक भाई तहसील से फरार हो गया। मंगलवार को सराय इमाम गांव निवासी शीशपाल अपनी जमीन का बैनामा अपनी पत्नी के नाम कराने तहसील आया था, जिसकी सूचना शीशपाल के भाई गोकुल को लगी। आरोप है कि गोकुल अपने भाई शिशुपाल की जमीन जालसा

जी कर हथियाने के चक्कर में है। आरोप है कि गोकुल और उसके बेटे ने सब रजिस्टर कार्यालय के बाहर अपने भाई शीशपाल के साथ मारपीट शुरू कर दी। बीच बचाव करने आए शेर सिंह के साथ भी मारपीट की गई। मारपीट में शेर सिंह को गंभीर चोटें आई हैं। मारपीट की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस शेर सिंह, शीशपाल और गोकुल के बेटे टिकू को थाने ले आई। पुलिस ने शेर सिंह को मेडिकल को भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। बताया चले कि एक दिन पहले भी इन भाइयों के बीच दानपत्र कराने को लेकर विवाद हो चुका था। जिसमें पुलिस की मौजूदगी में तहसील में जमकर हंगामा हुआ था।

ट्रेक्टर पलटने से दो लोग घायल, रेफर

शाह टाइम्स संवाददाता

शाहबाद/रामपुर। ट्रेक्टर द्वारा खेत से इंजन लेने जा रहे व्यक्ति का ट्रेक्टर पलट जाने से दो लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार क्षेत्र के ग्राम बमनपुरी निवासी भारत सिंह और गांव के ही नरीश शर्मा खेत पर रखे इंजन को ट्रेक्टर के द्वारा लेने जा रहे थे। तभी रास्ते में ट्रेक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। जिससे दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन आनन फानन फोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहबाद लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टरों ने दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार देकर दोनों भाइयों की हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

सम्बन्ध विच्छेद सूचना

मैंने अपने तीन पुत्र अजून, शिवा, देवेश कुमार को गलत कृत्यों के चलते अपनी चल व अचल संपत्ति से बेदखल कर सम्बन्ध विच्छेद कर लिया है। भविष्य में इन सभी से और इनके परिवार से मेरा व मेरे परिवार का कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा। अपने कृत्य के वहे स्वयं जिम्मेदार होंगे।

महावीर पुत्र बालजीत नि.ग्राम टाण्डा तह. व थाना शाहबाद जिला रामपुर।

आपसी विवाद में एक घायल, रेफर

शाह टाइम्स संवाददाता

शाहबाद/रामपुर। मंगलवार को आपसी विवाद के चलते हैं एक गंभीर रूप से घायल हो गये।

शाहबाद थाना क्षेत्र के ग्राम भरतपुर निवासी 51 वर्षीय कमरुद्दीन को उनके ही चचेरे भाई अली अहमद ने सुजड़ चुंगी, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर से मुद्रित एवं मौलूला सुफी टोला शाहजहाँपुर उड़ बरेली, उग्र।

शाह टाइम्स

स्वामी शाह पब्लिकेशन प्रा. लि. के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक एस.एन. राणा द्वारा शाह पब्लिकेशन प्रा. लि. सुजड़ चुंगी, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर से मुद्रित एवं मौलूला सुफी टोला शाहजहाँपुर उड़ बरेली, उग्र।

सम्पादक: एस.एन. राणा *कार्यकारी सम्पादक आनन्द बजा 'सुमन' 0581-2562222 (बरेली) मुख्यालय: मोबाइल-9720007290 R.N.I.No UPHIN/2003/11165 www.shahatimesnews.com email:shahatimes2015@gmail.com

*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु PRB एक के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद मुजफ्फरनगर न्यायालय के अधीन ही होंगे।

छेड़छाड़ के आरोप में दो अज्ञात पर केस दर्ज

शाह टाइम्स संवाददाता

सैफनी/ रामपुर। रविवार को सैफनी थाना क्षेत्र के रहने वाली एक नाबालिक किशोरी ने सैफनी थाने में उसके साथ जबरदस्ती छेड़छाड़ करने वाले दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है उसका आरोप है कि बीते 3 अप्रैल को दिन में लगभग 2:30 बजे वह अपने घर से लकड़ी लेने के लेने अपने खेत पर गई थी जब उसने लकड़ी बांध दी तो लकड़ी उठाने के लिए किसी को देख रही थी तभी मोटरसाइकिल से दो लड़के आए और पीड़िता को अकेला छोड़कर उसके साथ छेड़छाड़ी करने लगे जब पीड़िता ने उसका

विरोध किया और चिल्लाई तो उसके गांव के रिश्ते में दादी चिल्लाकर दौड़ी तब मोटरसाइकिल पर सवार दोनों पीड़ित को छोड़कर भाग गए। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर दो अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

हिन्दी दैनिक शाह टाइम्स समाचार पत्र में समाचार एवं विज्ञापनों के लिए सम्पर्क करें।

इमरान हुसैन जिला प्रभारी रामपुर कार्यालय निक्ट कचहरी के दूसरे गेट के सामने गली में सम्पर्क सूत्र 9720093014 7906773314

● **विराट कोहली की उपलब्धि और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह पारी के हिसाब से 13 हजार रन के आंकड़े तक पहुंचने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं**

विराट ने टी-20 में 13 हजार रन बनाए

मुंबई, वार्ता। भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली पुरुष टी-20 क्रिकेट में 13 हजार रन बनाने वाले पहले भारतीय और दुनिया के पांचवें क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने अपनी 386वीं पारी के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। 36 वर्षीय कोहली ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में अपना 17वां रन बनाते ही यह उपलब्धि हासिल की। इसके साथ ही वह टी-20 रन बनाने वाले शीर्ष खिलाड़ियों के क्लब में शामिल हो गए, जिसमें वेस्टइंडीज के

■ **खिलाड़ियों में विंडीज खिलाड़ी क्रिस गेल सबसे आगे हैं, जिन्होंने 14562 रन बनाए हैं**

महान खिलाड़ी क्रिस गेल सबसे आगे हैं, जो 381 पारियों में 14 हजार 562 रन बनाकर इस सूची में शीर्ष पर हैं। टी-20 में सर्वकालिक रन बनाने वालों की सूची में कोहली से आगे इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स (474 पारियों में 13,610), पाकिस्तान के शोएब मलिक (487 पारियों में 13,557) और वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर कोरानो पोलाड (594 पारियों में 13,537) हैं। कोहली की यह उपलब्धि और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह पारी के हिसाब से 13,000 रन के आंकड़े तक पहुंचने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं, उनसे आगे केवल गेल हैं। सभी प्रारूपों में अपनी निरंतरता और क्लास के लिए जाने जाने वाले कोहली आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए मुख्य खिलाड़ी बने हुए हैं और विश्व क्रिकेट में सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक हैं।

■ **आईपीएल-2025 का यह सप्ताह शानदार होगा: शेन वॉटसन**

नई दिल्ली, वार्ता। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी और जियोस्टार एक्सपर्ट शेन वॉटसन को लगता है आईपीएल 2025 का यह सप्ताह काफी शानदार होने वाला है। दरअसल, इस सप्ताह कई राइवल मैच होने हैं। 12 अप्रैल को गुजरात का सामना लखनऊ से और 13 अप्रैल को मुंबई का सामना दिल्ली से होगा। शेन वॉटसन ने कहा कि मेरे लिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि दिल्ली कैपिटल्स और

● **बुमराह की वापसी से मुंबई को सपोर्ट मिलेगा, 13 अप्रैल को एमआई-डीसी के बीच मुकाबला**

मुंबई इंडियंस के बीच एक शानदार मुकाबला होने वाला है। दिल्ली कैपिटल्स के पास काफी अच्छी टीम है। वहीं, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी से मुंबई इंडियंस को सपोर्ट मिलेगा, जिसकी उन्हें जरूरत थी। इसलिए मुझे लगता है कि यह इस राइवल वीक के बेस्ट मुकाबलों में से एक होने वाला है। मैं आगे कहा कि लीग में इस समय जब बात लखनऊ जॉयंट्स और गुजरात टाइटंस की हो रही है तो जीटी आग उगल रही है। उन्होंने अपने आखिरी मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ बहुत अच्छा खेला। टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इसलिए मुझे लगता है कि लीग की शुरुआत से पहले जीटी टीम में कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन टीम ने हैदराबाद के खिलाफ इस सीजन पहली बार वॉशिंगटन सुंदर को खिलवाया, वे वास्तव में अपनी टीम के लिए काफी वैल्यूएबल प्लेयर साबित होंगे। अक्षर पटेल शानदार लीडर वॉटसन ने कहा, 'एक बात इस सीजन किसी बेहतरीन खिलाड़ी की आती है, तो मैं अक्षर पटेल का नाम लूंगा।

रजत पाटीदार पर लगा धीमे ओवर रेट का जुर्माना



मुंबई, वार्ता। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के कप्तान रजत पाटीदार पर मुंबई इंडियंस के खिलाफ धीमे ओवर रेट के लिए 12 लाख रुपये जुर्माना लगा है।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार पर सोमवार रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस पर जीत के दौरान धीमे ओवर रेट के लिए यह जुर्माना लगाया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 में आरसीबी पर पहली बार धीमे ओवर रेट अपराध के लिए जुर्माना लगा है। इससे पहले हार्दिक पांड्या, गियान पराग और ऋषभ पंत पर भी

● **रजत की अगुवाई वाली आरसीबी निर्धारित समय में अपने ओवर पूरे नहीं कर पाई थी**

धीमे ओवर रेट के लिए जुर्माना लगा चुका है। पाटीदार को अगुवाई वाली आरसीबी निर्धारित समय में अपने ओवर पूरे नहीं कर पाई थी। आईपीएल की आचार संहिता के तहत उन्हें धीमे ओवर रेट का दोषी करार देते हुए 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। आरसीबी ने मैच में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत मुंबई इंडियंस को 12 रनों से हरा दिया था।

पुकोवस्की ने चोट के कारण क्रिकेट से लिया संन्यास



■ **27 वर्षीय विल पुकोवस्की ने 2021 में भारत के खिलाफ एक टेस्ट खेला था**

मेलबर्न, वार्ता। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर विल पुकोवस्की ने चोट के कारण क्रिकेट से सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। विल पुकोवस्की ने मंगलवार को मेलबर्न में एसईएन रेडियो पर

अपने संन्यास की घोषणा करते हुए कहा कि बहुत निराशा हूँ, यह बहुत कठिन साल रहा है। उन्होंने कहा कि काश मैं बेहतर परिस्थितियों में होता। उन्होंने कहा कि सरल संदेश यह है कि मैं फिर से किसी भी स्तर पर क्रिकेट नहीं खेलूंगा। 27 वर्षीय पुकोवस्की ने 2021 में भारत के खिलाफ एक टेस्ट खेला था।

वह पिछले वर्ष शेफील्ड शील्ड में मैच के दौरान तस्मानिया के खिलाफ रिले मेरेडिथ की गेंद हेलमेट पर लगने के बाद चेचक होकर रिटायर हो गए थे। पिछले वर्ष ही चोट लगने के बाद एक स्वतंत्र मेडिकल पैनल ने पुकोवस्की को क्रिकेट से संन्यास लेने का सुझाव दिया था। उन्हें किशोरावस्था में फुटबॉल खेलते समय पहली बार सिर में चोट लगी थी। वह कंस्यूशन से पीड़ित थे। पुकोवस्की ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 45-19 की औसत से 2350 रन बनाए, जिसमें सात शतक शामिल हैं, जिनमें से तीन दो-हरे शतक शामिल हैं।

वनडे त्रिकोणीय सीरीज भारतीय टीम में तीन नए खिलाड़ी

■ **आयरलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में बाहर बैठने के बाद हरमनप्रीत को कप्तान बनाया गया**

मुंबई, वार्ता। श्रीलंका में होने वाले एकदिवसीय त्रिकोणीय सीरीज के लिए भारतीय महिला टीम में काशवी गौतम, एन श्री चरनी और श्रुति उपाध्याय को पहली बार शामिल किया गया है।

चयनकर्ताओं ने जनवरी में आयरलैंड के खिलाफ घरेलू श्रृंखला में बाहर बैठने के बाद हरमनप्रीत कौर को बतौर कप्तान के रूप में टीम में जगह दी है। इसके अलावा स्नेह राणा, यास्तिका भाटिया, अरुंधति रेड्डी और अमनजोत कौर को भी टीम में शामिल किया गया है। चयनकर्ताओं ने चोटिल रेणुका सिंह, पूजा वक्करा और तेज गेंदबाज तीतास साधु को नाम पर विचार नहीं किया गया। 21 वर्षीय काशवी गौतम इस साल यूएस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों में से एक रहीं। उन्होंने अपने नौ मैचों में 11 विकेट लिए। वहीं बीस वर्षीय बाएं हाथ की स्पिनर चरनी ने डब्ल्यूपीएल में दिल्ली कैपिटल्स (डोसी) के लिए सिर्फ दो मैच खेले और चार विकेट चटकाए। इस बीच, बाएं हाथ की स्पिनर उपाध्याय पिछले साल दिसंबर में आयोजित सीनियर महिला एकदिवसीय टूर्नामेंट में तीसरी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज थीं। उन्होंने



तब नौ पारियों में 3-48 की इकॉनमी रेट और 15-44 की औसत से 18 विकेट चटकाए थे। उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। उनकी टीम मध्य प्रदेश ने टूर्नामेंट जीती। इस वर्ष भारत में सितंबर-अक्टूबर में होने वाले एकदिवसीय विश्व कप को ध्यान में रखते हुए यह श्रृंखला तीनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण है। त्रिकोणीय सीरीज की तीसरी टीम दक्षिण अफ्रीका है। सीरीज के सभी मैच कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेले जाएंगे। पहला मुकाबला 27 अप्रैल को भारत और श्रीलंका के बीच होगा। 19 अप्रैल को भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी। दो मई को श्रीलंका और

कलिंगा सुपर कप 2025 के कार्यक्रम घोषित

नई दिल्ली, वार्ता। कलिंगा सुपर कप 2025 ओडिशा के पुर्वनक्षत्र में 20 अप्रैल से 3 मई तक खेला जायेगा जिसमें 16 क्लब (इंडियन सुपर लीग से 13 और आई-लीग से तीन) भाग लेंगे। नॉक आउट प्रारूप में खेले जाने टूर्नामेंट के सभी मैच कलिंगा स्टेडियम में होंगे।

आईएसएल टीमों को 2024-25 सत्र में उनकी अंतिम लीग स्थिति के अनुसार राउंड ऑफ 16 के लिए वरीयता दी गई थी। तीन आई-लीग टीमों चर्चिल ब्रदर्स एफसी गोवा, इंटर काशी और गोकुलम केरल एफसी ने अपनी भागीदारी की पुष्टि कर दी है। उनका सामना शीर्ष तीन आईएसएल टीमों (मोहन बागान सुपर जॉयंट, एफसी गोवा और बंगलुरु एफसी) से होगा। इन तीनों मुकाबलों का फेसला 9 अप्रैल को ड्राई से होगा। राउंड ऑफ 16 20, 21, 23 और 24 अप्रैल को, क्वार्टर फाइनल 26 और 27 अप्रैल को,

■ **कलिंगा सुपर कप 20 अप्रैल से 3 मई तक खेला जाएगा**

सेमीफाइनल 30 अप्रैल को और फाइनल 3 मई को खेला जाएगा। यदि राउंड ऑफ 16, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में 90 मिनट के अंत में स्कोर बराबर रहता है, तो कोई अतिरिक्त समय नहीं होगा और विजेता का निर्धारण पेनल्टी शूट-आउट से होगा। यदि फाइनल में 90 मिनट के अंत में स्कोर बराबर रहता है, तो अतिरिक्त समय होगा, जिसके बाद चैंपियन का निर्धारण करने के लिए पेनल्टी शूट-आउट होगा। कलिंगा सुपर कप 2025 के विजेता 2025-26 एएफसी चैंपियंस लीग टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई करेंगे। ईस्ट बंगाल एफसी गत चैंपियन हैं, जिसने पुर्वनक्षत्र में 2024 के फाइनल में ओडिशा एफसी को हराया था।

हार्दिक पांड्या के विस्फोट के बावजूद मुम्बई को मिली हार



मुंबई, वार्ता। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के एक बेहद रोमांचक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने मुंबई इंडियन (एमआई) को 12 रन से हरा दिया। बेंगलुरु दस साल बाद वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई को हराने में सफल रहा है। हार्दिक पांड्या (42 रन 15 गेंद) और तिलक वर्मा (56) के क्रीज पर रहते मुकाबला मुंबई के पाले में जाता दिख रहा था मगर 18वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार की ऑफ स्टंप के बाहर जाती धीमी गति की गेंद को

कट करने के प्रयास में तिलक डीप कवर में कैच दे बैठे जबकि अगले ही ओवर में पांड्या को जोश हेजलवुड ने अपना शिकार बना लिया। दोनों के आउट होने के बाद मुकाबला एक बार फिर बेंगलुरु के पाले में चला गया। आरसीबी को दिये गए 222 रन के जवाब में मुंबई इंडियंस निर्धारित 20 ओवर में नौ विकेट पर 209 रन ही बना सकी। लक्ष्य पीछा करने उतरी मुंबई की शुरुआत औसत रही। 12वें ओवर में सूर्य कुमार यादव (28) के आउट होने के बाद पांड्या ने क्रीज पर आते ही चौके छक्कों की बरसात कर दी। उन्होंने हेजलवुड के ओवर में दो चौके और दो छक्के जड़ कर मैच को रोमांच से भर दिया जबकि अगले ओवर में उन्होंने अपने भाई कुणाल पांड्या पर भी रहम नहीं किया और उनकी भी जमकर धुनायी की। दूसरे छोर पर तिलक वर्मा भी बेंगलुरु के गेंदबाजों पर कहर बरपाते रहे और दोनों ने 89 रन की पार्टनरशिप कर डाली। इससे पहले विराट कोहली (67)-देवदत्त पडिक्कल (37) के बीच 91 रन और कप्तान रजत पाटीदार (62)-जितेश शर्मा (40 नाबाद) के बीच 69 रन की विस्फोटक साझेदारियों की बदौलत आरसीबी ने मुंबई इंडियंस (एमआई) के खिलाफ पांच विकेट पर 221 रन का स्कोर खड़ा कर लिया।

लखनऊ ने कोलकाता को चार रन से हराया

■ **पूरन ने नाबाद 87 रन और मिचेल मार्श ने 81 रनों की पारी खेली**

कोलकाता, वार्ता। निकोलस पूरन (नाबाद 87), मिचेल मार्श (81) की अर्धशतकीय और एडन मारक्रम (47) की तूफानी पारियों के बाद गेंदबाजों शानदार प्रदर्शन की बदौलत लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने मंगलवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 के 21वें मुक. अबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को चार रन से हरा दिया। लखनऊ सुपर जॉयंट्स की यह इस सत्र की तीसरी जीत है। 239 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने 37 के स्कोर पर सलामी बल्लेबाज विन्टन डी कॉक (15) का विकेट गंवा दिया। विन्टन डी कॉक को तीसरे ओवर में आकाश दीप ने पगबाधा आउट किया। इसके



बाद बल्लेबाजी करने आए कप्तान अर्जुन राहु ने सुनील नारायण के साथ पारी को संभाला। सातवें ओवर में दिवेश राठी ने सुनील नारायण (30) को एडन मारक्रम के हाथों

कैच आउट करा कोलकाता को दूसरा झटका दिया। 13वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने अर्जुन राहु को निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट कराकर लखनऊ को तीसरी

सफलता दिलाई। अर्जुन राहु ने 35 गेंदों में आठ चौके और दो छक्के लगाते हुए (61) रनों की पारी खेली। कोलकाता का चौथा विकेट रमनदीप सिंह (एक) के रूप में

गिरा। उन्हें रवि विश्वासी ने आउट किया। 15वें ओवर में आवेश खान ने अंगकृष्ण रघुवंशी (पांच) को विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करा दिया। 16वें ओवर में आकाश दीप ने वेंकटेश अय्यर को मारक्रम के हाथों कैच आउट करा कर पर्वेलियन भेज दिया। वेंकटेश अय्यर ने 29 गेंदों में एक छक्के और छह चौकों की मदद से (45) रन बनाए। 17वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने आंद्रे रसल (सात) को आउट किया। रिकू सिंह ने अंतिम ओवरों में तूफानी बल्लेबाजी और अपनी टीम को जीत की दहलीज तक, तो ले गए, लेकिन जीत नहीं दिला पाए। रिकू सिंह ने 15 गेंदों में छह चौके और दो छक्के लगाते हुए (नाबाद 38) रनों की पारी खेली। हर्षित राणा (10) रन बनाकर नाबाद रहे। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट पर 234 रन ही बना सकी और चार रन से मुकाबला हार गई।

सम्पादकीय

बुधवार, 9 अप्रैल 2025

क्यों पिछड़ रही कांग्रेस

गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का 84वां अधिवेशन हो रहा है। जो 8 से 9 अप्रैल तक चलेगा। मंगलवार को पहले दिन कांग्रेस बकिंग कमेटी की बैठक चार घंटे चली। मीटिंग के बाद कार्यसमिति के सभी सदस्यों को पटेल लाफ नाम की पुस्तक दी गई। कांग्रेस को अलग लगा कि वह अगले चुनाव में अपना अस्तित्व बरकरार रख सकती है। आज इन्हें सरदार वल्लभाई पटेल याद आ रहे हैं। अगर पार्टी का प्रदर्शन गिरा, तो गांधी परिवार पर भी सवाल उठेंगे। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी के सामने कांग्रेस कहाँ पिछड़ रही है और विपक्षी दलों के बीच ग्रैंड ओल्ड पार्टी की पोजीशन क्या है। आज अधिवेशन में 158 सदस्य मौजूद थे और सरदार पटेल पर विशेष चर्चा हुई और प्रस्ताव पास हुआ। गुजरात में अधिवेशन होना ही विशेष है। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर बैठक हो रही है। पटेल और जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता थे। इन दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं होने का दावा करने वाले झूठ बोल रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस को इस बात पर भी जोर देना होगा कि तराजू के दोनों पलड़ों का आकलन किया जाए। किस तरफ क्या है और क्या नहीं है? लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ताकत और कमजोरियाँ क्या रही हैं, इन सब बातों पर भी मंथन करना जरूरी है। आज देश में जिस तरह नफ़रत फैल रही है, वहीं कांग्रेस इसे खत्म करने की कोशिश कर रही है। उसे लोगों के बीच जाना होगा और अपने एजेंडे तथा पिछले किए गए कामों को बताना होगा, ताकि लोग उसमें विश्वास कर सकें। क्योंकि निकाय से लेकर लोकसभा तक भाजपा हर चुनाव पूरी गंभीरता और ताकत से लड़ती है। पन्ना प्रमुख' और 'मेरा बूथ सबसे मजबूत' जैसे नए कॉन्सेप्ट से बीजेपी ने भारत में चुनाव राजनीति को नई दिशा दी है। आज के समय में भी कांग्रेस ही असल मायने में अखिल भारतीय पार्टी है। चेतारफा निराशा और निर्गतिव खबरों के बावजूद, पार्टी की तीन राज्यों में सरकारें हैं। कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का जलवा बरकरार है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 19 प्रतिशत से ज्यादा वोट मिले थे। यह अकेली विपक्षी पार्टी थी जिसे डबल डिजिट में वोट मिले थे। ऐसे में पिछड़ने के बाद भी कांग्रेस दूसरे विपक्षी दलों से आगे है। राहुल की पहले भारत जोड़ो यात्रा, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा... लोग कह रहे हैं कि इंडियन पॉलिटिकल लीग में पार्टी अब गंभीरता दिखा रही है। हालांकि राहुल गांधी की इन यात्राओं का चुनाव में कितना असर दिखेगा, यह कहा नहीं जा सकता है। पिछले डेढ़ साल से राहुल लगातार धूमते रहे हैं। रोडशो किया, ट्रक में घूमे, लोगों से मिले, बातें कीं। इससे उनकी इमेज भी सुधरी है। राहुल गांधी बीजेपी-आरएसएस को खतरा बताते रहे हैं, लेकिन अब उन्हें और उनकी पार्टी को नए नारों की जरूरत है, जिससे पीएम मोदी और भाजपा को चुनौती दी जा सके। ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर मिलिंद देवड़ा तक राहुल गांधी के कई पुराने साथी एक-एक कर 10 साल में बिछड़ गए। आज के कई मुख्यमंत्री पहले कांग्रेसी हुआ करते थे। कांग्रेस छोड़कर पहले भी नेता गए हैं, लेकिन राहुल की लीडरशिप में यह ज्यादा हुआ। वास्तव में आज कांग्रेस के सामने अगर कोई बड़ी चुनौती है तो उसे बृथस्तर पर एक मजबूत कार्यकर्ता की है देखने में आया भी है कि कांग्रेस के शीर्ष नेता चाहे वह राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी चुनावी सभाओं में भाई चुनौती में तो सफल दिखाई देते हैं, लेकिन वह उसको वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाते। आलोचक भी यही बात कहते हैं कि कांग्रेस भीड़ को वोटों में नहीं बदल पाती। यह कांग्रेस को सोचना होगा कि इस समस्या का समाधान ढूँढ़ने के लिए शीर्ष मंथन के बाद किस तरह आगे बढ़ा जाए। इस समय जो अच्छी बात है वो यह है कांग्रेस के बड़े नेताओं से अब यह संकेत मिलने लगे है कि वह इस समस्या पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं और अब उन्हें लगने लगा है कि कांग्रेस पार्टी को बृथस्तर पर संगठन को मजबूती देनी होगी। जाहिर है उसके लिए जरूरी है युवाओं को उसके लिए ज्यादा प्रेरित किया जाए। अहमदाबाद में होने जा रही यह बैठक भी इसी का हिस्सा है।

अहिंसा के सामने कोई ताकत टिक नहीं सकती

सरदार वल्लभभाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू के संबंधों को लेकर भाजपा और आरएसएस भले ही दुष्प्रचार का प्रयास कर रही है, लेकिन सच यह है कि दोनों की सोच एक थी और इसी के परिणाम स्वरूप सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाया और दुनिया भर में कांग्रेस का नाम रोशन किया, सामंदायिक संरभाव बिगाड़कर देश के बुनियादी मसलों से ध्यान भटकाने का आज काम हो रहा है और सीमित लोगों द्वारा देश के संसाधनों पर कब्जा करते हुए शासन को नियंत्रित करने का काम हो रहा है, गुजरात की धरती पर पैदा हुई तीन महान हस्तियों ने कांग्रेस का नाम दुनिया भर में रोशन किया है, इनमें दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सभी हमारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे, गांधी जी ने हमें अन्याय के खिलाफ सत्य और अहिंसा का हथियार दिया। ये इतना मजबूत वैचारिक हथियार है कि इसके सामने कोई ताकत टिक नहीं सकती।

मल्लिकार्जुन खड्गे कांग्रेस अध्यक्ष

खाओ पियो स्वस्थ रहो...

व्यायाम और स्वास्थ्य का गहरा संबंध है। नियमित शारीरिक गतिविधि से हृदय मजबूत होता है, रक्तचाप नियंत्रित रहता है, और तनाव कम होता है। लेकिन क्या इस अच्छी आदत की भी कोई सीमा होती है? क्या ज्यादा व्यायाम करने से दिल की बीमारी हो सकती है। हाल के वर्षों में यह सवाल वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके साथ ही, इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसी लोकप्रिय जीवनशैली प्रथाओं और कम उम्र के फिट लोगों में अचानक मृत्यु के मामलों ने भी दुनिया भर में चिंता बढ़ाई है। आज तक के विज्ञापन के दौर में हर रोज़ कोई न कोई नई तकनीक प्रचारित की जाती है जो आपको स्वस्थ रहने के उपाय बताती है। लेकिन क्या ऐसे शॉर्टकट उपायों से वास्तव में आपके शरीर को फायदा होता है। व्यायाम हृदय के लिए वरदान है। जब हम दौड़ते हैं या साइकिल चलाते हैं, तो हृदय तेज़ी से धड़कता है, जिससे रक्त में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, सप्ताह में 150 मिनट मध्यम तीव्रता वाला व्यायाम हृदय रोगों के जोखिम को 30 प्रतिशत तक कम कर सकता है। लेकिन जब यह ‘मध्यम’ से ‘अत्यधिक’ की ओर बढ़ता है, तो स्थिति बदल सकती है। अति व्यायाम तब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक कसरत करता है, या बिना पर्याप्त आराम या पोषण के ऐसा करता है। लंबे समय तक उच्च तीव्रता वाला व्यायाम हृदय पर दबाव डाल सकता है। शोध बताते हैं कि मैराथन धावकों या ट्रायथलॉन एथलीटों में व्यायाम के बाद रक्त में ट्रोपो, निन का स्तर बढ़ जाता है। यह प्रोटीन हृदयाघात के संकेत के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा, ‘एथलीट हार्ट सिंड्रोम’ भी एक जोखिम है, जिसमें हृदय की मांसपेशियाँ मोटी हो जाती हैं और अनियमित धड़कन (एरिदमिया) की समस्या हो सकती है। कुछ मामलों में यह गंभीर हृदय रोगों का कारण बन सकता है। पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया ने इंटरमिटेंट फास्टिंग को

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 150 मिनट मध्यम तीव्रता वाला व्यायाम हृदय रोगों के जोखिम को 30 प्रतिशत तक कम कर सकता है, लेकिन जब यह ‘मध्यम’ से ‘अत्यधिक’ की ओर बढ़ता है, तो स्थिति बदल सकती है

वजन घटाने और स्वास्थ्य सुधार के लिए काफी लोक. प्रिय किया है। इसमें व्यक्ति निश्चित समय तक भोजन नहीं करता, जैसे 16 घंटे उपवास और 8 घंटे खाने का समय। हालाँकि इसके कुछ फायदे भी हैं, जैसे इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार। लेकिन जानकारों के अनुसार अति व्यायाम के साथ इसे जोड़ने से खतरे बढ़ सकते हैं। जब शरीर को ऊर्जा के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता और साथ ही भारी व्यायाम किया



भारत में पर्यावरणीय न्याय के दोहरे मापदंड हैं। एक ओर अभिनेता सलमान खान पर एक हिरण के शिकार का वर्षों तक मुकदमा चलता है, जबकि दूसरी ओर, हैदराबाद में एक पूरे जंगल को उजाड़ दिया जाता है। जिसमें दर्जनों हिरण मारे जाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों? व्यक्तिगत अपराधियों को कठघरे में खड़ा किया जाता है, जबकि संस्थागत अपराधों पर कानून मौन हो जाता है। साथ ही यह पर्यावरण संरक्षण कानूनों की अक्षमता, मीडिया की चुप्पी और समाज की निष्क्रियता है। यह जरूरी है कि वन्यजीवों और जंगलों की रक्षा के लिए आवाज़ उठाएं और न्याय की परिभाषा को व्यापक और निष्पक्ष बनाएं।

सालों पहले बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान पर काले हिरण (ब्लैकबक) के शिकार का मामला दर्ज हुआ था। वह मामला आज भी अदालतों की फाइलों में जीवित है, चर्चा में है, और उसके जरिये यह संदेश दिया जाता है कि कानून के सामने सभी समान हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? आज जब हैदराबाद जैसे शहर के बाहर एक पूरा जंगल नष्ट कर दिया जाता है, जहां दर्जनों हिरणों की जान जाती है, तो न तो खबरें बनती हैं, न जांच बैठती है और न ही कोई मुकदमा चलता है। क्या कानून सिर्फ उन्हीं पर लागू होता है जो प्रसिद्ध हैं, और संस्थाएं या सरकारें इससे परे हैं?

वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण कानून...

भारत में पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के लिए कई सख्त कानून मौजूद हैं। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत किसी भी संरक्षित जीव की हत्या, पकड़ या उसे नुकसान पहुंचाना दंडनीय अपराध है। वहीं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रस्तुत करता है। लेकिन ये कानून कितने प्रभावी हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें लागू करने की राजनीतिक और सामाजिक इच्छाशक्ति कितनी है।

दोहरे मापदंड: व्यक्तियों पर सख्ती, संस्थाओं पर मौन...

सलमान खान जैसे अभिनेता के खिलाफ मामला इसलिए सुर्खियों में रहा क्योंकि वह एक प्रसिद्ध चेहरा थे। उन्हें कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, जेल भी जाना पड़ा। भले ही बाद में जमानत मिल गई। यह दिखाने के लिए पर्याप्त था कि कानून काम कर रहा है। पर जब बात किसी कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट, सरकारी योजना या शहरी विकास परियोजना की आती है, जो एक साथ सैकड़ों पेटों और दर्जनों जानवरों की बलि लेती है, तो प्रशासन मौन हो जाता है। न मुकदमा, न मीडिया ट्रायल, न जनआंदोलन।

हिंदू राष्ट्र संभव राजशाही कदापि नहीं...

नेपाल में हुई हाल की घटनाओं को राजशाही के आगाज की दृष्टि से देखा जाना मुनासिब नहीं है.हां इसे हिंदू राष्ट्र की बड़ रही मांग माना जा सकता है। नेपाल राजा शासन को वक्त नेपाल हिंदू राष्ट्र था। वहां मुस्लिम, क्रिश्चियन आदि की आबादी इतनी भी नहीं है कि वे हिंदू राष्ट्र का विरोध करें। इस छोटी समुदाय को हिंदू राष्ट्र से कोई गिला शि. कवा भी नहीं रहा। राजशाही खत्म होने के बाद जब लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ तब संविधान में नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया। यह शासक दलों का अपना फैसला था न कि किसी ने इसकी मांग की थी।

हैरत है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित होने के बाद कुछ राजनीतिक दलों को हिंदू राष्ट्र की याद आई इसमें नेपाली कांग्रेस भी शामिल है। पिछले आम चुनाव में नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व प्रचामंत्री शंरे बहादुर देउबा ने अपने भाषणों में कहा था कि उनकी सरकार सत्ता में आई तो हिंदू राष्ट्र की पुनर्बहाली पर विचार करेगी। बहरहाल नेपाली कांग्रेस सत्ता में नहीं आई। और अभी राजा समर्थक प्रदर्शन के बीच नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशांक कोइराला ने भी हिंदू राष्ट्र के पक्ष में अपनी राय जाहिर की है। नेपाल में जब से लोकतंत्र बहाल हुआ तब से हुए अब तक चार चुनावों में किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं नसीब हुआ लिहाजा गठबंधन की सरकारें आती जाती रहीं।

लोकतांत्रिक नेपाल का यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हैरत है कि वर्ष 2008 से अब तक नेपाल में 13 सरकारें सत्तासीन हुईं और सभी मेल गठबंधन से। यहां गठबंधन सरकारों पर गौर करें तो लगभग सभी दल दुश्मन का दुश्मन दोस्त के फार्मूले पर ही सत्तासीन होते रहे। अभी को नेपाली कांग्रेस और वीपी समर्थक ओली की एमाले गठबंधन की सरकार भी उसी तर्ज पर है।

जंगल उजड़ते रहे और हिरण मरते रहे, पर मुकदमा किस पर चले

सालों पहले बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान पर काले हिरण (ब्लैकबक) के शिकार का मामला दर्ज हुआ था, वह मामला आज भी अदालतों की फाइलों में जीवित है, चर्चा में है और उसके जरिये यह संदेश दिया जाता है कि कानून के सामने सभी समान हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा है? आज जब हैदराबाद जैसे शहर के बाहर एक पूरा जंगल नष्ट कर दिया जाता है, जहां दर्जनों हिरणों की जान जाती है

हैदराबाद की घटना: जंगल की मौत, हिरणों का नरसंहार...

हैदराबाद के बाहरी इलाके में एक बड़ी इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना के तहत जंगल का एक विशाल क्षेत्र साफ कर दिया गया। इस क्षेत्र में रहने वाले हिरण, नीलगाय, खरगोश और कई पक्षियों की प्राकृतिक निवास स्थली नष्ट हो गई।

सूत्रों के अनुसार, जंगल की सफाई के दौरान दर्जनों हिरण मारे गए, कुछ मशीनों की चपेट में आए, तो कुछ भोजन और पानी की कमी से मारे गए। इस पर कोई औपचारिक आंकड़ा या सरकारी रिपोर्ट नहीं आई। कारण साफ है:कुइसका जिम्मेदार कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि ‘प्रोजेक्ट’ था। और प्रोजेक्ट्स पर मुकदमा नहीं चलता।



2008 से अब तक नेपाल में 13 सरकारें सत्तासीन हुई और सभी मेल गठबंधन से यहां गठबंधन सरकारों पर गौर करें तो लगभग सभी दल दुश्मन का दुश्मन दोस्त के फार्मूले पर ही सत्तासीन होते रहे, अभी की नेपाली कांग्रेस और चीन समर्थक ओली की एमाले गठबंधन की सरकार भी उसी तर्ज पर है नेपाली कांग्रेस भारत का समर्थक माना जाता है

नेपाली कांग्रेस को भारत का समर्थक माना जाता है।

राजशाही समर्थक नेपाल में 1991 का संविधान फिर से लागू किए जाने,देश में संवैधानिक राजशाही दोबारा लागू करके राजशाही और संसदीय लोकतंत्र एक साथ होने की मांग कर रहे हैं। यह संभव नहीं है। सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर से इस मांग को अस्वीकार कर दिया है। पूर्व पीएम प्रचंड जो हाल की घटनाओं के लिए ओली सरकार को जिम्मेदार मानते हैं उन्होंने भी राजशाही की वापसी की मांग को खरबाला माना है। प्रचंड ने तो पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र को नारायण हिटी नरसंहार की घटना का जिम्मेदार मानते हुए उक्त घटना की जांच हेतु आयोग के गठन तक को कर डाली। 2001 में नेपाल नरेश स्वर्गीय वीरेंद्र विक्रम शाह सहित संपूर्ण परिवार की उस समय हत्या कर दी गई थी जब यह शाही परिवार साप्ताहिक भोज पर इकट्ठा था। इस घटना का आरोप उनके बड़े बेटे दीपेंद्र पर लगा था। कहा गया कि नशे की हालत में उन्होंने पूरे परिवार की गोली मारी कर हत्या कर खुद को भी गोली मारी ली थी। घायल दीपेंद्र की भी दो दिन बाद मौत हो गई लिहाजा इस घटना की सच्चाई से पर्दा उठने से रह गया। प्रचंड ने ढाई दशक पूर्व की इस घटना की जांच की मांग कर नेपाल की राजनीति में न केवल हलचल मचा दी वे पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र के निशाने पर आ गए।



हृदय दोष (जैसे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी) या अति तनाव जिम्मेदार होता है। अति व्यायाम और फास्टिंग का जोखिम हर किसी के लिए समान नहीं है। जिन लोगों का पारिवारिक इतिहास हृदय रोगों से जुड़ा है, उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा, पेशेवर एथलीट, जो अपनी सीमाओं को बार-बार चुनौती देते हैं, और युवा जो बिना मार्गदर्शन के जिम में घंटों बिताते हैं, वे भी जोखिम में हैं। अपर्याप्त नींद, खराब आहार, और डिहाइड्रेशन इस खतरे को और बढ़ाते हैं। क्या हम व्यायाम या फास्टिंग से डरना चाहिए? नहीं, ये दोनों ही स्वस्थ जीवन के लिए लाभकारी हैं, बशर्ते इन्हें संतुलित तरीके से अपनाया जाए। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि व्यायाम की तीव्रता और अवधि आपको उम्र, फिटनेस स्तर, और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, 20 साल के युवा के लिए 1 घंटे की तीव्र कसरत ठीक हो सकती है, लेकिन 40 साल से ऊपर के व्यक्ति को मध्यम व्यायाम पर ध्यान देना चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग करते समय भी पोषण और हाइड्रेशन का ध्यान रखें। भारी व्यायाम से पहले और बाद में पर्याप्त पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स लें। अगर आपको थकान, चक्कर, या अनियमित धड़कन महसूस हो, तो तुरंत रुकें और डॉक्टर से संपर्क करें। अति सर्वत्र वर्ज्य है, यह कहावत व्यायाम और फास्टिंग दोनों पर लागू होती है। अति व्यायाम और असंतुलित फास्टिंग हृदय पर दबाव डाल सकते हैं, खासकर जब इन्हें तैयारी या मार्गदर्शन के किया जाए। कम उम्र के फिट लोगों की मृत्यु के मामले हमें सावधान करते हैं कि स्वास्थ्य के प्रति उसाह अच्छा है, लेकिन उसे अंधे उत्साह में नहीं बदलना चाहिए। अपने शरीर के संकेतों को सुनें, संतुलन बनाए रखें, और ज़रूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की सलाह लें। आभारकार, हमारा लक्ष्य लंबा, स्वस्थ, और सुखी जीवन जीना है।



नाराज़ होते हैं, तो सैकड़ों जानवरों की मौत पर हम क्यों चुप हो जाते हैं। क्या जंगल सिर्फ विकास के नाम पर बलिदान चढ़ाने के लिए हैं। क्या विकास की परिभाषा में प्रकृति का विनाश अनिवार्य है। हमें इन सवालों को अपने शहर, राज्य और देश के प्रशासक से पूछना होगा।

कानूनी समाधान और संभावनाएं

इस तरह की घटनाओं के खिलाफ राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में मामला दायर किया जा सकता है। जनहित याचिकाएं (पीआईएल) उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा सकती हैं। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) की प्रक्रियाएं पारदर्शी और मजबूत की जानी चाहिए, ताकि किसी भी परियोजना को जंगलों को नुकसान पहुंचाने से पहले कठोर जांच से गुजरना पड़े।

जन आंदोलन और युवाओं की भागीदारी...

इतिहास गवाह है कि जब-जब जन आंदोलनों ने पर्यावरण की रक्षा के लिए आवाज़ उठाई है, तब-तब व्यवस्थाओं को झुकना पड़ा है। आज भी जरूरत है कि छात्र, युवा, पर्यावरण प्रेमी, पत्रकार और जागरूक नागरिक मिलकर इस प्रकार के जंगल विध्वंस के खिलाफ संगठित हो जाएं। सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम हो सकता है, लेकिन उससे आगे जाकर जमीन पर भी बदलाव की मांग करनी होगी।

न्याय का पुनर्परिमाण...

सलमान खान पर मुकदमा इसलिए नहीं गलत था क्योंकि वह अकेले दोषी थे, बल्कि इसलिए कि वह अकेले दोषी नहीं थे। असली समस्या यह है कि बाकी दोषी लोग, संस्थाएं और परियोजनाएं कभी कठघरे में नहीं खड़ी होतीं।



टीवी के मैक्रामैन सहित दो की हत्या, निंदोंषों के घरों में आगजनी और आते जाते निजी और सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ की घटना को उन अराजक तत्वों का कारनामा माना गया जो पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र के समर्थन में पूरे नेपाल खासकर तराई बेल्ट से आए हुए लोग थे।

फरवरी से लेकर मार्च के अंतिम सप्ताह तक काठमांडू सहित नेपाल के विभिन्न हिस्सों में राजा वादी समर्थकों के कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं जिसमें काठमांडू का कार्यक्रम हिंसक हुआ है। राजा वादियों के समर्थन में जगह जगह भारी भीड़ तो उमड़ी लेकिन इसे पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र के पक्ष में लहर या आंधी नहीं कह सकते। आखिर राजशाही के खिलाफ 1996 से 2006 तक चले जनयुद्ध में आम जनता ही भागीदार रही। हजारों आंदोलनकारियों ने अपनी जान भी दी। ऐसे में राजशाही के समर्थन में इसी जनता का पुनः उठ खड़ा होना न तो संभव है और न ही संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था है। यहाँ यह भी गौर करने की बात है कि जिन भी देशों में लोकतंत्र स्थापित हुआ वहां चुनौी हुई सरकार से लाख मतभेद के बावजूद राजनीतिक दलों ने लोकतंत्र को ही प्राथमिकता दी है। लोकतंत्र को मजबूती देना राजनीतिक पार्टियों की सामूहिक जिम्मेदारी है। नेपाल की राजनीति में राजशाही या हिंदू राष्ट्र की मांग के बहाने जो उथल पुथल मचा है, समझ जाना चाहिए कि नेपाल की राजनीतिक पार्टियां इससे जरूर सबक ली होंगी और वे आपसी मतभेद भुलाकर जनता की भलाई और लोकतंत्र की मजबूती पर अब से ज़रूर ध्यान देंगी।

(ये लेखक के निजी विचार है)

Heatwave का अलर्ट जारी: दिखें ये 7 लक्षण तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं

अप्रैल के महीने में तापमान काफी इजाफा हो रहा है। धीरे-धीरे गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखाने लगी है। ऐसे में षड् नः हाल ही में दिल्ली समेत राजस्थान, गुजरात जैसे राज्यों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान आपको सावधान रहने की जरूरत है। अब आपको तेज गर्मी में लू से कैसे बचें इस लेख में हम आपको बताएंगे।

हीट स्ट्रोक के लक्षण

शरीर का तापमान बढ़ना...

हीट स्ट्रोक का सबसे बड़ा लक्षण है शरीर का तापमान अचानक 40°C या इससे अधिक भी हो जाता है। इस दौरान पसीना आना बंद हो जाता है, शरीर की ठंडा होने की प्रक्रिया फेल हो जाती है।

सिरदर्द और चक्कर आना...

लू लगान से तेज सिरदर्द होना और पानी की कमी होने लगती है, जिससे सिरदर्द, चक्कर आना या बेहोशी जैसी समस्याएं देखने को मिलती है।

त्वचा का गर्म या लाल होना

लू लगने के बाद स्किन लाल, ड्राई और गर्म हो जाती है। पसीना निकलना बंद हो जाए, तो यह बड़ी गंभीर समस्या हो सकती है। इसका तुरंत उपचार कराएं।

मतली और उल्टी होना...

हीट स्ट्रोक के दौरान जी मिचलना, पेट में जलन, मतली और उल्टी होने लगती है।

मांसपेशियों में ऐंठन होना...

डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस कारण मांसपेशियों में ऐंठन या हाथ-पैरों में दर्द होने लगता है।

दिल की धड़कन तेज होना...

हीट स्ट्रोक के कारण हार्ट बीट भी तेज हो जाती है, क्योंकि यह शरीर को खुद को ठंडा करने के लिए ज्यादा मेहनत करता है।

हीट स्ट्रोक से बचने के उपाय...

- जितना होने सके खूब पानी पिएं। दिनभर में 8–10 गिलास पानी जरूर पिएं।
- नारियल पानी, छाछ, नौबू पानी और ओआरएस को घोल काफी फायदेमंद होता है।
- चाय, कॉफी और शराब से बचें, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन बढ़ाते हैं।
- गर्मियों में सूती और लाइट कलर के कपड़े, जो पसीना सोख लें।
- धूप में निकलते समय छाता, टोपी या सनग्लासेस का इस्तेमाल करें।
- इस दौरान दोपहर में 12 से 3 बजे तक धूप में निकलने से बचें। धूप में ज्यादा देर तक न रहें।

अमेरिका और ब्रिटेन की अदालतों ने प्रत्यर्पण पर सुनाया अहम फैसला

अमेरिका से तहव्वुर को झटका, ब्रिटेन से भंडारी को लेकर निराशा



न्यूयार्क। मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी आतंकी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद तहव्वुर राणा को भारत लाने की राह और आसान हो गई। पाकिस्तानी मूल के 64 वर्षीय कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा फिलहाल लास एंजिल्स के मेट्रोपालिटन डिटेंशन सेंटर में बंद हैं और भारत प्रत्यर्पण रुकवाने के पैंतरे आजमा रहा है। तहव्वुर राणा ने 27 फरवरी को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की एसोसिएट जस्टिस और नौवें सर्किट की सर्किट जस्टिस एलेना कागन के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के लंबित मुकदमे पर रोक लगाने के लिए आपातकालीन आवेदन दिया था। पिछले महीने की शुरुआत में जस्टिस कागन ने राणा के आवेदन को अस्वीकार कर दिया था। राणा ने इसके बाद जस्टिस कागन को पूर्व में संबोधित बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के लंबित रहने तक स्थगन के लिए एक नया आपातकालीन

आवेदन दिया। उसने अनुरोध किया कि नया आवेदन चीफ जस्टिस राबर्ट्स के पास भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक राणा के नए आवेदन को 4 अप्रैल को कोर्ट के पास भेजा गया। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक नोटिस के जरिये बताया गया कि अदालत ने उसके आवेदन को अस्वीकार कर दिया है। इससे पहले तहव्वुर राणा ने अपने भारत प्रत्यर्पण से बचने के लिए नई चाल चली थी। राणा ने अपने प्रत्यर्पण पर रोक लगाने के लिए अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में आपातकालीन याचिका दायर की थी। आतंकी तहव्वुर राणा ने आवेदन में दावा किया था कि वह पाकिस्तानी मूल का मुस्लिम है, इसलिए भारत में उसे प्रताड़ित किया जाएगा, लिहाजा उसके प्रत्यर्पण पर रोक लगाई जाए। राणा ने अपने खराब स्वास्थ्य का भी हवाला दिया है।

लंदन: संजय भंडारी प्रत्यर्पण मामले में भारत सरकार को बड़ा झटका लगा है। लंदन हाईकोर्ट ने भारत सरकार के ब्रिटेन सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के आवेदन को खारिज कर दिया है। रक्षा क्षेत्र के सलाहकार संजय भंडारी को नई

दिल्ली लाने की कोशिश की जा रही है, ताकि उनके खिलाफ कर चोरी और धन शोधन मामले चलाया जा सके। लंदन हाईकोर्ट के जज लार्ड जस्टिस टिमोथी होलरोयड ने पिछले महीने भारत सरकार द्वारा दायर आवेदन के जवाब में रायल कोर्ट आफ जस्टिस में सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया। भारत सरकार ने लंदन हाईकोर्ट में अपील दायर करते हुए कहा था कि इस मामले में जो रूढ़ि हैं, वे केवल कानूनी नहीं, बल्कि सार्वजनिक महत्व के हैं। जस्टिस होलरोयड ने कहा कि अदालत को भारत सरकार की ओर से एक आवेदन प्राप्त हुआ। इसमें सामान्य महत्व के कानूनी बिंदुओं के प्रमाणीकरण तथा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति मांगी गई थी। लिखित प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद हमने पाया कि मौखिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं है। साथ ही आगे कोई और प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता भी नहीं है। जिन दो



बिंदुओं पर अपील की अनुमति मांगी गई थी, उन्हें अस्वीकार कर दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि सामान्य महत्व के कानूनी बिंदुओं को न्यायालय के निर्णय में शामिल नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि अपील में पहला बिंदु आरोपी व्यक्ति पर लगाए गए प्रमाण के मानक से संबंधित था तथा दूसरा दिल्ली की लिहाड जेल की स्थितियों से जुड़ा था। इन दोनों बिंदुओं में से कोई भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार किए जाने योग्य नहीं है। मामले में भारत सरकार ने दो-चरणीय प्रक्रिया में पहले चरण के रूप में आवेदन दायर किया था।

वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 102वीं मंजिल पर किया गया योग

न्यूयार्क। अमेरिका की सबसे ऊंची इमारत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 102वीं मंजिल पर सोमवार (स्थानीय समयानुसार) सुबह योग किया गया। भारत के महावाणिज्य दूतावास ने इस सत्र का आयोजन किया, जिसका नेतृत्व आर्ट आफ लिविंग फाउंडेशन की प्रशिक्षक रुचिका लाल ने किया। इस योग सत्र में न्यूयार्क में भारत के उप महावाणिज्य दूत विशाल हर्ष, भारतीय प्रवासी, छात्र और योग उस्ताहा शामिल हुए। योग सत्र 1,776 फीट ऊंची इमारत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में वन वर्ल्ड आब्जर्वेटरी की 102वीं मंजिल पर आयोजित किया गया, जो एक घंटे से अधिक समय तक चला। न्यूयार्क में भारत के महावाणिज्यदूत विनया प्रधान ने सत्र में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को बताया कि यह सत्र अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 75 दिन की उल्टी गिनती के रूप में आयोजित किया गया।

हसीना का दावा- मैं बांग्लादेश जरूर लौटूंगी

कहा: अल्लाह ने मुझे किसी मकसद से जिंदा रखा

ढाका। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा, अल्लाह ने मुझे किसी मकसद से जिंदा रखा है। मैं वापस लौटूंगी। वो दिन जरूर आएगा जब अवामी लीग के नेताओं को निशाना बनाने वालों को ईसाफ के कटथरे में लाया जाएगा। अवामी लीग की अध्यक्ष हसीना ने यह बात उस वक्त कही जब वो सोशल मीडिया पर अपने पार्टी नेताओं के परिवार वालों से बात कर रही थीं। पिछले साल अगस्त में बांग्लादेश छोड़ने के बाद से वे भारत में शरण लेकर रह रही हैं। हसीना ने बांग्लादेश सरकार के अंतरिम सलाहकार मोहम्मद युनुस को लेकर कहा कि वो ऐसा शास्त्र है जिसे लोगों से कभी मोहब्बत नहीं थी। युनुस ने गरीबों को छोटे-छोटे कर्ज ऊंची व्याज दरों पर दिए और इस पैसे से कई देशों में ऐशोआराम की ज़िंदगी

जी। हसीना ने कहा कि उस वक्त हम युनुस की चालाकी नहीं समझ पाए, इसलिए उसकी मसद करते रहे। लेकिन इससे लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ वह अमीर होता गया। बाद में उसमें सत्ता की भूख पैदा हो गई, जो आज बांग्लादेश को जला रही है। हसीना ने कहा- बांग्लादेश अब आतंकी देश बन गया शेख हसीना ने कहा कि पहले बांग्लादेश को विकास के माडल के तौर पर देखा जाता था, लेकिन अब ए आतंकी देश बन गया है। हमारे नेता और कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से मारा जा रहा है, उसे बताया भी नहीं जा सकता है। अवामी लीग, पुलिस, वकील, पत्रकार, कलाकार सभी को मारा जा रहा है। हसीना ने कहा कि अब तो इस देश में मीडिया को भी काम नहीं करने दिया जा रहा है। रैप, मर्डर, डकैती किसी चीज की रिपोर्ट

नहीं कराई जा रहा है। और अगर इसे रिपोर्ट किया जाता है, तो उस टीवी चैनल या अखबार को टारगेट किया जाएगा। हसीना बोलीं कि अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा, मैं लौटकर आऊंगी अपने पूरे परिवार की भयानक हत्या को याद करते हुए शेख हसीना ने कहा कि मैंने अपने पिता, मां, भाई-सभी को एक ही दिन में खो दिया और फिर हमें देश लौटने भी नहीं दिया गया। मैं जासती हूँ अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। अल्लाह हमेशा मेरी हिफाजत करता आया है, शायद वह मुझसे कुछ अच्छा करवाना चाहता है। जिन्होंने ये जघन्य अपराध किए हैं, उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। यही मेरा वादा है।



अमेरिकी यूट्यूबर बिना इजाजत भारत के प्रतिबंधित सेंटिनल द्वीप पहुंचा

डाइट कोक और नारियल छोड़कर आया, वीडियो भी बनाया

नई दिल्ली। भारतीय पुलिस ने 24 साल के एक अमेरिकी यूट्यूबर को हिंद महासागर के एक प्रतिबंधित द्वीप पर पहुंचने और वहां की जनजाति से संपर्क करने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह यूट्यूबर अमेरिकी राज्य एरिजोना के रहने वाल है। उसका नाम मिखायलो विक्टोरोविच पोलियाकोव है। 29 मार्च को वह भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप के प्रतिबंधित सेंटिनल द्वीप पर पहुंचा था। वहां रहने वाली सेंटिनली जनजाति से नहीं मिल पाया तो डाइट कोक और नारियल छोड़कर आया था। उसे 31 मार्च को पोर्ट ब्लेयर में गिरफ्तार किया गया था। एक स्थानीय कोर्ट ने पिछले हफ्ते उसे 14 दिन की न्यायिक

हिरासत में भेजा था। उसे 17 अप्रैल को दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसे पांच साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस द्वीप की आबादी कई हजार साल से दुनिया से दूर है। ये लोग तीर और कमान लेकर जानवरों का शिकार करते हैं। यहाँ अगर कोई बाहरी व्यक्ति पहुंच जाए तो उस पर भी तीरों के हमला करते हैं। पुलिस ने बताया कि पोलियाकोव ळछे नैविगेशन का इस्तेमाल करके इस द्वीप तक पहुंचा था। द्वीप पर उतरने से पहले उसने बाइनोकुलर्स से द्वीप का सर्वे किया। वह करीब एक घंटे तक द्वीप पर रुका। इस दौरान उसने सीटी बजाकर सेंटिनली लोगों का ध्यान आकर्षित करने की

कोशिश की, लेकिन किसी ने उसे जवाब नहीं दिया। इसके बाद उसने एक डाइट कोक और नारियल को वहां रखा, अपना वीडियो बनाया और रेत के कुछ नमूने लेकर वहां से वापस लौट गया। वापस जाते समय एक स्थानीय मछुआरे ने उसे देख लिया और प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद पोर्ट ब्लेयर में उसे गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ भारतीय कानून के उल्लंघन का केंस दर्ज किया गया। पुलिस ने कहा कि पोलियाकोव ने इस द्वीप पर जाने से पहले समुद्री कडीशन, ज्वार और द्वीप तक पहुंचने के रास्ते की गहरी रिसर्च की थी।



आर्कटिक महासागर की बर्फ 47 सालों में सबसे कम

बुसेल्स। आर्कटिक महासागर की बर्फ इस साल मार्च में 47 सालों में सबसे कम हो गई है। यूरोपीय संघ की कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा (सी 3 एस) की ओर से मंगलवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार, मार्च में, समुद्री बर्फ का विस्तार औसत से छह प्रतिशत कम था, जो चौथा लगातार न्यूनतम रिकॉर्ड है व अंडार्कटिक समुद्री बर्फ का विस्तार औसत से 24 प्रतिशत कम था। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2025 वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे गर्म माह था, जिसमें औसत सतही वायु तापमान 14.06 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो 1991-2020 के औसत से 0.65 डिग्री अधिक और पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.60 डिग्री अधिक था। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह पिछले 21 महीनों में से 20वां महीना भी था, औसत वैश्विक सतही वायु तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक था। सी 3 एस की उप निदेशक सामंथा बर्गस ने कहा कि मार्च में, यूरोप सबसे गर्म स्थान था। इस महाद्वीप में बारिश में अत्यधिक बदलाव देखा गया।

ट्रेड वॉर की आग में कूदने को तैयार: चीन का कड़ा संदेश



टिप्पणी में लिखा कि अमेरिकी टैरिफ का असर जरूर होगा, लेकिन आसमान नहीं गिरेगा। 2017 में अमे. रिका की तरफ से पहले ट्रेड वार की शुरुआत के बाद से चाहे अमेरिका ने जितना भी दबाव डाला हो, हमने लगातार विकास किया है और आगे बढ़ेंगे। हमने लचीलापन दिखाया है। जितना ज्यादा दबाव आता है, हम उतने ही मजबूत बनते हैं। चीन को विदेश मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में कहा कि दुनिया की दूसरी

सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और उपभोक्ता बाजार होने के नाते, चीन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बदलने के बावजूद दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोलता रहेगा। चीन के वाणिज्य मंत्रालय के उपमंत्री लिंग जी ने अमेरिका से फॉर्डिंग पाने वाली 20 कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इनमें टेस्ला और जीई हेल्थकेयर जैसी बड़ी कंपनियां शामिल थीं। लिंग ने चीन की निवेश के लिए एक आदर्श, सुरक्षित और संभावनाओं से भरा हुआ स्थान बताया।

ओमान में पहली बार आमने-सामने होंगे ईरान-अमेरिका

ऐतिहासिक पल: परमाणु कार्यक्रम पर विशेष बातचीत की संभावना

तेहरान। ईरान में बढ़ते परमाणु कार्यक्रम को लेकर इन दिनों मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने मंगलवार को कहा कि वह ट्रम्प प्रशासन के दौरान पहली बार अमेरिकी दूत स्टीव विटकार से ओमान में मुलाकात करेंगे। इस बात. चीत का मुख्य उद्देश्य ईरान के तेजी से बढ़ते परमाणु कार्यक्रम को रोकना है, क्योंकि मध्य पूर्व में तनाव अभी भी बना हुआ है। मामले में जानकारी देते हुए अराघची ने एक टेलीविजन से बात करते हुए कहा कि ए वार्ता अप्रत्यक्ष रूप से होगी, जिसमें ओमानी मध्यस्थ दोनों पक्ष के बीच बातचीत कर सकते हैं। बता दें कि बोते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इस वार्ता को प्रत्यक्ष वार्ता कहा था, लेकिन ईरान ने इसे अप्रत्यक्ष बात.

चीत बताया है। हालांकि अमेरिका और इराइल ने ईरान को परमाणु कार्यक्रम को लेकर सैन्य हमले की चेतावनी भी दी है, जबकि ईरान लगातार यह चेतावनी देता आ रहा है कि वे परमाणु बन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इसको लेकर अराघची ने कहा कि इन वार्ताओं का मुख्य लक्ष्य ईरानी लोगों के अधिकारों को बहाल करना और अंतर्राष्ट्रीय प्रति. बंधों को हटाना है। उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल ईरान की प्राथमिकता अप्रत्यक्ष वार्ता ही है, और इसे प्रत्यक्ष वार्ता में बदलने की कोई योजना नहीं है। इस वार्ता की घोषणा के बाद, ईरान की अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार देखने को मिला। ईरान की मुद्रा रियाल, जो पहले 1 मिलियन रियाल के निचले स्तर तक पहुंच गई थी, अब 990,000 रियाल पर आ गई



है। इस खबर के बाद तेहरान स्टॉक एक्सचेंज में भी लगभग 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। गौरतलब है कि बोते शनिवार को बातचीत तब शुरू हुई जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को पत्र लिखकर तेहरान और वाशिंगटन के बीच सीधी बातचीत शुरू करने की कोशिश की। ट्रम्प का यह कदम बात. चीत को बढ़ावा देने का एक प्रयास

था। इस बीच, ट्रम्प के प्रशासन ने यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों को निशाना बनाकर हवाई हमलों का अभियान तेज कर रखा है। हौथी विद्रोही ईरान के प्रतिरोध की घुरी का हिस्सा माने जाते हैं, जो इजरायल पर हमले की क्षमता रखते हैं। वहीं, गाजा पट्टी में इजरायल ने हमास के खिलाफ युद्ध करने के दौरान अन्य आतंकवादी समूहों के खिलाफ भी कार्रवाई की है।